खण्ड-176, अंक-4
सोमवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1878
(13 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवगुप्त, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री

जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकरामा, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायन मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलालकुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री

महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री

विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवरक्षासिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सिंचाई की दरों में छूट

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई की दरों में जो छूट गत वर्ष दी थी वह अब समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं, केवल चारे की फसलों और पलेवा पर खरीफ १९५६ से छूट समाप्त कर दी गयी है, कारण कि इन पर सिंचाई दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चारे की फसलें कौन-कौन हैं जिन पर यह छूट समाप्त की गई हैं ?

श्री राममूर्ति—चारे की फसलें वही हैं जोकि जानवर चारा खाते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह छूट जो समाप्त की गई है ये आबपाशी की दरें कब बढ़ाई गई है जिन पर यह छूट नहीं दी गई ?

श्री राममूर्ति—सन् ५३ में जो आबपाशी की दरें बढ़ायी गयी थीं उस वक्त चारा और पलेवा की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिये उस पर कोई छूट भी नहीं दी गई।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चरी या ज्वार पर यह छूट है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—चरी पर छूट है और ज्वार पर छूट नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरी की फसल और पलेवा पर छूट के समय ये दरें कितनी थीं और अब समाप्त कर दी गई हैं तो अब कितनी हैं ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो छूट दी गई थी वह परमानेंट कर दी गई है या टेम्पोरेरी ही है ?

श्री राममूर्ति—मंत्रिमंडल ने यह तय किया था कि अनाज की कीमत गिर रही है इसलिये नहर विभाग में जो रेट है उसकी दरों में कमी की जाय तो तीन आने रुपये का रिबेट दे दिया गया है। जब तक दूसरे आर्डर्स पास नहीं होंगे तब तक फिर रिबेट जारी रहेगा।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५४ को ग्रीन मैन्योर पर भी वृद्धि की गई थी या नहीं ?

श्री राममूर्ति—यह हमारी छूट तो खरीफ सन् ५५ से ५६ तक की है।

श्री तेजप्रतापसिंह—मंत्रिमंडल की बैठक का जिक्र जैसा कि माननीय मंत्री जी ने किया वह विचार करेंगे इस मसले पर तो क्या यह सही है कि रेट्स को और भी कम करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मैंने यह अर्ज नहीं किया कि विचार करेंगे। मैंने तो यह कहा कि मंत्रि-मंडल ने निश्चय किया कि रिबेट दी जाय इसलिये वह रिबेट तीन आने रुपये की दी जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि सिंचाई की दरों पर छूट देने की समस्या पर विस्तृत राय देने और सिफारिश करने के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो महीने भर के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे ?

श्री राममूर्ति—इस वक्त इसके ऊपर कोई विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पलेवा और चारे की फसलों से जो छूट अब समाप्त की गई है और जो पहले छूट दी गई थी इसके लिए कोई कमेटी बनी, किसी गवर्नमेंट की कमेटी ने ऐसा किया या कैबिनेट ने किया ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल के उत्तर में पढ़ा कि चूंकि पलेवा और चारे की फसलों पर वृद्धि नहीं हुई थी इसलिये उस पर रिबेट नहीं दिया गया।

तराई क्षेत्र में गन्ने के काश्तकारों को दो आने प्रति मन रिफंड का न मिलना

**२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह अपने वायदे के अनुसार तराई के उन गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के काश्तकारों को, जिनके गन्ने की 'रिकवरी' (recovery) की औसतन ९·६ प्रतिशत या अधिक रही है, दो आना प्रति मन रिफन्ड दिलवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---गन्ने की रिकवरी की जांच भारत सरकार कर रही है और अभी उस जांच की कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आ जाने पर यदि तराई क्षेत्र के संबंधित काश्तकारों को रिफंड दिलवाना न्यायसंगत हुआ तो उसके लिये समुचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि तराई क्षेत्र की काशीपुर आदि मिलों के मिल मालिकों ने अपनी दैनिक रिपोर्ट और मासिक रिपोर्ट में स्वयं यह माना है कि उनकी औसत रिकवरी ९.६ से अधिक रही है ? यदि हां, तो क्या उन मिलों के क्षेत्रों में काश्तकारों को दो आना मन अपने वायदे के अनुसार सरकार रुपया दिलवायेगी ?

श्री फूलसिंह---काशीपुर क्षेत्र के काश्तकारों के संबंध में अलबत्ता मिल मालिकों ने कुछ ऐसा लिखा है कि ९.६ के करीब रिकवरी हुई है। पर वह सारे तराई के संबंध में ऐसी बात नहीं लिखी है। इसकी जांच तो केंद्रीय सरकार करेगी और इस संबंध में भी प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चूंकि जब काशीपुर के मिल मालिकों ने स्वयं इस बात को माना है कि उनके यहां ९.६ रिकवरी हुई है तो क्या वहां दो आना मन वापस दिलवाने की घोषणा सरकार करेगी ?

नियोजन मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---काशीपुर के मिल मालिक मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अगर उनके यहां ९.६ से आगे रिकवरी रहेगी तो वह जो दो आने की कटौती गन्ने की है उसे शायद वह नहीं करेंगे और वह किसानों को पूरी रकम जो गन्ने की मिलनी है वह देंगे।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो काश्तकारों के गन्ने की रिकवरी है इसके मालूम करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध है कि किस काश्तकार के गन्ने की रिकवरी कितनी हुई है ?

श्री फूलसिंह---प्रबन्ध का कई सवाल नहीं है। जिस क्षेत्र में दो आने मन गन्ने का भाव कम किया गया था वहां यह भी तय किया गया था कि यदि रिकवरी ज्यादा होगी तो फिर वह पैसा दे दिया जायगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मिल बन्द होने के बाद हर मिल अपनी ऐन्युअल रिपोर्ट में कितनी किस मिल की रिकवरी है इम्पीरियल इंस्टीट्यूट आफ कानपुर के पास भेज देता है तो फिर सरकार को इतनी दिक्कत रिकवरी की जानकारी हासिल करने में क्यों हो रही है ?

श्री फूलसिंह---यह मिल की रिकवरी की बात नहीं है, बल्कि किसी क्षेत्र में गन्ने की रिकवरी की बात है कि क्या रिकवरी है और यह केंद्रीय सरकार को तय करना है और यह भी केंद्रीय सरकार को तय करना है कि दाम वापस देना है या नहीं देना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने जब पिछले वर्ष तराई क्षेत्र में दो आने मन गन्ने का दाम कम किया था तो उसी जी० ओ० में यह भी लिखा था कि जिन फैक्ट्री क्षेत्रों में ९.६ रिकवरी हो जायगी वहां दो आने मन वापस कर दिया जायगा ?

श्री फूलसिंह---यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं ।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर कलेक्टरी में माल के विचाराधीन मुकदमे

*१---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचेहरी जौनपुर में माल के कितने मुकदमे एक वर्ष से ऊपर के हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---ऐसे मुकदमों की संख्या ३१ मई, १९५६ को ३०५ थी ।

इलाहाबाद जिले में गवर्नमेंट रोडवेज

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले तथा नगर में कितने शेड्स गवर्नमेंट रोडवेज के बने हैं, जिनसे जनता को ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु में सुविधा मिलती है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---इलाहाबाद शहर में गवर्नमेंट रोडवेज के दो शेड बने हुये हैं और तीन नये शेड बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर तथा जिले में कौन-कौन सड़क पर गवर्नमेंट रोडवेज गाड़ी चलती हैं और किस पर प्राइवेट बसें चलती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

उन्नाव जिले में तहसील पुरवा के हाकिम परगना के इजलास में विचाराधीन मुकदमें

*४---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिला की तहसील पुरवा के हाकिम परगना के इजलास में कितने मुकदमें एक साल से अधिक मियाद से चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---कोई भी नहीं ।

गोवध निवारण अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियमों का प्रकाशन

*५---श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोवध निवारण अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना कर कब तक उन्हें विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किया जायेगा ?

नोट---तारांकित प्रश्न २-३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे ।

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—गोवध निवारण अधि-नियम बन चुके हैं और शीघ्र ही गजट में छापे जायेंगे। इन्हें सदन में रखने का कोई विचार नहीं है।

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गोवध निवारण अधिनियम जोकि प्रदेश भर में लागू हो गया है, बिना नियमों के बने उसके पालन में कोई अड़चन तो नहीं पड़ रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कोई बहुत ज्यादा उसकी शिकायत तो नहीं आयी है, लेकिन जल्दी की गयी है; वह तैयार हो चुका है। जैसा कि जवाब दिया गया वह जल्दी ही छप जायेंगे।

*६-८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[५ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ३४-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९-११—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[१४ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ३१-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

सुल्तानपुर जिले में वसूली विभाग के अमीन

*१३—श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले के वसूली विभाग में इस समय कितने अमीन स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कलेक्शन योजना के अन्तर्गत सुल्तानपुर उत्तर जिले में स्थायी अमीन नहीं हैं। कुल योजना ही अस्थायी आधार पर है। किन्तु ९४ अमीन साल भर के लिये और ५० अमीन फसली तौर पर नियुक्त किये गये हैं।

*१४—श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अमीनों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश आदि कौन-कौन से अवकाश दिये जाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अमीनों को ऐसी सभी तरह की छुट्टियां मिल सकती हैं जो अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को फाईनेंशियल हैंड बुक वाल्यूम २, पार्ट्स २-४ के नियम १५७-ए (सब्सीडियरी रूल) के अनुसार दी जाती है जैसे उपार्जित (Earned), चिकित्सकीय (Medical) और प्राधिकारिक (Privilege) छुट्टियां। इसके अलावा उन्हें बिना वेतन की भी छुट्टी मिल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल हैंड बुक, वाल्युम २, पार्ट्स २-४ के फंडामेंटल रूल ६७ के अनुसार छुट्टी बतौर हक के नहीं मांगी जा सकती है।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इन अमीनों के लिये यह भी निश्चित है कि तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहें, उनका तबादला हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि अस्थायी उनको नियुक्ति होती है। एक साल के लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति होती है, तो यह कोई प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में सदर पशु-चिकित्सालय की इमारत

*१५--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिला बोर्ड के पशु-चिकित्सालय की इमारत की हालत खराब है? यदि हां, तो सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिला बोर्ड के चिकित्सालय की इमारत के लिये आर्थिक सहायता कब देगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, गोरखपुर के सदर पशु-चिकित्सालय की इमारत की हालत खराब है, अतः सरकार ने इस अस्पताल की इमारत तथा उसको सुचारु रूप से चलाने के वास्ते १९५६-५७ में प्रान्तीयकरण करने का निश्चय किया है और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला बोर्ड गोरखपुर से परामर्श हो रहा है। प्रान्तीयकरण के होने पर उक्त चिकित्सालय की इमारत सुधारने-हेतु १८,४०० रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने इस निश्चय के पहले कि उस अस्पताल की इमारत का प्रान्तीयकरण किया जाय, जिला बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श किया था या नहीं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उस इमारत की हालत खराब हो चुकी है। इस साल के अन्दर जिन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हुआ है, उसमें गोरखपुर का अस्पताल है।

श्री इस्तफा हुसैन---माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल किया था कि इस निर्णय के पहले परामर्श हुआ था या नहीं? यह जो उत्तर में दिया गया कि परामर्श हो रहा है निर्णय के पश्चात्।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---जब निश्चय करेंगे उसके बाद ही परामर्श करेंगे। उनसे निगोशिएशंस कर रहे हैं कि वह स्वीकार कर लें ताकि हम प्रान्तीयकरण कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण करने के साथ-साथ जिला बोर्ड के सामने कोई शर्त भी रखी गई हैं?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है, वह फाइल इस समय नहीं है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह इमारत कब तक ढह जायगी?

श्री हुकुमसिंह ---मैं कोई माहिर नहीं हूं कि यह बतला सकूं कि यह कब तक गिर जायगी।

राजकीय उद्यानों की सुधार योजना

*१६---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां सरकारी गार्डेन्स हैं और उनके सुधार के लिये क्या योजना बनाई गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सरकारी गार्डेन्स हैं:---

(अ) मुख्य उद्यान---
(१) लखनऊ,
(२) आगरा,
(३) इलाहाबाद,
(४) फैजाबाद,

[श्री महम्मद रऊफ जाफरी]

(५) सहारनपुर,
(६) रामपुर।

(ब) छोटे उद्यान--

(१) गोरखपुर, विन्दवासनी प्रसाद पार्क,
(२) अलीगढ़, जवाहर पार्क,
(३) देहरादून, सर्किट हाऊस,
(४) वाराणसी, सिविल स्टेशन गार्डेन्स,
(५) इटावा, कम्पनी बाग।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक स्कीम सरकारी उद्यानों के सुधार के लिये शामिल की गई है। इस योजना के अनुसार सरकारी उद्यानों म निम्नलिखित सुधार किये जायेंगे :

(१) सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था जैसे ट्यूबवेल्स, पाईपलाइन्स, आदि ;
(२) बाग को जानवरों आदि से रक्षा करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना जैसे कांटेदार तार, दीवाल;
(३) धूल से बचाने और बाग को सुन्दर बनाने के लिये अच्छी सड़कों को बनाना;
(४) बाग के अन्दर अच्छे घास के मैदान और सुन्दर फूलों की क्यारियों का बनाना और उसकी रक्षा;
(५) कहीं-कहीं चिक हाउस और छोटे-छोटे तालाब का बनाना;
(६) मालियों के लिए क्वार्टर और दूसरी इमारतों का बनाना ।

*१७--**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या सरकार बतायेगी कि उन गार्डेन्स में से कौन-कौन गार्डेन्स का इस साल सुधार होगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--धन की व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त सभी गार्डेन्स में सुधार करने का प्रस्ताव है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा के बाग का नाम कम्पनी बाग कब तक चलता रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह--जब तक बदला न जाय ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चिक हाउस क्या चीज है जिसका जिक्र किया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी-- एक ढांचा होता है उसमें ऐसे पेड़ पौधे रखे जाते हैं जो ज्यादा धूप और पानी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम्पनी बाग का नाम बदलने के लिये इटावा के लोगों का प्रस्ताव आया था ?

श्री हुकुमसिंह--इस समय मेरी याददाश्त में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने नये बाग खोलने की योजना है ?

श्री हुकुम सिंह--अभी तो इनको ही दुरुस्त कर लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार का इरादा है कि कम्पनी बाग का नाम बदल दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह---अभी इस पर सोचा नहीं है।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार की कोई ऐसी भी स्कीम है कि हर जिले में एक सरकारी बाग हो जाय, जिससे उस जिले के रहने वालों को अच्छी मात्रा में नर्सरी के लिये पेड़ मिल जायं ?

श्री हुकुमसिंह---कुछ जिलों में तो नर्सरी खोलने की योजना है लेकिन हर जिले में ऐसे बाग बनाये जायं ऐसी कोई अभी योजना धनाभाव के कारण नहीं है।

*१८---**श्री शिवपूजनराय** (जिला गाजीपुर)---[३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया जाय।]

*१९-२०---**श्री उमाशंकर**---[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

नायब तहसीलदार सिधौली, जिला सीतापुर के अधीन दाखिल खारिज के मुकदमों की अधिकता

*२१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि नायब तहसीलदार सिधौली, जिला सीतापुर के यहां दाखिल खारिज की दरख्वास्तें लगभग ४,००० विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। परन्तु ऐसी दरख्वास्तों की संख्या इस समय २,९७७ है।

*२२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या माल मंत्री इस भारी कार्य को समाप्त करने के लिये किसी अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह प्रश्न भूमि-व्यवस्था कमिश्नर के विचाराधीन है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार को ज्ञात है कि इतनी भारी संख्या में मुकदमों के विचाराधीन रहने के कारण जनता को अत्यधिक आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे मुकदमे इकट्ठा न होने पावें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ये भी बहुत पुराने मुकदमे नहीं हैं। सन् १९५६ में एकदम से दाखिल खारिज के मुकदमों की तादाद बढ़ गयी। पहले केवल ४६० मुकदमे थे और इसमें भी बहुत से फैसल हो गये हैं और मई में उन्होंने दूसरा अफसर मांगा। उस पर विचार हो रहा है और शायद जल्दी ही उसकी नियुक्ति हो जायेगी।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ४ हजार मुकदमों में कितने ऐसे हैं जो सन् ५४-५५ से पड़े हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष---चार हजार तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने तो २,९७७ कहा है। आप फिर से सवाल कीजिये।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने मुकदमे इस वक्त पैंडिंग हैं उनमें से सन् १९५४-५५ के कितने हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---५४ का कोई नहीं है। ७ दिसम्बर, सन् ५५ का एक मुकदमा है जो सबसे पुराना है। बाकी सन् ५६ के हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मुकदमे इस वक्त पेंडिंग हैं ये किस प्रकार के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ये दाखिल खारिज के हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक नये तहसीलदार को भेजने का फैसला करने में कितने महीने और लगेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह लैण्ड रेफार्म कमिश्नर के पास है। तहसीलदार को भेजने के फैसले का सवाल नहीं होता है। यह तो अफसर अवेलेबिल होने पर हैं। दूसरे काम की वजह से उनको निकाल कर कहीं से दिया जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जायगी तो दे दिया जायगा।

*२३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

हिंडन नदी के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*२४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्डन नदी की बाढ़ से इस वर्ष तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के कितने गांवों को क्षति पहुंची है और सरकार ने बाढ़-पीड़ित गांवों की क्या-क्या सहायता की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में हिंडन नदी की बाढ़ से इस वर्ष ६७ गांवों पर प्रभाव पड़ा, परन्तु केवल १२ गांवों की आबादी में पानी आ गया था, जिससे लगभग ५०० मकान गिर गये। फसल को हानि नाम मात्र की ही हुई।

सरकार ने बाढ़-पीड़ितों में २,५०० रुपया अहेतुक सहायता तथा ५०,००० रुपये विपत्तिकालीन तकावी के रूप में बांटने के लिये स्वीकृत किया है। जिलाधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाने का प्रबन्ध किया। जहां आवश्यकता थी, वहां नावों का भी प्रबन्ध किया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ढाई हजार अहेतुक सहायता और ५० हजार रुपये जो तकावी के लिये मंजूर किये गये उसमें से कितना रुपया अभी तक बांटा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री बलवन्तसिंह— क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने ऐसी क्या स्कीम बनाई है कि इस इलाके में आयन्दा बाढ़ से मकानात को नुकसान न हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो सारे प्रदेश में एक योजना ऊंचे स्थान पर मकान बनाने की चल रही है उसी के हिसाब से यहां भी होगा।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो तकाबी के लिये ५० हजार रुपये दिये गये हैं यह इंटेरेस्ट फ्री होगा या इंटेरेस्ट के साथ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तकावी मकानों के लिये है और मैं यह ठीक नहीं समझता कि सूद मिलेगा कि नहीं, जहां तक मुझे ख्याल है कि इस पर इंटेरेस्ट लगेगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १२ गांव पानी से डूब गये थे उनकी सारी फसलें बरबाद हो गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने पहले ही अर्ज किया है कि फसलों का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पानी थोड़ी देर रहा और फिर निकल गया। इसलिये पहले तो पानी ज्यादा वर्षा नहीं था और खरीफ की फसल बहुत सी जगह बोई भी नहीं गयी थी। थोड़ी सी ईख वगैरह की फसल थी उसमें से पानी निकल गया इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५० हजार रुपये तकावी के लिये जो दिये गये हैं उनको उन भूमिहीनों को जिनके मकान गिर गये हैं, इंटेरेस्ट फ्री देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह नहीं कह सकता कि यह इंटेरेस्ट फ्री है या नहीं। यह सही है कि कुछ रकमें इंटेरेस्ट फ्री होती हैं और कुछ पर इंटेरेस्ट लिया जाता है। इस खास रकम के बारे में मुझे सूचना इस समय नहीं है कि इंटेरेस्ट फ्री है या नहीं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी योजना है कि बाढ़ क्षेत्रों में जहां हर साल बाढ़ आती है उन गांवों को उस योजना के अनुसार फिर से बसाया जाय?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया कि उनको ऊंचा किया जाता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपये बाढ़-पीड़ितों के लिये दिया गया है इसमें कितना रुपया भूमिहीनों को जिनके मकान गिर गये हैं वितरित किया जा चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें से सबको दिया जा सकता है, दिया जायगा जिसकी जितनी जरूरत होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी इन ६७ गांवों में जो बाढ़ का प्रभाव पड़ा उसके लिये ढाई हजार रुपये की अहेतुकी सहायता कम है इसको ध्यान में रखते हुये उक्त सहायता की रकम को बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी वहां से कोई विशेष दरख्वास्तें नहीं आयीं।

*२५-२६—श्री रामचन्द्र विकल—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२७ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३०—श्री व्रजभूषण मिश्र—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज में यात्रियों की खोई वस्तुओं का संरक्षण

*३१—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज में खोई हुई यात्रियों की सम्पत्ति जमा होने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उस सम्पत्ति का क्या होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ऐसी सम्पत्ति को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और साबित करने पर मालिक को वापस कर दिया जाता है, वर्ना नीलाम कर दिया जाता है।

नोट—तारांकित प्र० ३१ श्री रामेश्वरलाल ने पूछा।

श्री तुलाराम रावत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सुरक्षित स्थान कौन-सा है जहां यह सामान रखा जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हमारे वर्कशाप के स्टेशन्स हैं वहां रखा जाता है और पुलिस के थानों में रखा जाता है। अधिकतर पुलिस के थानों में रखा जाता है।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सामान कितने दिनों तक सुरक्षित रखने के बाद नीलाम किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो नीलाम किया जाता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—जो खोई संपत्ति जमा कर दी जाती है उसके प्रकाशन का भी क्या कोई प्रबन्ध है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। अपने स्टेशनों पर बोर्डों पर लिख दिया जाता है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब माल नीलाम हो जाता है तो जो पैसा उससे वसूल होता है वह कहां जमा होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकारी खजाने में।

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार इस संपत्ति को जो रह जाती है समाचार-पत्रों में प्रकाशन करने के कुछ प्रबन्ध पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद कुछ संपत्ति ऐसी होगी कि उसका सारा पैसा प्रकाशन में खत्म हो जायगा और उस बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा।

जेड० ए० सी० तथा ए० आई० टी० नायब तहसीलदारों का हाउस एलाउन्स

*३२—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जेड० ए० सी० नायब तहसीलदारों को हाउस अलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना रुपया प्रति माह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, १५ रु० प्रति माह।

*३३—श्री रामस्वरूप—क्या माल मंत्री कृपा कर यह भी बतायेंगे कि कलेक्शन तथा ए० आई० टी० नायब तहसीलदारों को भी हाउस एलाउन्स मिलता है ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति माह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, क्लेक्शन नायब तहसीलदारों को १५ रु० प्रतिमाह अथवा उस दर से जिससे रेगुलर लाइन के नायब तहसीलदारों को मिलता हो, दोनों में जो भी कम हो, तथा ए० आई० टी० नायब तहसीलदारों को १८ रु० प्रतिमाह।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ जिलों में ए० आई० टी० के नायब तहसीलदारों को हाउस एलाउंस ज्यादा मिलता है और कुछ को कम ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ऐसा है। उन ए० आई० टी० के नायब तहसीलदारों को भत्ता मिलता है जो रेगुलर लाइन्स से आये हैं और जो ऐडीशनल बाद में रखे गये हैं उनको उतना नहीं मिलता।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ए० आई० टी० के कुछ नायब तहसीलदारों को ज्यादा क्यों मिलता है और कुछ को कम क्यों मिलता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनकी सर्विसेज भिन्न-भिन्न हैं। जो और कामों पर थे और यहां अस्थायी तरीके से रखे जाते हैं और ए० आई० टी० के नायब तहसीलदार बनाये जाते हैं इसलिये उनको १८ रुपया दिया जाता है बाकी को १५ रुपये।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेम्पोरेरी हैंड्स जो हैं उन को मकान का किराया दिलाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मामला तो फाइनेंस से संबंध रखता है। जब फाइनेंस विभाग मंजूरी दे देता है तभी उनको मिलता है। फाइनेंस विभाग ने कह दिया कि उनको नहीं दिया जा सकता इसलिये नहीं दिया गया।

पूर्वी जिलों में गंगा एवं घाघरा के कटाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर जी पांडेय ने भेजा है। जो इस प्रकार है—"यों तो गंगा, घाघरा तथा राप्ती के प्रलयंकारी कटाव के कारण प्रदेश के लाखों मनुष्य गृह विहीन तथा रोजी विहीन होकर शरणार्थियों से बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं पर सम्प्रति बलिया जिले के बलिया नगर तथा सुरेमनपुर के स्टेशन के असंख्य के लगभग १६ मीलों में गंगा एवं घाघरा के भीषण कटाव से हजारों परिवारों के घर तथा खेत नदी के पेटे में चले जा रहे हैं। बलिया नगर के कटने के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण रुपये तथा संपत्ति की हानि होने वाली है। जिलाधीश तथा राजनैतिक नेताओं के बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद प्रदेशीय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी संकटापन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

माननीय सदस्य ने मेरे पास इसके साथ कुछ अखबारों की कटिंग भी भेजी है और श्री गौरी शंकर का एक तार भी भेजा है जिसमें लिखा है कि "गेंजेज कटिंग मोस्ट फ्यूरियसली एट बलिया" शाहपुर और बहुत से गांवों के नाम भी तार में दिये हुये हैं। यह तार आदि माननीय सदस्यों ने इस तरह से सबूत के लिये दिये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि इसमें उनको कोई आपत्ति है ?

***सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—मान्यवर, ऐसे तो कुछ थोड़ी सी सूचना मेरे पास है लेकिन यह मुझे पौने ग्यारह बजे मिला है। यदि आपका आदेश हो तो मैं एक दो दिन में इसकी रिपोर्ट मंगाकर हाउस में पेश कर दूंगा, इस समय मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है उसको मंगाना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे अपने ढंग से है, उसे यदि आप कहें तो, मैं आज कह दूं या उस रोज पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आपको इस कामरोको प्रस्ताव के लाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपत्ति इस माने में है कि वह सारी समस्या जो कुछ भी है वह उस ढंग की नहीं है जिस ढंग से कि यह प्रस्ताव के द्वारा लायी गयी है। इसलिये यह प्रस्ताव काम रोकने के लायक नहीं है। वह पूरी रिपोर्ट यदि आप चाहते हैं तो कुछ समय मिलने पर मैं यहां पेश कर दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामसुन्दर पांडेय से) अब आप बतलाइये कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक दो रोज में जानकारी करने के बाद वह पूरा विवरण दे देंगे तो आप संतुष्ट हैं या आप अब भी प्रस्ताव को प्रेस करते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, हमारी इच्छा तो ऐसी ही है कि हम इसको प्रेस करें ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको इस प्रस्ताव के उपस्थित करने की इजाजत देता हूं कि आप सदन से उस पर बहस के लिये अनुमति प्राप्त करें, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित और साथ ही महत्व का भी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो गंगा, घाघरा, राप्ती तथा नारायणी के कटाव के कारण लाखों लोग गृहहीन और रोजी विहीन हो रहे हैं लेकिन श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके जरिये से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में गंगा, घाघरा, राप्ती नारायणी और गंडक छोटी जो नदियां हैं इन नदियों के कटाव से लाखों मनुष्य और उनके खेतों को इन नदियों ने अपने पेटे में ले लिया है और सरकार की ओर से इनको रोकने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है । उधर के जितने माननीय सदस्य बलिया की तरफ के श्री राधामोहन सिंह व अन्य लोग हैं और महामन्त्री श्री तारकेश्वर पंडित जी, उनका ध्यान इस ओर दिलाया और उनसे बात करने पर और श्री चन्द्रशेखर सिंह जी से बातचीत करने पर जब मुझे बलिया जाने का मौका मिला तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो कटान बलिया जिले में हो रहा है और सुरेमनपुर स्टेशन की तरफ जारी है रेलवे लाइन केवल एक दो फर्लांग तक तो बच गयी है लेकिन अगर उसकी गति उसी प्रकार जारी रही और यह कटाव होता रहा तो रेलवे लाइन टूट जायगी, जिसके कारण करीब चार लाख की आबादी जो उस तरफ है उस सब आबादी में पानी ही पानी हो जायगा । साथ ही बलिया शहर के दक्षिण गंगा नदी बहती है और उसके कटान को पुरानी सरकार ने ठोकर बना कर बलिया शहर को बचा दिया है । इस तरफ जो गंगा बह रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा बलिया शहर के उत्तर चली जायगी, जिससे बलिया शहर टापू बन जायगा या कट जायगी जिससे वहां की जनता की और सरकार की करोड़ों की सम्पत्ति विलीन हो जायगी । कई माननीय सज्जनों ने साफ कहा है कि सरकार को बाढ़ आने से पहले, अक्टूबर के पहले, इन्तजाम करना चाहिये । जिलाधीश बलिया ने कहा है कि हमारे अधिकार की बात नहीं है । लाखों रुपया इसमें खर्च होगा । श्री राधामोहन सिंह जी का बयान भी स्पष्ट है जो इसमें नत्थी है और उन्होंने भी मार्मिक अपील की है । श्री तारकेश्वर पांडे और श्री चन्द्रशेखर जी ने भी काफी लम्बा बयान देकर इस ओर ध्यान दिलाया है । यहां करोड़ों की सम्पत्ति का नाश होने वाला है । इस महत्वपूर्ण विषय में मैं निवेदन करूंगा कि सदन विवाद की अनुमति प्रदान करे ।

श्री अध्यक्ष---जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वे कृपा कर अपनी सीटों पर खड़े हो जावें ।

(केवल १८ सदस्य खड़े हुये)

१८ की संख्या जो है पर्याप्त नहीं है, ३६ होनी चाहिये । इसलिये सदन की अनुमति नहीं है ।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ पर विचारार्थ कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मैं कल इसी विषय पर सूचना दे चुका हूं, अब श्री व्रजभूषण मिश्र उसके सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव उपस्थित करेंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन, विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्श दात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति नहीं है ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो ठीक है । यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।

प्रदेश में सूखा के सम्बन्ध में वक्तव्य

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले शुक्रवार को माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि माल मंत्री जी से विचार करने के बाद इस सदन को जानकारी सूबे में सूखा की बहुत बड़े पैमाने में जो हालत है उसके बारे में कराई जायगी और यदि आवश्यकता हुई तो उस पर विवाद के लिये भी मौका दिया जायगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक क्या सूचनायें प्राप्त की हैं । मैंने तो स्वयं एक दिन बहुत दूर तक दौड़ कर देखा है, जो सूचनायें मैंने प्राप्त की हैं वे अधिकारियों की तो नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी सूचनायें दे और सदन को इस पर विचार करने के लिये मौका मिले ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सूचनायें मंगाई हैं और स्टेटमेन्ट करीब-करीब तैयार है । मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय और दे दें । या तो जलपान के बाद या कल मैं अपना स्टेटमेन्ट यहां दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष---कल सवेरे आप दे दें क्योंकि सवेरे को ही मैं वक्त दे सकता हूं, प्रश्नों के बाद । तो तब उसके ऊपर स्टेटमेंट हो जायगा ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि कल वह वक्तव्य दे देंगे परन्तु यदि आप भी थोड़ी सी सहायता प्रदान करें और सरकार में भी सदबुद्धि आ जाय तो महान् कृपा होगी । कुछ समय इस पर विवाद के लिये दे दें क्यों कि यह एक गम्भीर प्रश्न है और अपोजीशन में इतनी तादाद नहीं है जिससे वह एडजर्नमेंट मोशन ला सके । श्रीमान्, से विशेष रूप से मेरा यह अनुरोध है कि वे सरकार को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह इसके लिये थोड़ा सा समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष---आज मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं इसलिये वह इसके लिये कह भी न सकेंगे । क्या माननीय माल मंत्री जी यह बता सकेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री कब तक आ सकेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कल तो निश्चय ही आ जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आप भी उनसे बातचीत कर लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

खण्ड २

परिभाषायें

२—विषय अथवा प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:—

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा १० के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण बोर्ड से है;

(२) "कर्मचारी" (employee) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान (industrial establishment) में कुशल, अथवा अकुशल (skilled or unskilled), हस्तश्रम (manual) अथवा लिपिक (clerical) संबंधी किसी काम के करने के निमित भाड़े (hire) अथवा पुरस्कार (reward) पर नियुक्त किया गया हो;

(३) "नियोजक" (employer) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान में स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा अपनी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से एक अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

ऐक्ट ६३, १९४८

(क) किसी फैक्ट्री में, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा ७ (i) (f) के अधीन मैनेजर बताया गया हो;

(ख) सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकारी (authority) के अधीन संचालित किसी औद्योगिक अधिष्ठान (establishment) में, कोई ऐसा व्यक्ति अथवा प्राधिकारी (authority) जिसे कर्मचारियों के निरीक्षण (snpervision) तथा नियंत्रण (control) के लिये नियुक्त किया गया हो अथवा, जहां कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, वहां विभाग का अध्यक्ष (Head of the department); और

(ग) किसी अन्य औद्योगिक अधिष्ठान में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कर्मचारियों के निरीक्षण (supervision) तथा नियंत्रण अथवा मजदूरी (wages) का भुगतान करने के निमित्त स्वामी के प्रति उत्तरदायी हो;

(४) "निधि" (fund) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम-कल्याण निधि (Uttar Pradesh Industrial Labour Welfare Fund) से है;

(५) "फैक्ट्री" का तात्पर्य फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा 2 (m) में परिभाषित किसी फैक्ट्री से है;

(६) "औद्योगिक अधिष्ठान" (Industrial establishment) का तात्पर्य किसी फैक्ट्री, बगीचे (plantation)

*१२ दिसम्बर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

अथवा अन्य किसी ऐसे अधिष्ठान से है, जिसे राज्य सरकार इस रूप में प्रख्यापित करे;

(७) "निरीक्षक" (Inspector) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक से है;

(८) "नियत" (prescribe) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(१०) "मजदूरी" (wages) का तात्पर्य उस समस्त पारिश्रमिक (remuneration) से है, जिसे धन के आंकड़ों में व्यक्त किया जा सके, और जो यदि नियोजन (employment) की व्यक्त (expressed) अथवा उपलक्षित (implied) शर्तें पूरी हो जायं तो, नियुक्त व्यक्ति को, अपने नियोजन (employment) अथवा इस प्रकार के नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हों, परन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:—

(क) निम्नलिखित का मूल्य:—

(१) गृह आवास (House accomnodation), बिजली तथा पानी की सप्लाई और चिकित्सा व्यवस्था; अथवा ;

(२) राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निष्पादित कोई अन्य सुविधा (amenity) अथवा सेवा ;

(ख) नियोजक द्वारा सेवा निवृत्ति निधि (pension fund) अथवा प्रावधायी निधि (provident fund) अथवा किसी सामाजिक बीमा योजना के लिये दिया गया कोई अंशदान (contribution);

(ग) कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा के लिये दी गयी किसी रियायत का मूल्य;

(घ) कोई ऐसी धनराशि, जो नियुक्त व्यक्ति के नियोजन (employment) के प्रकार (nature) के कारण उस पर होने वाले विशेष व्ययों की पूर्ति के लिये उसे दी जाय;

(ङ) सेवा मुक्त (discharge) होने के समय देय कोई अनुग्रह धन (gratuity);

(११) "अदत्त संचय" (unpaid accumulation) का तात्पर्य उन समस्त मजदूरियों (wages) से है जो किसी कर्मचारी को देय हों परन्तु उसे दी न गयी हों, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) प्रावधायी निधि (provident fund) में नियोजक का पूर्ण अथवा आंशिक अंशदान और;

(ख) किसी सेवा मुक्त (discharged) कर्मचारी को देय कोई अनुग्रह धन (gratuity); तथा

(ग) किसी कर्मचारी को देय कोई बोनस;

(१२) "कल्याण आयुक्त" (Welfare Commissioner) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त से है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" और शब्द "श्रम-कल्याण बोर्ड" के बीच में शब्द "औद्योगिक" बढ़ा दिया जाय।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" और शब्द "श्रम कल्याण बोर्ड" के बीच में शब्द "औद्योगिक" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ६ में "पुरस्कार" व शब्द "पर" के बीच में शब्द "अथवा ठेके" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें और बातें तो कही गयी हैं लेकिन फैक्ट्री के अन्दर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं और जबकि फैक्ट्री ऐक्ट में यह मान लिया गया है कि फैक्ट्री के अन्दर जो भी आदमी काम कर रहा होगा, उसके साथ फैक्ट्री ऐक्ट लागू होगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरा में भी इस के फैसले हो चुके हैं और इस प्रकार के वर्कर्स को फैक्ट्री वर्कर्स मान लिया गया है। इसलिये उनको भी वही सुविधायें मिलती हैं जो फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स को मिलती है। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है।

आचार्य जुगलकिशोर---इस संशोधन के सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि जो सुझाव रक्खा गया है वह "नियोजक" शब्द में आ जाता है। उसके लिये बिल में लिखा गया है---

"नियोजक का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान में स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा अपनी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से एक अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता हो।"

इन्हीं शब्दों में माननीय अवस्थी जी का जो सुझाव है वह आ जाता है। वैसे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती।

*श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय अवस्थी जी ने सदन के सामने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो ठेके पर काम करते हैं, उनके लिये इसमें साफ शब्द नहीं हैं। क्योंकि यह शब्द उसके अर्थ को और भी अस्पष्ट कर देता है। इसलिये उसको बिला मतलब भी रख लिया जायगा कोई हर्ज नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो परिभाषा इसमें कर्मचारियों की दी गयी है उसमें जो शब्द रक्खे गये हैं---वे हैं "कुशल, अकुशल, हस्तश्रम, लिपिक संबंधी काम करने वाले व पुरस्कार पर नियुक्त किये गये।" इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें जो कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं वे इसमें शामिल नहीं है। इस शब्द के रक्खे जाने से जो कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं वे भी शामिल हो जाते हैं। जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, कभी-कभी कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करता है जैसा कि हम अपने यहां प्रोसीडिंग्स में इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो प्रोसीडिंग हमारे सदन की है उसको कहीं भी किसी कोर्ट में डाईरेक्ट एविडेंस नहीं माना जाता है जबकि किसी कोर्ट में किसी शब्द का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कई बार कोर्ट की रूलिंग भी हो चुकी है। इसलिये माननीय मंत्री जी को जब कि कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, तो जब उनको आपत्ति नहीं है तो इसको अलग से स्पष्ट कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे संशोधन को मान लें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने खुद ही कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ये शब्द बढ़ा दिये जाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे क्लर्कों के लिये उन्होंने माना है, और लोगों के लिये माना है, तो ठेकेदारों के यहां काम करने वाले के लिये भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं मालूम होती। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता था, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि "नियोजक" शब्द में यह शब्द आ जाते हैं। यदि स्पष्ट नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ६ में शब्द "पुरस्कार" व शब्द "पर" के बीच में शब्द "अथवा ठेके" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप-खंड (१०) की पंक्ति ८ के कुल शब्द निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१०) के भाग (क) (ख) (ग) (घ) और (ङ) निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यहां पर वेजेज की परिभाषा की गयी है। वैसे तो मुझे इसमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है क्योंकि इसके रखने से और न रखने से कोई मतलब नहीं होता। अगर्चे इस को नहीं रखा जाय तो एक बात यह हो सकती है कि कुछ गलतफहमी जो लोगों में पैदा हो सकती है वह गलतफहमी नहीं पैदा होगी, क्योंकि तनख्वाह का मतलब वेजेज दिया गया है और आठवीं लाइन के नीचे के खंडों में सब बातें लिखी हुई हैं, इससे वहां कोई ऐसी बात नहीं निकलती है। बल्कि उससे दिमाग में जरा कंफ्यूजन होगा, इसलिये इस धारा को अगर निकाल दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा (क), (ख), (ग) का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में जो सुझाव रखे गये हैं, मैं समझता हूं, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है, परन्तु अगर यह हटा दिये जायं तो वेजेज का कहीं न कहीं डेफिनिशन होना चाहिये और इसलिये अगर इसके बजाय यह लिख दिया कि "वेजेज" जो पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में बतलाया गया है या व्यक्त किया गया है", ये शब्द अगर आ जायं तो सम्भव है इसकी कोई आवश्यकता न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सुझाव रखे गये हैं उसकी मैं इस हद तक मुखालिफत करता हूं कि इसके रखने से कोई हानि नहीं है और अगर इसको हटा दिया जाय तो इसके एवज में कुछ शब्दों का आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं "वेजेज" का डेफिनिशन आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इसलिये आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---मेरा सुझाव है कि अगर इसके हटाने की बात हो और माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाय तो इसके एवज में यह रख दिया जाय "पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट का जो डेफिनिशन दिया गया है" वह इसमें रख दिया जाय उसमें सब बातें दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष---आप को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ? आप कोई और संशोधन इसकी जगह लाना चाहें तो वह बता दें।

श्री जगन्नाथमल्ल---अध्यक्ष महोदय, इसको इस समय थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसे स्थगित किये देता हूं, थोड़ी देर में वह ले लिया जायगा। संशोधन ५ भी अभी नहीं लिया जायगा।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) के भाग (क) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:---

"(क) प्रावधायी निधि में कर्मचारी का वह अंश जो उसे मिलना है।"

अब तक इसमें यह है कि "प्राविधायी निधि में नियोजक का पूर्ण अथवा आंशिक अंशदान और" यह है। मैं चाहता हूं कि यह और जरा साफ हो जाय क्योंकि प्रावधायी निधि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और ऐक्ट में यह है कि वह ५ साल तक इतना मिलेगा और दस वर्ष तक इतना देंगे और निकाल देंगे तो नहीं देंगे और मालिकों का जो हिस्सा होगा वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास चला जायगा, मैं समझता हूं इस सब में दिक्कत होगी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्रान्तीय सरकार के बीच में झगड़ा चलेगा और काफी रुपया बहुत दिन तक झगड़े में पड़ा रहेगा। इसलिए उस चीज को साफ करने के लिए मैंने यह रखा है कि "प्राविधायी निधि में कर्मचारी का वह अंश जो उसे मिलना है" यह रख दिया जाय और बाकी वही रहे। इसलिए मैं कहूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसके बाद में जो शब्द "और" है, वह रहेगा ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---जी हां।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों का प्रयोग बिल में किया गया है उसमें नियजकों की तरफ से जो अंश दिया जाता है वह भी शामिल है, अगर इसको मान लिया जाय तो केवल वही अंश उनको दिया जायगा जिसके वह लेने के अधिकारी होंगे या जो श्रमिकों ने दिया होगा। मैं समझता हूं यह लिमिट कर दिया गया है। प्राविडेंट फंड ऐक्ट में जो इस प्राविडेंट फंड की परिभाषा दी गई है उसमें नियोजकों और श्रमिकों दोनों का हिस्सा शामिल है और जो बकाया रह जाता है उसमें भी दोनों का ही शामिल होगा इसलिये ऐसा कर देने से नियोजकों की ओर से जो फंड जमा होगा वह शायद उसमें न आ सकेगा। आशा करता हूं वह इसको वापस लेंगे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, अगर वैसा है तो मैं इसको विद्ड्रा किए लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (कक) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(कक) किसी कर्मचारी को नियोजक द्वारा देय कोई आवास भत्ता।"

इधर कुछ कारखानों में जो नये एवार्ड हुए हैं उनमें कुछ श्रमिकों को मकान मिलना भी निश्चय हुआ था और उसमें जिन लोगों को मकान न मिला उनको कुछ धन एवज में दिया जाता है। तो ऐसी दशा में यदि इस मकान भत्ते को हम उसमें नहीं जोड़ते हैं तो दिक्कत होगी कि मजदूरी का पैसा तो उसमें आयेगा, लेकिन मकान का पैसा नहीं आ सकता है। इसलिये मैंने सोचा अच्छा है कि मकान का भत्ता भी इसमें जोड़ दिया जाय।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन् जो संशोधन माननीय अवस्थी जी ने सदन के सम्मुख पेश किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। जहां तक कि मिलों का सवाल है काटन मिल की मैं नहीं जानता कि मजदूरों को वहां पर मकान का किराया मिलता है या नहीं, लेकिन जहां तक चीनी मिलों का सवाल है मैं समझता हूं कि करीब-करीब सभी मिलों में चीनी मिलों के मजदूरों को मकान का किराया मिलता है। वह इसलिये कि चीनी मिलें देहातों में बनी हुई हैं और वहां पर मिल मालिक या तो मकान बनाते हैं और जो मजदूर उनमें रहते हैं उनको भत्ता नहीं मिलता लेकिन जिन लोगों को मिल मालिक मकान नहीं दे पाते उनको हाउस एलाउन्स दिया जाता है। इसलिए वह भी एक ऐसी रकम है जो कि इस फंड में आना चाहिये, अगर्चे मिल मालिक ने उस रकम को उस मजदूर को नहीं दे दी है जिस मजदूर को उसे पाना था। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह से हमारे फंड की बढ़ोतरी होगी और यह एक ऐसी चीज है जिससे काफी रुपया इस फंड में आ जायगा और मिल मालिक को कोई अधिकार नहीं है कि वह रकम अपने पास रक्खें या अपने मतलब के लिये सर्फ करे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को जो अवस्थी जी ने प्रस्तुत किया है स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर— मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (११) के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (कक) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(कक) किसी कर्मचारी को नियोजक द्वारा देय कोई आवास भत्ता।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) में भाग (ग) के बाद नये भाग (घ) तथा (ङ) निम्न प्रकार बढ़ा दिये जायं:—

"(घ) किसी कर्मचारी को देय कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा के लिये दी गई किसी रियायत का मूल्य।

(ङ) किसी कर्मचारी को देय कोई धन।"

श्रीमन्, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अवस्थी जी के उस संशोधन को स्वीकार किया है ठीक उसी प्रकार यह भी संशोधन है। अगर्चे कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री के काम से यात्रा करता है और यात्रा का भत्ता उसको नहीं मिल पाता है तो उसको भी इस फंड में जमा कर लेना चाहिये उसी प्रकार जिस प्रकार कि मकान के एलाउन्स का उपयोग मिल मालिक को करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें तो श्रीमन् और भी बात आ जाती है क्योंकि अगर्चे यात्रा की है किसी मजदूर ने तो उसने अपने पास से पैसा खर्च किया। तो इसमें तो और भी ऐसी बात आ जाती है कि चूंकि उस मजदूर ने पैसा खर्च किया है और अगर किसी कारण उसको वह पैसा नहीं मिल पाया है तो मिल

[श्री जगन्नाथमल्ल]

मालिक को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उस पैसे का उपयोग कर सके। यह भी मजदूरों की भलाई के काम में आना चाहिए। दूसरा जो मेरा खंड (ङ) है उसमें मैंने यह कहा है कि किसी भी प्रकार का अगर्चे मजदूर का बकाया है जिसे शुगर फैक्ट्री में श्रीमन्, लकड़ी और तेल का पैसा मिलता है और जो बहुत से इस किस्म के एलाउन्सेज हैं वह मिलते हैं तो इस प्रकार की कोई रकम अगर मजदूर को देय हो और उसको नहीं मिली हो तो मैं समझता हूं कि उसको जरूर इस कोष में ले लिया जाय जिससे कि मजदूरों के वेलफेयर के काम में बढ़ोतरी हो सके। उसका भी उपयोग करने का अधिकार मिल मालिक को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी पेश किया गया है मैं समझता हूं उसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि निश्चित रूप से यात्रा भत्ता के बारे में जब तक कि कोई नियम न मालूम हों कि किन आधारों पर और किन नियमों के अनुसार ये भत्ते दिये जाते हैं तब तक यह निश्चित करना बहुत मुश्किल हो जायगा और इसमें मैं समझता हूं कि कोर्ट में भी यह मामला ले जाया जा सकता है और फिर वह धन बहुत कम होगा जो इस संशोधन के भीतर आयेगा। इसके अलावा अनिश्चितता होने के कारण बहुत सी गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं जिसके सबब से अदालत में मामला जायगा कि यह भत्ता देय है या नहीं है। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की इस बात को सुनकर मुझे कुछ अचम्भा भी हुआ और कुछ नहीं भी हुआ। अचम्भा तो इसलिए हुआ कि यह संशोधन जो है यह ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अवस्थी जी का संशोधन है। माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि कोर्ट में मामला जायगा। लेकिन हर एक फैक्ट्री में टी० ए० रूल्स बने हुए हैं। कोई ऐसी फैक्ट्री माननीय मंत्री जी बता दें कि जहां टी० ए० रूल्स न हों। हर जगह टी० ए० रूल्स बने हुए हैं और उस हिसाब से जिस ग्रेड का मजदूर किसी यात्रा पर जाता है उसको टी० ए० फैक्ट्री देती है। तो इसमें जांच पड़ताल करने की भी कोई बात नहीं है। अगर्चे उसको टी० ए० नहीं मिला है तो उसका उतना पैसा फैक्ट्री के पास बकाया रह जाता है। वह उसे मिलना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि या तो माननीय मंत्री जी की समझ में यह नहीं आ रहा है या वह मुझे समझा नहीं पा रहे हैं या मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं यह कहता हूं श्रीमन्, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि यह विरोधी दल की तरफ से आया है तो इसको न मानें। अगर ऐसा ख्याल है उनका तो मैं समझता हूं कि कोई उचित चीज नहीं है क्योंकि अगर्चे मकान का भाड़ा बकाया है मिल मालिकों के पास तो उसको उस फंड में आ जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि अगर रेलवे का एलाउन्स किसी का बाकी है तो वह क्यों नहीं आना चाहिए। अगर किसी को मकान का भाड़ा मिलता है और लकड़ी और तेल का पैसा मिलता है तो वह क्यों नहीं आना चाहिये यह मेरी समझ में नहीं आया। इसमें सिवाय इसके कि माननीय मंत्री जी का यह ख्याल हो कि चूंकि अपोजीशन से यह आया है इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए और कोई बात नहीं हो सकती। तो अगर यह आपकी मंशा है तो दूसरी बात है। लेकिन मजदूरों की भलाई के लिए अगर माननीय मंत्री जी सोचते हों तो इससे इसमें काफी रकम आ सकती है। बहुत काफी आदमियों का टी० ए० कम्पनियां रोक रखती हैं और देती नहीं हैं। तो इंकार तो कर नहीं सकते क्योंकि जब वह आदमी किसी फैक्ट्री के काम से जाता है तो उसको लिखित मिलता है कि तुम फलां जगह जाओ और यह काम करके चले आओ। इसके बाद वह जानबूझकर कई आदमियों का टी० ए० रोक रखते हैं। तो जब कोई

इस तरह की चीज हो जायगी तो उनको रोकने का अधिकार नहीं रहेगा और उसमें कोई झगड़े की बात नहीं हो सकती। अदालत में जाने की भी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि जो भी लोग जाते हैं उनके लिए टी० ए० रूल्स बने हुए हैं। जैसे हम लोगों के लिये बने हुए हैं कि आने-जाने का किराया मिलेगा और एक दिन ठहरने का इतना पैसा मिलेगा उसी तरह से हर एक फैक्ट्री में हर ग्रेड के मजदूरों का टी० ए० का रूल बना हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि उनको कहां दिक्कत दिखाई देती है और अगर्चे इसमें उनको दिक्कत दिखाई देती है तो वह जो दूसरा खंड है उसमें कहां दिक्कत है। क्योंकि उसमें तो लिखा है कि कोई भी धनराशि अगर मजदूरों की मिल मालिकों के यहां बाकी है तो वह इस फंड में ले ली जायगी। तो उसमें कहां दिक्कत दिखाई देती है? मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि उपखंड (११) में 'अदत्त संचय, अनपेड ऐक्युमुलेशन' जो आपने दिया उसको खंड ३ के अनुसार आप इस निधि में शामिल करना चाहते हैं तो मैं यह जान नहीं पाया कि जो उसको न दिया गया हो और जब वह मर गया तो उसके वारिस को भी नहीं दिया गया हो तो क्या वह रकम वारिस को नहीं मिलेगी, फंड में चली जायगी, जरा इसको भी बतला दें। यह मुझे इसलिए स्ट्राइक हुआ कि बहुत सी चीजें आप मिलाते चले जा रहे हैं। एक संशोधन है आपका। खैर, अभी उसका प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि संशोधन सदन के सामने बाद में आ जायगा।

श्रम मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने इसका विरोध किया इसलिए नहीं कि विरोधी दल की तरफ से आया है। मैं समझता हूं कि इससे सिवाय इस बात के, कि अनिश्चित रकम के बारे में और यात्रा किन सूरतों और हालतों में की गयी है, कहां तक वह उसका अधिकारी है या नहीं, ऐसे प्रश्न उठेंगे, इसलिये मैंने समझा कि इसके लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे विषय इसमें रखे गये हैं जो साधारणतया उसके हित में हैं। अभी मैंने स्वीकार कर लिया है कि ऐसी कोई धनराशि हो जिसके बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह उनको मिलनी चाहिए तो वह उसमें शामिल हो सकती है। भत्ता जो है वह एक अनिश्चित तरीके का होता है। मुमकिन है कि अगर किसी को भेजा गया तो लेबर की हैसियत से नहीं भेजा गया हो, किसी और हैसियत से भेजा गया हो। इसकी अनिश्चितता के कारण ही इसका विरोध किया गया है और इसके स्वीकार करने से कानून को चलाने में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (११) में भाग (ग) के बाद नये भाग (घ) तथा (ङ) निम्न प्रकार बढ़ा दिये जायं :—

"(घ) किसी कर्मचारी को देय कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा के लिए दी गयी किसी रियायत का मूल्य।

(ङ) किसी कर्मचारी को देय कोई धन।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) के भाग (ग) के बाद भाग (घ) निम्न प्रकार रख दिया जाय:—

"(घ) किसी कर्मचारी की वह देय धनराशि, जो उसे या उसके उत्तराधिकारियों को किन्हीं भी कारणों से न दी गयी हो।"

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही स्पष्ट धारा है जिसकी वजह से जितनी भी धनराशियां हैं वह इस निधि में आ जाती हैं। इसका एक लाभ भी होगा कि मिल मालिक से अगर किसी मजदूर का मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ तो उन्होंने इस धनराशि को इस निधि में दे दिया और असल में यह निधि उसके उत्तराधिकारी को मिलनी चाहिये थी तो मुकदमेबाजी का अंदेशा है और झगड़े बढ़ने का अंदेशा है। इसलिये यह साफ बात है कि वह धनराशि जो उसके परिवार वालों को किन्हीं कारणों से नहीं दी जा सकती हो उसको इस निधि में दे दिया जाय। यह साफ सा संशोधन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)— अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी का जो प्रस्ताव है उसे यदि स्वीकार कर लिया जाय तो जगन्नाथमल्ल जी को जो आशंका उठ रही थी वह दूर हो जायगी। ऐसा इस प्रस्ताव से होने वाला है। "देय धनराशि" शब्द का तात्पर्य ही सभी रकमों से है जो मजदूरों को उसकी नौकरी की शर्तों के पूरे होने के कारण मिलें। यदि ऐसी कोई धनराशि बाकी है और उस मजदूर को या उसके उत्तराधिकारी को नहीं दी गई तो वह धनराशि इस फंड में आ जायगी। यदि बुनियादी तौर पर देखा जाय तो इस संशोधन से इस विधेयक की मंशा पूरी होती है और उसी के मुताबिक अवस्थी जी का संशोधन है और मैं समझता हूं कि यह मंजूर हो जायगा। इसके मंजूर होने से सरकार के पास विधेयक द्वारा एक ऐसी बात आ जायगी कि जब कभी कोई झगड़ा पड़े तो उस अवसर पर देख सकते हैं कि आया यह धनराशि उसको देय थी या नहीं और यदि देय थी तो उसको दी गई या नहीं और यदि नहीं दी गई तो वह धनराशि मजदूरों के कार्यों में खर्च होने के लिये सरकार को मुहैया हो जायगी। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले संशोधन के संबंध में जो दलील दी थी वही इस पर भी लागू होती है। मैं समझता हूं ला डिपार्टमेंट की भी यही राय है कि इस तरह की कानून में धारा रखने से कानून के मनवाने में बड़ी दिक्कत पैदा होगी, इसलिये यह चीज नहीं रखी गई है। जिन-जिन बातों के बारे में साधारण तौर से धनराशि मिलनी चाहिये वह सब दे दी गई है और कोई चीज अनिश्चित रूप से रखना ठीक नहीं होगा जब तक कि बतलाया न जाय कि वह कौन सी धनराशि है जिसका वह अधिकारी होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं पहुंचती है और जिन रकमों की हम कल्पना कर सकते हैं, वह सब इस धारा के अन्तर्गत आ चुकी है।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन अवस्थी जी ने रखा है, मैं उसके समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं नहीं समझता कि मंत्री जी को न जाने किस अधिकारी ने बतला दिया कि यह संशोधन नहीं आना चाहिये। यह तो इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि यदि कोई क्लैरीफिकेशन में गड़बड़ी हुई तो सरकार को कार्यरूप में परिणित करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन मन्त्री जी का कहना यह है कि इससे बड़ी दिक्कत होगी और झंझट पैदा होगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह कैसे होगा? अगर मिल मालिक के यहां कोई रकम बकाया है तो अदालत में जाने की क्या जरूरत है? इतने अफसर हैं उन्हीं के सामने मामला चला जायगा और वह रुपया फंड में चला जायगा। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। यह दूसरी चीज है कि मंत्री जी से किसी ने कह दिया हो। मैं यह नहीं कहता कि मिल मालिकों को पूरी तरफदारी होती है लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाती है। बहुत सी रकम ऐसी है जो मजदूरों की बाकी रहती है, जैसे लकड़ी और तेल का पैसा है जो शुगर मिल्स में मिलता है। अगर किन्हीं कारणों से वह पैसा उस मजदूर को या उसके

उत्तराधिकारी को न मिले तो मंत्री जी के पास क्या जस्टीफिकेशन है कि वह यह कहें कि मिल मालिकों के पास वह पैसा जाना चाहिये ? मुझे बता दें मंत्री जी कि लकड़ी और तेल का पैसा भी फलां धारा के अनुसार इसमें चला आयेगा अगर वह मजदूर को नहीं मिला । तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा संशोधन है । अगर मंत्री जी को दिक्कत होती है तो वे फिर एक मर्तबा अपने सलाहकारों से राय लेने की कृपा करें । इसलिये मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय अवस्थी जी के इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बहुत सीधा सादा था और इस बिल को एक ही लाइन में कार्यरूप में परिणत करने के लिये था । आप देखेंगे कि जहां पर यह कहा जाता है कि प्राविडेंट फंड की रकम आ जायगी, जहां यह कहा जाता है कि ग्रेचुटी आ जायगी, जहां यह कहा जाता है कि यात्रा भत्ता आ जायगा, तो ये सब चीजें तो आ जायंगी लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो इस विधेयक में नहीं लायी जा सकी हैं । सम्भव है कि यह इसलिये हो कि प्रत्येक चीज को लाने में यह विधेयक बहुत बड़ा हो जाय । यह कहा जा सकता है कि उनको लाया जा सकता है जो रकम मजदूर को मिलनी हो । लेकिन मैंने तो यहां तक कह दिया कि जो मजदूर के परिवार वालों को जब न दी जा सके तब इसमें दी जाय । तो ऐसी कोई झगड़े की बात नहीं थी । इस दशा में मैं फिर माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके स्वीकार करने से इस निधि का और मजदूरों का, दोनों का हित है और इस बिल में जो कहीं भी कोई कमी रह गयी होगी उसकी पूर्ति हो जाती है ।

आचार्य जुगलकिशोर—श्रमिकों के भत्ते और किराये वगैरह की जो बात है उसके बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं और वही दलील मैं अब भी देता हूं कि ऐसा कोई भत्ता निश्चित नहीं है जिसका श्रमिक अधिकारी हो ही । ऐसी भी शक्ल पैदा हो सकती है कि श्रमिक किसी की आज्ञा से गया हो और उचित अधिकारी की आज्ञा न प्राप्त हुई हो और वह क्लेम करने लगे । अगर वह जिन्दा रहे और क्लेम करे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत कर सकता है । इस तरह के भत्ते जो नियमित रूप से नहीं दिये जाते हैं, उनके बारे में और ऐसा अन्य बकाया जिसका कोई विशेषतौर से जिक्र नहीं किया गया कि कौन से ऐसे भत्ते हो सकते हैं ला डिपार्टमेंट भी कहता है कि बिल में इस तरह की बात रखना अनुचित होगा और मेरा अपना खयाल यह है कि कोई भी ऐसा उनका भत्ता या वेजेज नहीं रह जाते जो अभी जो संशोधन स्वीकार किया गया है उसमें न आ जाते हों । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में मजबूर हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अगर माननीय मंत्री जी और आपकी इजाजत हो तो हम लोग लिख कर दे दें कि फलां-फलां भत्ते वगैरह इसमें आ जायं ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह तो गोल चीज है । (श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी से) आप इसे प्रेस कर रहे हैं ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (११) के भाग (ग) के बाद भाग (घ) निम्न प्रकार रख दिया जाय :—

"(घ) किसी कर्मचारी की वह देय धनराशि जो उसे या उसके उत्तराधिकारियों को किन्हीं भी कारणों से न दी गयी हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७,

विपक्ष में—७८ ।)

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"मजदूरी" (wages) से तात्पर्य पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा २ (६) में परिभाषित मजदूरी (wages) से है ।

दूसरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड २ के उपखंड (११) का भाग (ग) निकाल दिया जाय ।"

इसमें मुझे इतना कहना है कि पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में बोनस को शामिल कर लिया गया है इसलिये जो मैंने संशोधन किया है दूसरे संशोधन में जो बोनस का शब्द दिया गया है वहां से उसको निकाल दिया गया है । उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: —

"मजदूरी (wages) से तात्पर्य पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा २ (६) में परिभाषित मजदूरी (wages) से है ।" और

"खंड २ के उपखंड (११) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण निधि की स्थापना ।

३—(१) राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम-कल्याण निधि कहलायेगी ।

(२) निधि स्टेट बैंक आफ इंडिया में, अथवा यदि राज्य सरकार किसी अनुसूचित (Scheduled) बैंक के नाम का निर्देशन कर दे तो उस बैंक में रखी जायगी ।

(३) ऐसी समस्त धनराशियां, जो निधि के लिये प्राप्त की जायं या की जाने वाली हों अथवा उसके लिये या उसके निमित्त देय हों, नियत रीति से संग्राहक (Collecting) एजेंसियों द्वारा निधि के खाते (account) में जमा की जायंगी ।

(४) निधि के खाते में निम्नलिखित जमा होंगे—

(क) पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ के उपबन्धों के अधीन कर्मचारियों से वसूल किये गये समस्त जुर्माने (fine);

(ख) समस्त अदत्त संचय;

(ग) औद्योगिक अधिष्ठान में कल्याण खाते (welfare account) में जमा समस्त धनराशि ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान (grants-in-aid);

(ङ) स्वेच्छा से किये गये दान ; और

(च) धारा ८ के अधीन उधार ली गयी धनराशियां ;

(५) राज्य सरकार निधि में से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे आदेश (directions) देगी जिन्हें वह उचित समझे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (४) के भाग (च) के बाद (छ) निम्न प्रकार रख दिया जाय:—

"(छ) औद्योगिक अधिष्ठानों की कोई और ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा गजट में प्रकाशित करके निर्धारित करे।"

अध्यक्ष महोदय, इस पूरे विधेयक को आप देखेंगे तो पायेंगे कि इसमें मजदूरों का धन आ जाता है और इसमें सरकार भी कुछ देगी, ऐसा आश्वासन हमें मिला है, लेकिन इन मालिकों से, जिनके कि कार्य को अच्छी तरह चलाने के लिये यह श्रम हितकारी कार्य किया जायगा, उनकी तरफ से कोई धनराशि इसमें नहीं आयी। आशा तो यह थी कि उनकी तरफ से भी उनके लाभांश का कुछ भाग या किसी और तरह की रकम इसमें आती, लेकिन केन्द्रीय सरकार के कुछ कानूनों के कारण उन शब्दों को यहां साफ-साफ लाने में कुछ दिक्कत है। ऐसी दशा में मेरा यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकार समय-समय पर कुछ धन उनके द्वारा इस निधि में दिलवाये। समय-समय पर जब मैं कहता हूं तो मेरा मंशा यह है कि यदि राज्य सरकार को यह मालूम हो कि इस इंडस्ट्री में इस प्रकार का लाभ हुआ है तो उस लाभ में से वह कुछ धन विधेयक की इस निधि में दिलाने की कोशिश करे। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि "स्वेच्छा से किया गया दान" इसमें आ गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, और चीजों में तो स्वेच्छा से दान हो सकता है लेकिन मालिक आज के मजदूरों के लिये स्वेच्छा से दान करे यह मेरे जैसे कार्यकर्त्ता की समझ में कम आता है और मुझे इसमें शक है। ऐसी हालत में मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को मान कर मालिक, मजदूर और सरकार को एक ही स्थान पर रखने की कोशिश करें।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक इस बकिया रकम का सवाल है कि जो मजदूरों की मालिकों के यहां रखी हुई है उससे उन्होंने किसी न किसी रूप में फायदा उठाया है, चाहे उससे उन्होंने कोई रोजगार किया हो या और कोई काम किया हो। अगर और कुछ न हो तो उसका कुछ सूद ही होता है। वह उससे रोजगार करके भी फायदा उठायें होंगे इसलिये कि वह उन्हीं के पास रहती है। जहां तक इस फंड में पैसा आने का सवाल है वह मजदूरों की तरफ से ही आ रहा है क्योंकि उन्हीं का बकाया इस धनराशि में लिया जा रहा है। दूसरे इसमें सरकार भी मदद करेगी, अनुदान आदि के द्वारा लेकिन जो मिल मालिक मजदूरों से मेहनत कराता है, उसकी मेहनत का फायदा उठाता है और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है, क्यों न उन मजदूरों की भलाई के लिये सरकार द्वारा निर्धारित रकम दें। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को यह अधिकार मिलना चाहिये। मुझे तो डर मालूम हो रहा है कि मंत्री जी कहीं ऐसा न कहें कि यह अधिकार जो हमें मिल रहा है वह हम नहीं लेंगे। हम कितनी ही जगहों पर सरकार को मिलने वाले अधिकारों का विरोध करते हैं, लेकिन यह अधिकार जो सरकार को मिलने जा रहा है उससे मजदूरों का हित होगा इसलिये हम लोग इसका विरोध नहीं करते और खुशी से सरकार को यह अधिकार दे रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार यह अधिकार ले। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस अधिकार को अवश्य ले लें, क्योंकि खुशी से यह अधिकार सदन सरकार को देने के लिये तैयार है और अगर वह इस अधिकार को नहीं लेते तो दो-चार अधिकार जो आगे मांगे गये हैं और जिनका हम विरोध कर रहे हैं उनको तो भी वे न लें। हम उन अधिकारों को उनको नहीं देना चाहते हैं, जिनके लिये मैं आगे चल कर निवेदन करूंगा। मैं उनसे अंत में यही निवेदन कर रहा हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर, इस अधिकार को लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संशोधन से सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं। इसमें एक दिक्कत है और शायद माननीय मन्त्री जी यह कहेंगे कि क्योंकि इस तरह का एक प्राविजन बम्बई में भी है और उसके लिये वहां के एम्प्लायर

[श्री नवलकिशोर]

ने कोर्ट में अपील की हुई है। लेकिन अगर हम इसको यहां इसके अन्दर रख देते हैं तो मुझे इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति की बात नहीं मालूम होती है इसलिये कि जो बम्बई में आपत्ति उठायी गयी है वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जायगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हित में होता है तो हमारे यहां भी यह संशोधन उचित रहेगा और अगर किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तब भी यदि हम इसको इसके अन्दर रखते हैं तो सरकार को यह अधिकार है कि सामान्यतौर पर या विशेषतौर पर जो धनराशि निर्धारित करे तब उसके ऊपर सरकार कोई भी ऐक्शन नहीं लेगी। तो इन दोनों मानों से यह एक इन्नोसेन्ट संशोधन है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है है कि मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसके जरिये से गवर्नमेंट ऐसे अख्तयार टैक्स लगाने या लैवी लगाने के ले रही है जोकि इस बिल के दायरे से कुछ बाहर भी है और सम्भव है कि जैसा बम्बई में इस धारा पर आपत्ति उठायी गयी है यहां पर भी वह आपत्ति उठायी जाय। यों तो किसी भी समय पर टैक्स लगाने की आवश्यकता सरकार को पड़े और वह टैक्स लगाना उचित समझे तो उस ऐक्ट में एक धारा ऐसी हो सकती है जिसमें यह कह दिया जाय कि जो भी धन इकट्ठा हो वह इस तरह के फंड में शामिल हो सकता है और इसस उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट दूसरा ऐक्ट ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में लगाना चाहे या सेस पर लगाना चाहे तो वह लगा सकती है। परन्तु उसके लिये दूसरा ऐक्ट लाना ही ठीक होगा, बजाय इसके कि इस ऐक्ट में इस चीज को इसकी अनियमितता के बारे में इसमें संशोधन किया जाय और यह इसके दायरे के बाहर भी जाता है क्योंकि इसके उद्देश्य से वह डिप्राइव करता है। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्री जी के विचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इस संशोधन को मानने से टैक्स का अधिकार हो जायगा जो मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल यह है कि इसमें टैक्स लगने से बचा जा सकता है। अगर आपकी आज्ञा से थोड़ा सा शाब्दिक हेर-फेर इसमें कर दिया जाय तो बात बन सकती है। अवस्थी जी के संशोधन के मुताबिक यदि उनके संशोधन में "जिसे राज्य सरकार" से आगे यदि "राज्य औद्योगिक श्रमिक की सलाहकारिणी समिति" जोड़ दिया जाय। यदि उसकी सलाह से काम किया जाय तो वह सही होगा, क्योंकि उस समिति में मिल मालिक, मजदूर प्रतिनिधि और सरकार यह तीनों प्रतिनिधि रहेंगे। वह ऐसी बातें निश्चय कर सकती है। तो उसमें धन का भार लादने वाली बातें भी नहीं रहेंगी। मेरा अपना ख्याल है कि इस संशोधन के परिवर्तन से अवस्थी जी की मन्शा पूरी हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि यदि श्रीमान्, आज्ञा देंगे तो मैं यह संशोधन लिख कर आपकी सेवा में भेज दूंगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्रम मंत्री जी की बातें बहुत गौर से सुनी। जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरा यह मंशा नहीं है कि लैवी या किसी तरह का टैक्स लगाने का जो अधिकार केन्द्रीय सरकार को है वह इस अधिनियम के द्वारा इस सरकार को भी मिल जाय। इसलिये इन चीजों से बचने के लिये मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी ऐसी धनराशि, वह टैक्स, सहायता या चन्दे के रूप में दें, कोई भी तरीका उसका अख्तियार किया जा सकता है। माननीय बहुगुणा जी के संशोधन को मैं नहीं मान सकता चूंकि आगे चल कर मैं मंत्रणा समिति का विरोध करूंगा। यदि वह कहते कि राज्य के श्रम-कल्याण बोर्ड के द्वारा या इसे वह स्वीकार कर लें तो मुझे ऐतराज नहीं होगा कि यह संशोधन मान लिया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर---जो संशोधन बहुगुणा जी ने पेश किया वह भी आपत्तिजनक है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स नहीं है चाहे वह सलाह बोर्ड से लिया जाय या नहीं। इस तरह का अधिकार गवर्नमेंट को देना और गवर्नमेंट इससे टैक्स या लैवी लगा सके, यह सम्भव है, अनियमित माना जाय। इसके साथ-साथ इस ऐक्ट के दायरे में भी यह नहीं है। यदि किसी समय गवर्नमेंट यह समझे कि इस निधि में कुछ धन इन्डस्ट्रीज की तरफ से आना चाहिये तो एक दूसरे कानून के अन्तर्गत यह हो सकता है कि जितना भी धन इस तरह से जमा हो वह इस फंड में आ जाय। मैं इसलिये इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड (३) के उपखंड (४) के भाग (च) के आगे नया भाग (छ) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"(छ) पूंजीपतियों और मालिकों द्वारा स्वेच्छा से दिया वह धन जो मजदूरों के हितार्थ अनुपातिक लाभांश के आधार पर दिया जाय।"

यह संशोधन बहुत साधारण सा है। इसमें कोई विशेष झंझट की बात नहीं है। जो धन विधेयक में आया है वह करीब-करीब सभी मजदूरों की कमाई का, खास तौर से, उनकी तनख्वाह का है।

श्री अध्यक्ष---"पूंजीपतियों और मालिकों" के बजाय "नियोजक" शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। पूंजीपति वगैरा शब्दावली व्याख्यान की चीज है जो विधेयक में कहीं नहीं है।

श्री नारायणदास---बहुत अच्छा, मेरे संशोधन में शब्द "पूंजीपतियों और मालिकों" की जगह "नियोजक" रख दिया जाय।

श्रीमन, मेरा जो कहना था वह यह था कि मजदूरों के हित के बहुत से कार्य होते हैं जैसे शिक्षित करना, रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना, गृह-निर्माण करना, अस्पताल खोलना, जच्चा बच्चा केन्द्र खोलना आदि। ये इतने कार्य इस थोड़े से धन से नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैंने यह रखा है कि नियोजक जो कि आधे बोर्ड में है, जिसमें मजदूर और सरकार भी है वे सब स्वेच्छा से इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि जितना लाभ हुआ है, उस लाभ में से अनुपातिक आधार पर यानी चाहे चार पैसा रुपया ही क्यों न हो, हिसाब करके बोर्ड को उतना रुपया दे दिया जाय। इससे बोर्ड के सेक्रेटरी को भी रुपया इकट्ठा करने में आसानी हो जायगी और नियोजकों से कहने का हक हो जायगा। नियोजकों को भी यह कहने को हो जायगा कि मजदूर जो यहां काम कर रहे हैं उनको लाभ में से इतना हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें कोई अड़चन नहीं है और यह प्रस्ताव मान लेने के काबिल है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को मान लें।

श्री जगन्नाथमल्ल---अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय नारायणदास जी ने रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि उपखंड (४) (ङ) में लिखा हुआ है "स्वेच्छा से किये गये दान" फिर पर्टीक्यूलरली यहां पर हम ऐसा क्यों रक्खें। "नियोजक" का नाम तो हम तब रखना चाहते हैं जब कि हम हक के तौर पर कह सकें। अगर वे दान देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। मैं तो समझता हूं कि मजदूरों का यह स्वाभाविक अधिकार है कि वे नियोजक से कुछ पायें। लेकिन वह दान मांगता फिरे, इसको मैं उचित नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि माननीय नारायणदास जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं यह बिलकुल अनावश्यक है। खंड ३ के उपखंड (४) के (ङ) में साफ लिखा हुआ है कि "स्वेच्छा से किये गये दान"। उसमें सभी तरह के दान सम्मिलित है— चाहे वह नियोजक की तरफ से हो अथवा किसी और की तरफ से हो। इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदास—श्रीमन, मैं समझता हूं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने "अनुपात" शब्द को समझने की कोशिश नहीं की। मेरा कहना यह था कि जो लाभ मिल मालिकों को होता है उसमें कुछ धन अनुपात से मजदूरों को मिलना चाहिये। वह दान की बात नहीं है। अनुपात दान में नहीं आता। इसलिये अनुपात के आधार पर कुछ होना अवश्य चाहिये। लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री जी इस सिद्धांत को आज नहीं मानते इसलिये मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (५) को निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, उपखंड (५) इस प्रकार है:—

"राज्य सरकार निधि में से किये जाने वाले व्यय के संबंध में समय-समय पर ऐसे आदेश देगी जिन्हें वह उचित समझे।"

अध्यक्ष महोदय, इसी विधेयक में आगे चल कर सभी बातें निर्धारित की गयी हैं इसलिये बार-बार सरकार का हर समय आदेश देना उचित नहीं मालूम पड़ता और मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी मेरे इस संधोधन को मान लेंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, सरकार की जो पावर लेने की एक आदत सी पड़ गयी है वही इस क्लास में भी देखने से पता चलता है, क्योंकि श्रीमन्, तीन बातें हैं जिनकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं। एक तो श्रीमन् आप इसकी हेडिंग ही देखेंगे। हेडिंग में दिया हुआ है "उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम-कल्याण निधि की स्थापना" इसकी स्थापना का अधिकार सरकार को है, फिर मेरी समझ में नहीं आया कि यहां हेडिंग में स्थापना की बात है तो फिर व्यय किस तरह से होगा इसका निर्धारण भी सरकार ही करेगी, मैं तो समझता हूं कि यह ड्राफ्टिंग ही बिल्कुल गलत हुई है। श्रीमन्, उसी के नीचे आप देखें "४ (१) निधि किसी उपबन्धों के अधीन नियोजकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न ऐसे कार्यों के संबंध में उपयोग में लायी जायगी जिन्हें राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये समय-समय पर निर्दिष्ट करे।"

इससे भी आपका मतलब हल हो जाता है। फिर श्रीमन्, आगे चल कर आप देखेंगे खंड ५ जहां लिखा है "निधि का प्रबन्ध प्रशासन, नियंत्रण तथा सुरक्षा और उसका प्रयोग तथा उसमें से भुगतान नियत रीति से होंगे"। भुगतान नियत रीति से होंगे, यह भी इसमें लिखा हुआ है सरकार नियम बनायेगी और उसी के अनुसार यह होगा। तो वहां पर सरकार को अधिकार है कि वह नियम बनायेगी तो फिर मैं समझता हूं कि इस क्लाज की क्या जरूरत है? इसके साथ ही साथ जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड को भी कोई अधिकार सरकार ने नहीं दिया है। इससे सरकार की यही मनोवृत्ति टपकती है कि वह बोर्ड को अपनी कठपुतली बना कर रखे। इसी मनोवृत्ति की वजह से दो-दो तीन-तीन जगह इसको घुमाफिरा कर रखा गया है। क्योंकि स्थापना का मामला ही दूसरा है, इससे व्यय का क्या सवाल है? इसलिए मैं समझता हूं कि जब स्थापना करने का अधिकार आप देते हैं तो खर्च करने का अधिकार भी उसे दीजिये कि वह जिस तरह से चाहे खर्च करें। आप नियम भी बना देंगे और रीति भी नियत कर देंगे कि इस तरह से खर्च होगा, इस चीज में खर्च होगा, और बहुत सी बातें रख कर इस बिल को बदसूरत

न कीजिये। इसलिये जैसा कि माननीय अवस्थी जी ने इसका विरोध किया, मैं भी इस उपधारा का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इस बिल से इसको निकल दिया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने उपस्थित किया उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं उनको भी खुशी होगी कि उनका एक संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैंने तो सिर्फ उसका विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (५) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

निधि का क्षेत्र विस्तार।

४—(१) निधि, किसी विधि के उपबन्धों के अधीन नियोजकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न ऐसे कार्यों के संबंध में उपयोग में लायी जायगी जिन्हें राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

(२) उपधारा (१) की व्यापकता को बाधित न करते हुए, निधि की धनराशियां निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये भी उपयोग में लायी जायेंगी :—

(क) सामुदायिक (Community) तथा समाज शिक्षा केंद्र जिनके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी हैं;

(ख) सार्वजनिक स्नान-गृह तथा धुलाई स्थल;

(ग) चिकित्सा सहायता तथा आरोग्य-गृह (Convalescent homes);

(घ) सामुदायिक आवश्यकतायें;

(ङ) महिलाओं तथा बच्चों के लिये शिक्षा संबंध सुविधायें;

(च) खेल-कूद;

(छ) पर्यटन (excursion), यात्रायें (tours) तथा अवकाश-कालीन-गृह (holiday homes);

(ज) आमोद-प्रमोद तथा अन्य प्रकार के स्वस्थ मनोरंजन;

(झ) महिलाओं और वयोवृद्धों के लिये गृह-उद्योग तथा सहायक धंधे (subsidiary occupations);

(ञ) अधिनियम के कार्यान्वित पर होने वाला व्यय जिसमें बोर्ड के सेवकों के वेतन और भत्ते तथा बोर्ड के सदस्यों के भत्ते भी सम्मिलित हैं;

(ट) सहकारी, मितव्यता संबंधी (thrift) ऋणदाता (credit) तथा बहुधंधी (multipurpose) समितियां;

(ठ) धार्मिक तथा सामाजिक प्रकार के सहयोक से किये जाने वाले कार्य (Corporate activities);

(ड) खाद्य तथा सामानों (materials) को तैयार करने तथा उनको अन्य रूप देने (processing) की सुविधायें;

(ढ) गृह योजनायें; और

(ण) अन्य ऐसे उद्देश्य, जिनसे औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो तथा उनकी सामाजिक दशाओं में सुधार हो।

(३) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) को अथवा समाज सेवा में संलग्न अन्य किसी संस्था को उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक अथवा अधिक कार्यों (measures) के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (approved) किसी योजना को सहायता पहुंचाने अथवा उपधारा (२) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये निधि में से अनुदान दे सकता है।

(४) यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठे कि कोई विशेष व्यय निधि के खाते में डाला जाय (debitable) अथवा नहीं, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को भेज दिया जायगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निश्चय अंतिम होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "को" और शब्द "भेज" के बीच में शब्द "निर्णय के लिये" रख दिये जायं। यह एक शाब्दिक अमेंडमेंट है और यदि आप खंड ४ के उपखंड (४) को देखेंगे तो उसकी आवश्यकता स्वयं प्रतीत हो जायगी। उपखंड (४) में लिखा है "यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठे कि कोई विशेष व्यय निधि के खाते में डाला जाय अथवा नहीं, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को भेज दिया जायगा" राज्य सरकार को "निर्णय के लिये" भेज दिया जायगा" "निर्णय के लिये" शब्द और जोड़ दिये जायं, यह मेरा संशोधन है। और इस संबंध में राज्य सरकार का निश्चय अंतिम होगा और चूंकि राज्य सरकार को निश्चय करना है इसलिये उसमें "निर्णयों के लिये" आना जरूरी था। इसलिये आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "को" और शब्द "भेज" के बीच में शब्द "निर्णय के लिये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

निधि का प्रशासन एवं प्रबन्ध।

५—निधि का प्रबन्ध, प्रशासन, नियंत्रण तथा सुरक्षा और उसका प्रयोग (application) तथा उसमें से भुगतान नियत रीति से होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—निधि के लेखों का परीक्षण (audit) प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे और परीक्षण तद्विषयक प्रसूचना (report) की एक-एक प्रति राज्य सरकार (audit) तथा मंत्रणा समिति (Advisory Committee) को भेजी जायगी।

लेखा परीक्षण प्रसूचना (audit report) पर निधि का प्रबन्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायगा तथा उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को दी जायगी।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति ४ में शब्द "तथा" और शब्द "को" के बीच शब्द "मंत्रणा समिति" को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड" रख दिये जायं।

'यह जो खंड ६ है इसमें कहा गया है कि निधि के लेखों का परीक्षा प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे और तद्विषयक प्रसूचना की एक-एक प्रति राज्य सरकार तथा मंत्रणा समिति को भेजी जायगी।

मैं समझता हूं कि यह जो मंत्रणा समिति रखी गई है इसकी आवश्यकता नहीं और इसका मैं आगे चलकर विरोध भी करूंगा, श्रम कल्याण बोर्ड और मंत्रणा समिति इन दो चीजों की आवश्यकता नहीं है और केवल श्रम कल्याण बोर्ड ही रखा जाय इसलिये मंत्रणा समिति के स्थान पर श्रम कल्याण बोर्ड रख दिया जाय ताकि रिपोर्ट सरकार के पास आये और सरकार उस पर स्वयं कार्यवाही कर सके। यह केवल एक शाब्दिक सा संशोधन है और इसे स्वीकार किया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय यहां एडवाइजरी कमेटी नियुक्त करने की धारा है, अगर वह अस्वीकार हुई तो यह भी कानसिक्वेन्शियल चेंज हो जायगी, इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ४ में शब्द "तथा" और शब्द "को" के बीच शब्द "मंत्रणा समिति" को निकल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७—९

७—राज्य सरकार प्रतिवर्ष फरवरी मास में निधि की प्राप्तियों लेखा तथा तथा उसमें से होने वाले व्ययों के तखमीनों (estimates) तथा लेखों व्ययों का के विवरण और उन कार्यों की प्रसूचना (report) गजट में प्रकाशन। प्रकाशित करेगी जिन्हें पूर्वगामी (previous) वर्ष में निधि के हिसाब में से वित्तीय सहायता दी गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब प्रथम बार निधि की स्थापना होगी तो यह प्रकाशन निधि स्थापना के पश्चात् आगामी जून मास के अन्त तक, स्थगित किया जा सकता है।

ऋण उगाहने के संबंध में बोर्ड के अधिकार ।

८—बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार एतदर्थ निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऋण ले सकेगा।

निधि को जमा करना ।

९—यदि निधि अथवा उसका कोई भाग, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त शीघ्र ही (at an early date) प्रयोग में न लाया जा सके, तो बोर्ड उसे इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खंड (ए) से (डी) तक तथा खंड (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी सिक्योरिटी में जमा कर देगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७,८ और ९ इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड ।

१०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र एक बोर्ड की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड (Uttar Pradesh Labour Welfare Board) कहलायेगा।

(२) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक सभापति (Chairman) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित (nominate) किया जायगा;

(ख) कर्मचारियों तथा नियोजनों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर-बराबर संख्या, जो नियत की जाय। ये प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे;

(ग) एक या अधिक महिला प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायं,

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनकी संख्या ५ से अधिक नहीं होगी।

(३) राज्य सरकार के श्रम विभाग का सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे, बोर्ड का पदेन (ex officio) सेक्रेटरी होगा।

(४) बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य की जिसे किसी आकस्मिक रिक्त (casual vacancy) की पूर्ति के लिये नाम निर्देशित किया गया हो, पदावधि उसके पूर्वाधिकारी, की शेष पदावधि ही होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "Pradesh" और शब्द labour के बीच में शब्द "Industrial" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जो हमारे सामने बिल है उसमें इंडस्ट्रीयल लेवर औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में तमाम विवेचनायें हैं। इसलिये जहां तक इस खंड में शब्द "इन्डस्ट्रियल" आने का सवाल है मैं समझता हूं वह पूरा नहीं होता। जब तक वह नहीं आता और हो सकता है कि इसके यहां न रहने से आगे दिक्कतें हों। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस को स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष---हिन्दी में तो वह मौजूद है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वह केवल अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में जो ब्रेकेट में लिखा है "उत्तर प्रदेश लेबर वेलफेयर बोर्ड" उसी में "इंडस्ट्रियल" लगाया जाना है।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मुझे स्वीकार है।

आचार्य जुगलकिशोर---जब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार किये लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "Pradesh" और शब्द "Labour" के बीच में शब्द "Industrial" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "निम्नलिखित" और शब्द "से" के बीच में शब्द "व्यक्तियों" रख दिया जाय। इसमें यह है "बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा" तो जरा शंका होती है "निम्नलिखित से" इसलिये इसके बीच में "व्यक्तियों" रख दिया जाय। यह केवल शाब्दिक संशोधन है।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "निम्नलिखित" और शब्द "से" के बीच में शब्द "व्यक्तियों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---मान्यवर, चूंकि माननीय श्रम मंत्री ने पिछले दिन यह आश्वासन दिया है कि इस बोर्ड का चेयरमैन "नान आफिशियल" होगा इसलिये मैं इसको (आइटम १७) को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---जब मूवही आपने नहीं किया तो वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नारायणदास---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव रखता हूं।

कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय---

"(क) एक सभापति (chairman) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित (nominate) गैर सरकारी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित होगा, किया जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तावित बोर्ड का चेयरमैन कौन हो? माननीय श्रम मंत्री महोदय अपने पिछले भाषण में इस बात से शायद रजामन्द हैं, कि इस बोर्ड का चेयरमैन जो है वह गैर-सरकारी आदमी हो तो इसमें श्रीमन्, बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि जितने बोर्ड यहां बने हैं उन बोर्ड स में यह बोर्ड एक विशेष स्थान रखता है और इसमें मालिक, मजदूर और सरकार तीनों दलों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है और सरकार का जितना हाथ हो सकता है उतना है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि सभापति जो है यदि वह गैर सरकारी व्यक्ति होगा, तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड का काम बड़े सुचारु रूप से चलेगा और यह सरकार के लिये बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री महोदय से इसको स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करूंगा।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय नारायणदास जी ने सदन के सम्मुख पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि बिल में लिखा हुआ है वह इस प्रकार है "एक सभापति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा"। ज्यादातर हमारा ऐसा ख्याल है कि इस बोर्ड के सभापति माननीय श्रम मंत्री जी ही होंगे और अगर सरकार खुद ही अपने को नामिनेट न करे तो अच्छा होगा। बोर्ड सरकार बनायेगी ही और उस बोर्ड में सब नामिनेटेड मेम्बर सरकार के द्वारा जायेंगे तो अगर बोर्ड निवेदन करे कि हां, श्रम मंत्री जी इसके सभापति रहें तो ज्यादा सुन्दर रहेगा और आज जो एक सैद्धांतिक चीज है कि कोई चीज हो वह चुनाव के जरिये से हो क्योंकि डेमोक्रेसी का यह युग है, उसके भी यह अनुकूल होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत सीधा-सादा संशोधन है, इसके मानने में कोई कानूनी या किसी किस्म की कठिनाई नहीं होगी बल्कि माननीय मंत्री जी की कठिनाई इस संशोधन के मान लेने से दूर हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय नारायणदास जी ने प्रस्तुत किया है और जिसका अभी हमारे मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने समर्थन किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। उसके विरोध से आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, माननीय नारायणदास जी ने जो प्रस्ताव रखा तो मुझे ऐसा लगा और वैसे ठीक भी है क्योंकि श्रम हितकारिणी समितियां और उनके कार्यों की जो अब तक परम्परा रही है शायद वह उनकी नजरों से पूरे तौर से न गुजरी हो। लेकिन माननीय जगन्नाथ मल्ल जी तो उसमें काफ़ी रहते हैं, तो मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा और माननीय नारायणदास जी से भी कि इन सलाहकारिणी समितियों का और इस तरह के बोर्ड्स का अब तक का ऐसा ढंग रहा है कि कोई चीज वहां बोर्ड में तय नहीं हुआ करती है। करीब-करीब एक सलाह लेकर सबकी कॉंसेंसेस आफ ओपीनियन जो मेम्बर्स की होती है उसके आधार पर सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय से मिलकर चलने की कोशिश करती रही है। इस तरह से मामले मालिक, मजदूर और सरकार के मेम्बरों की इस तरह की बैठकों में एक राय से तय होते रहते हैं। बोर्ड के चेयरमैन को समिति की तरफ से नामांकित करने की परम्परा डाल दी गई तो उस बोर्ड के अन्दर इस बात को लेकर चर्चा एलेक्शन की, वोट की और तमाम गलत बातों की वहां पैदा हो जायगी। इस कारण मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी हर वक्त जो एक भय उनके दिमाग में है कि सरकार इसमें करने वाली है, सरकार इसमें रहने वाली है, इस भय को अपने दिमाग से निकाल देंगे और जाहिर है कि वह भी चाहते हैं कि सरकार बहुत कुछ करे बल्कि जो कुछ नहीं भी वह करती है उसके लिये भी समाजवादी ढांचे या समाजवादी परम्परा की चर्चा की जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह का भूत जो उनके सिर पर सवार रहता है वह उन्हें नहीं सतायेगा और यह जो माननीय नारायणदास जी ने अमेंडमेंट रखा है उसको वह स्वयं वापस ले लेंगे।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र नारायण दास ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल में यह है कि कोर्ट या एग्जीक्यूटिव कौंसिल दो नाम वाइस चांसलर के लिए चांसलर के पास भेजेगा और चांसलर उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेगा उसी तरह से बोर्ड के मेम्बरान किन्हीं दो आदमियों को सेलेक्ट करके भेज दें और उसमें किसी को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाय तो अत्युत्तम होगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा है उसके भी अनुकूल होगा। उससे बोर्ड के मेम्बरों को भी सन्तोष हो जायगा और कार्य ठीक ढंग से सम्पादित होगा इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—आपका भी शायद संशोधन इसी अंश में है ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—वह तो मैं पेश नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि मैं माननीय जगन्नाथमल्ल जी की बातों से सहमत नहीं हूं और न अपने मित्र नारायण दास जी की बातों से । इसका कारण यह है कि मैं भी इस राय का था लेकिन अगर इस विधेयक को आप पढ़ें तो शुरू से आखीर तक यह है कि सरकार आदेश देगी, सरकार सलाह देगी, सरकार आज्ञा देगी, तीन ही शब्दों में यह विधेयक है । तो अगर माननीय श्रम मंत्री जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और कोई चीज वहां बहुमत से पास हुई, श्रम मंत्री जी उस बहुमत को मानने के लिये बाध्य हैं और यहां आकर के सरकार में उनकी कैबिनट में मतभेद हुआ कि नहीं यह बात नहीं मानी जा सकती तो श्रम मंत्री जी के सामने एक ही बात रहती ह कि या तो बोर्ड छोड़ें या कैबिनेट छोड़ें । इसलिये यह शंका तो खत्म हो गई कि श्रम मंत्री जो इसके अध्यक्ष होंगे । दूसरी बात इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गई, श्रम मंत्री जी ने स्वयं पिछले दिन शुक्रवार को यह कहा था कि इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई गैर सरकारी व्यक्ति होगा । यह भी उन्होंने विश्वास दिलाया था । तब सवाल उठता है कि फिर आखिरकार बोर्ड के सदस्यों के बहुमत से जो बात तय हो उसे क्यों नहीं मानते ? हमारे मित्र नारायण दास जी भी जानते हैं कि उसमें मालिकों के प्रतिनिधि होंगे, मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे और उसमें सरकार ५ आदमियों को नामजद करेगी जोकि अन्य व्यक्तियों के होंगे—न मालिकों के होंगे, न मजदूरों के होंगे और उसी के साथ-साथ जो उसका सेक्रेटरी होगा—मेम्बर, वह लेबर वेलफेयर कमिश्नर होगा । तो आप देखें कि जैसा कि दुर्भाग्य से मैं अपने प्रांत में देख रहा हूं कि हमारे अफसरान जब मालिक और मजदूर का प्रश्न आ जाता है तो अक्सर मालिकों की तरफ झुक जाते हैं, यह मेरा तजुर्बा और विश्वास है, हो सकता है यह गलत हो । वसी दशा में हमें संदेह है कि मालिक और मजदूर की इस लड़ाई में यह जो बन्दर-बांट शुरू हो और जो सरकारी अधिकारी या जो ५ सदस्य हों वह और मालिक मिल जायं तो मजदूर बैठा रह जाय और फिर कहीं अगर इस बोर्ड में लड़ाई शुरू हो गयी तो जहां इलक्शन शुरू हुआ तो इसके कार्य में और दिक्कतें न बढ़ें इसलिये मैं यह समझता हूं कि जब हमें यह विश्वास दिला दिया गया है कि उन्हीं बोर्ड के लोगों में से कोई होगा तो कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है कि माननीय मित्र इसको वापस न ले लें ।

आचार्य जुगलकिशोर—क्या मैं समझूं कि माननीय अवस्थी जी ने "उत्तर प्रदेश के मंत्री सभापति होंगे" यह संशोधन वापस ले लिया है ? यह सामने नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा संशोधन है । अवस्थी जी ने इसका विरोध किया है । वह नारायणदास जी का संशोधन है ।

आचार्य जुगलकिशोर—पहले १७वां है और १८ वां नारायन दास जी का है । म इसका इसलिय विरोध करता हूं कि चेयरमैन आफिशियल हो, सरकारी हो या गैर-सरकारी हो इसका इसमें कोई निर्णय नहीं होता है इस विधेयक क पास होने म, इस धारा के पास होन में । इसलिये कि गैर सरकारी ही हो, यह आवश्यक नहीं है । और माननीय नारायणदास जी ने जो यह भ्रमात्मक बात कही कि इसके चेयरमैन मंत्री ही होंगे, मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि इस शंका का कोई आधार नहीं है । और यह बात जो अवस्थी जी ने कही कि चेयरमैन नान-आफिशियल ही होंगे, ऐसा कोई वचन मैंने नहीं दिया । मैंने सिर्फ यह कहा था कि इसके लिये कोई रुकावट नहीं है, नान-आफिशियल भी हो सकते हैं और होंगे । बहुत संभव है गवर्नमेंट नान-आफिशियल को करे, लेकिन यह नहीं है कि हमेशा नान-आफिशियल ही हुआ करेंगे । ऐसा कोई वचन नहीं था और न मेरे विचार में था और उन्होंने शायद समझा ही होगा ।

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री नारायणदास---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि मैंने तो यह समझा था कि मंत्री महोदय इसके सभापति नहीं होंगे बल्कि इसका उन्होंने संकेत दिया था माननीय सूर्य प्रसाद जी को और माननीय सूर्य प्रसाद जी ने अपना संशोधन वापस भी ले लिया है। तो मैंने यह समझा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा यह संशोधन मान न लिया जाय। क्योंकि इसमें जितने भी मेम्बर इस बोर्ड के अन्दर होंगे वह सब सरकारी नामजद हैं और मैंने सिर्फ इतना रखा है कि बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी यह राय भी, बोर्ड का सभापति नामजद करने के पहले सरकार मान ले। इसमें तो मैंने गैर-सरकारी चेयरमैन के लिये प्रस्ताव किया हुआ है, वह किसी को प्रेसीडेंट बनावें लेकिन मेरा तात्पर्य लोकतंत्र प्रणाली का था, ऐसा नहीं था कि जो चाहे सरकार कर दे। लेकिन मेम्बर भी सरकार द्वारा चुने जायंगे और सेक्रेटरी वगैरा भी सरकार ने चुना तो मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि जो मेरे प्रस्ताव में है कि बोर्ड के मेम्बर किसी को नियुक्त कर दें और उसको सरकार नामजद कर दे इतनी सी ही बात है। इसमें अवस्थी जी ने यह शंका प्रगट की है कि सरकार मिल मालिकों की तरफ झुक जायगी और हमारा अल्पमत हो जायगा और उनका बहुमत हो जायगा। यह कोई तर्क नहीं है हमें सरकार पर विश्वास रखना चाहिये। सरकार कभी नहीं झुकेगी। सरकार ने जो यह विधेयक पेश किया है वह उस रुपये के लिये पेश किया है जो हजम हो चुका है तो यह धारणा गलत है। मेरा खयाल यह है कि हमें सरकार पर विश्वास रखना चाहिये और मेरा कहना इतना ही है कि जो मेम्बर बोर्ड में हैं वह जिसको राय दें, उसको सरकार नामजद कर दे, खाली इतनी सी ही बात है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार कर लें।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय:---

"(क) एक सभापति (Chairman) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित (Nominate) गैर सरकारी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित होगा, किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं २१ और २३ नम्बर के संशोधन एक साथ पेश कर दूं, क्योंकि दोनों एक से संबंधित हैं।

श्री उपाध्यक्ष---पेश करिये।

श्री नवलकिशोर---मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय और खंड १० के उपखंड (२) के भाग (घ) के अन्त में पूर्णविराम हटा कर और अर्द्धविराम लगाकर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"जिनमें कम से कम एक महिला होगी।"

इसमें मैंने (ग) में "एक या अधिक महिला प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायं" हटा कर उसके स्थान पर (घ) के अन्त में "जिनमें कम से कम एक महिला होगी" जोड़ दिया है कि यह जो संख्या ५ की है इनमें कम से कम एक महिला भी होगी। मैं समझता हूं कि इससे जो इस बिल का आशय है वह भी ठीक होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मंत्री जी दोनों स्वीकार कर रहे हैं या एक ही ?

आचार्य जुगलकिशोर—दोनों।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (ग) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के भाग (घ) के अन्त में पूर्णविराम हटा कर और अर्द्धविराम लगा कर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"जिनमें कम से कम एक महिला होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदास—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड १० के उपखंड (२) के भाग (घ) की पंक्ति २ में शब्द "अन्य व्यक्ति" के आगे शब्द "जिनमें हरिजन व मोमिन भी होंगे" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, इसमें मेरा खयाल ऐसा है कि मजदूरों में अधिकतर मोमिन और हरिजन लोग ही काम करते हैं। लेकिन जहां पर प्रतिनिधित्व का सवाल होता है तो बड़-बड़ लोग आ जाते हैं, कुछ यूनियनें आ जाती हैं और जो कारीगर हैं, जिन्हें बहुत बड़ी तकलीफें हैं उनका नाम नहीं आता है। हरिजनों का जहां तक संबंध है, वैसे तो उनका रिजर्वेशन है लेकिन इसमें कोई रिजर्वेशन का सवाल नहीं उठता है। फिर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह संशोधन ले आया हूं। हरिजनों और मोमिनों का कोई प्रतिनिधि न होने से उनकी जो तकलीफें होती हैं वे वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि श्रम मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय नारायणदास जी ने पेश किया है मुझे ऐसा लगता है कि वह बड़े भयानक परिणाम उपस्थित करेगा। हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि श्रमिक वर्ग में जाति पांति का भेद भाव नहीं है। ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वर्णव्यवस्था में विश्वास रखते हों या न रखते हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों वहां पर श्रमिकवर्ग अपने को मजदूर कहकर सब जाति पांति को भुला देता है। यह एक बड़ा भारी परिवर्तन आज श्रमिक वर्ग में इंडस्ट्रीज के जरिये से होता चला जा रहा है और उससे देश को बड़ा फायदा होने वाला है। मेरा विश्वास है कि नारायण दीन जी भी इस भेदभाव को रखना उचित न समझते होंगे। यह हरिजन, मौमीन, हिन्दू, मुसलमान की बात हमारे सारे मजदूर आन्दोलन के उसकी सारी बुनियाद के लिये खतरनाक साबित होगी। इसलिये इस तरह के विधान का जो जात पांत के आधार पर हो विरोध करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि यदि कोई हरिजन भाई किसी यूनियन का, चाहे वह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा चलायी जा रही हो या हिन्दू मजदूर सभा या आई० एन० टी० यू० सी० द्वारा चलायी जा रही हो, वह बिना किसी भेदभाव के सब जगह लोगों को काम करता हुआ देखेगा। आज कोई भी राजनीतिक संगठन जाति पांति से ऊपर उठकर नहीं रह पाता, लेकिन यह इतनी प्रसन्नता की बात है कि सभी मजदूर आन्दोलन ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का जात पांत भेदभाव नहीं है। यदि इस तरह का संशोधन माना गया जो

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

जातिपांति के आधार को प्रोत्साहित करने वाला हो तो वह उचित नहीं होगा और वह उस मूलभूत आधार के भी विरुद्ध होगा जो हमारे प्रदेश और देश के मजदूर आन्दोलन में आकर समा गया है। इसलिये मैं इस जातीयता की बुनियाद को लिये हुये श्री नारायण दास जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि इस तरह का संशोधन जैसा मेरे भाई ने पेश किया है न मुनासिब होगा और न उसकी जरूरत ही है। हरिजन के नाम पर, हिन्दू मुसलमान के नाम पर नियुक्ति हो यह बात उचित नहीं है और न इसकी आवश्यकता ही है। श्रमिकों के प्रतिनिधियों में कोई योग्य हरिजन होगा तो कोई आपत्ति नहीं होगा उसकी नियुक्ति में। पांच व्यक्ति जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे उनमें भी यह नहीं होगा कि हरिजन योग्य है तो वह न आ सकेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसमें बंधन डालकर उनको रखना मुनासिब नहीं होगा और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र नारायण दास जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध इस माने में नहीं कि वह हरिजनों और मोमिनों के लिये रखा गया है बल्कि इस माने में कि देश में एक ही ऐसी संस्था है जिसके अन्दर चाहे वह किसी भी दल की ओर से संचालित की जावे लेकिन उसमें आजतक कभी किसी ने इस किस्म की मांग नहीं की और उसका फल यह है कि ट्रेड यूनियन्स ने मजदूरों के संबंध में जितने भी कायदे कानून चाहे वे केंद्र में बने हों, चाहे वे प्रदेश में बने हों, कहीं भी इस तरह की चीज स्वीकार नहीं की गई और मेरी परेशानी और भी बढ़ जाती है जब कि नारायणदास जी ने अपने पिछले भाषण में कहा कि वे एक श्रमिक थे और श्रमिक होकर उन्होंने मिलों में काम किया। अगर वह श्रमिक थे और उन्होंने मिलों में काम किया तब उन्हें मालूम होगा कि कोई भी श्रमिकों की संस्था ने क्या कहीं इस तरीके की बातों को स्वीकार किया है या कहां इस तरीके की मांगें आई हैं कि यह तो मोमिन हैं, अछूत हैं, उन का वेतन कम कर दिया जाय या ब्राह्मण हैं इसका वेतन बढ़ा दिया जाय। या कहां यह है कि किसी मिल मालिक ने, किसी नियोजक ने यह कहा हो कि यह अछूत है इसलिये उसका वेतन बढ़ा दिया जाय? जहां अछूत किसी मिल का नियोजक हो वहां क्या किसी मिल ने उसका वेतन ब्राह्मण नियोजक से बढ़ा दिया है, या वहीं अगर ब्राह्मण नियोजक है तो किसी मिल ने क्या उसका ब्राह्मण होने के नाते उस वेतन से उसको ज्यादा दिया है कि जो वह उसी पद पर नियुक्त किसी अछूत को देती? आज अगर कपड़े की बुनाई तय होती है तो यह तय होता है कि १० गज कपड़ा बुनने वाले को १० आने मिलेंगे, चाहे उसे पंडित जी बुने या नारायण-दास जी। तो जहां हमारे आर्थिक प्रश्न हैं, आर्थिक लड़ाई है वहां आप कृपा कर इस तरह के जात पांत के झगड़ों को न आने दें। आप कहते हैं कि जो संस्थायें बनी हुई हैं उनके जरिये से बड़े-बड़े लोग आ जाते हैं। मजदूर आन्दोलन के लिये तो केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि जो और किसी के लिये नहीं है। कहीं पर आप ७ आदमी से अधिक बैठ जायं और अपनी संख्या बना लीजिये। कहीं नहीं लिखा है कि वहां ७०० आदमी हों। आप ट्रेड यूनियन बनाइये और उसे रजिस्टर्ड करा लीजिये उसमें भी पांच रुपये खर्च होते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद आप को भी वही अधिकार हैं कि जो दूसरी उस संस्था को होते कि जिसके पंडित जी प्रेसीडेंट हों। तो ऐसी दशा में मेरा यह खयाल है कि नारायणदास जी स्वयं इस चीज को सोचेंगे और इस तरीके की चीजों को श्रमिकों के बीच में न आने देंगे। इस तरह की कई और चीजें हैं जैसे हरिजन कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड और मैं चाहता हूं कि आप अपने को उन्हीं तक सीमित रक्खें। श्रमिकों के बीच में इस चीज को न लायें और मेरा निवेदन है कि मजदूर एकता के खयाल से आप इसको वापस ले लें।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, जहां तक नारायणदास जी के संशोधन का संबंध है, मैं बिलकुल बहुगुणा जी, अवस्थी जी और माननीय श्रम मंत्री जी .....

श्री नारायणदास—मैं कुछ सफाई करना चाहता हूं। मेरा संशोधन भाग (घ) में है। भाग (ख) में जहां पर मिल मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधित्व का सवाल है उसमें मेरा संशोधन नहीं है। मेरा संशोधन (घ) में है जहां पर लिखा है कि "राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनकी संख्या ५ से अधिक नहीं होगी।" इसमें सरकार से मांग कर रहा हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल—आपने अभी पूरी बात तो सुनी नहीं कि मैं किस पर बोल रहा हूं (ख) में कि (घ) में और पहले से ही आपने प्रिज्यूम कर लिया कि (ख) में बोल रहा हूं। आप मेरी बात पहले सुन लें तो अच्छा हो। और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो यह प्रश्न उठायें।

श्रीमन्, चाहे (ख) में हो, (ग) में हो या (घ) में हों, इन तीन आदमियों ने जिसका जिक्र किया मैं उससे सहमत हूं। यह बिलकुल सही है कि जहां मजदूर आन्दोलन का सवाल है सौभाग्य की बात है कि कोई किसी भी जाति का हो, उसका सवाल वहां नहीं उठता। वहां कोई जाति पांति की बात नहीं करता क्योंकि वहां आर्थिक प्रश्न को लेकर मजदूरों की जो स्थिति है, जो उनकी हालत है, उसको उठाने की बात मजदूर आन्दोलन चलाने वाले किया करते हैं। वहां यह बात नहीं होती कि कौन किस जाति का है। माननीय नारायणदास जी कहते हैं कि मिल में चार बरस तक एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहा हूं। वह मुझको एक बात बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी मजदूर ने उनसे पूछा कभी कि आप किस जाति के हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी मजदूर ने कभी भी यह पूछने का साहस नहीं किया होगा कि आप किस जाति से आते हैं। मजदूर आन्दोलन में कभी भी जाति की बात नहीं रही। अगर्चे जाति की बात होती तो मैं समझता हूं कि मजदूर आन्दोलन आज चौपट हो गया होता और इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता था। अगर्चे इस तरह का कोई दृष्टान्त माननीय नारायणदास जी पेश कर सकें तो हम मान लेंगे कि वह सही कहते हैं। क्या वह इस तरह का दृष्टान्त पेश कर सकते हैं कि किसी भी यूनियन का विधान ऐसा बना हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि एक्जिक्यूटिव में एक हरिजन या मोमिन रहेगा? अगर ऐसा वह दृष्टान्त पेश कर दें तो हम इसका समर्थन करने के लिये तैयार हैं।

रही यह बात कि साहब यह मजदूरों के वेलफेयर की बात है तो यह कोई हरिजन, ब्राह्मण या वैश्य के देखने की बात नहीं है। इसलिये इस विधेयक के अन्दर इस तरह की बात रखना मैं समझता हूं गड़बड़ पैदा करने की सम्भावना को पैदा करना है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह ट्रेड यूनियन में से आ सकते हैं। जब माननीय मंत्री जी यूनियन से मांगे तो उस समय नारायणदास जी वहां से लोगों को कहलाकर भिजवा सकते हैं और वह नामिनी ले लिया जायगा। इस आश्वासन के बाद कि वह इसका खयाल रखेंगे हम समझते हैं कि इस संशोधन के लिये यहां पर कोई जगह नहीं है। किसी भी विधान में जिसका सम्बन्ध मजदूरों से हो इस तरह की चीज रखना नामुनासिब है। इसलिये मैं नारायणदास जी से निवेदन करूंगा कि मजदूर आन्दोलन को ध्यान में रखते हुये यदि वह अपने को मजदूरों का हितचिन्तक समझते हैं, अगर वह चाहते हैं कि मजदूरों में एकता बनी रहे और मजदूरों में जात पांत भेदभाव न हो तो इस किस्म के संशोधन को इस विधेयक में रखने की कोशिश न करे। इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के संशोधन को रख कर वह मजदूर आन्दोलन को कमजोर करने की चेष्टा न करें और मजदूरों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश न करें।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदास जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और नारायणदास जी ही नहीं बल्कि दूसरे हरिजन भाई भी समय-समय पर यह सवाल उठा दिया करते हैं कि हरिजनों के लिये स्थान दिया जाना चाहिये किन्तु यह बात हमारी समझ में नहीं आती। जब हमारा संविधान बना हुआ है और संविधान के अन्दर धर्म-निरपेक्ष राज्य हमारा मान लिया गया है तो फिर धर्म या जाति के लिये कोई स्थान नहीं है। फिर भी हमारे ये भाई शिक्षा के लिये कहते हैं कि हरिजनों के लिये स्कूल खुलना चाहिये, लेबर में हरिजन का स्थान होना चाहिये, ट्रेड यूनियन में हरिजनों के लिये स्थान मिलना चाहिये तो यह सब बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर आप इस चीज को तोड़ना चाहते हैं तो सवर्णों से मिल कर ही तोड़ी जा सकती है। यदि आप अपने को अलग रखेंगे और रिजर्व सीट रखने के लिये चेष्टा करेंगे और फिर यह कहेंगे कि हमारे साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाता है और ऊंच नीच का व्यवहार होता है तो यह दोनों चीजें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ तो आप कहें कि हरिजनों के लिये अलग सीट होनी चाहिये और दूसरी तरफ कहें कि सवर्ण हमारे साथ मिलते नहीं हैं और समानता का व्यवहार भी नहीं करते, समानता के तौर पर देखते नहीं हैं समान अधिकार देते नहीं हैं तो यह दोनों बातें इस तरह की हैं जिनका सुलझना मुश्किल है। हमारे देश में इस अलग-अलग की पालिसी को हम देख चुके हैं और उसका दुष्परिणाम भी पाकिस्तान के रूप में भुगत चुके हैं। इसलिये इस अलगाव की नीति को रखना और जाति की बात को रखना चाहे वह सवर्ण हों, चाहे हरिजन हों, हम सबके लिये लाभदायक नहीं है। अगर इस तरह के सवाल को उठाया जायगा तो फिर दूसरे लोग भी इस तरह का सवाल सामने रखेंगे। इसलिये मेरा हरिजन भाइयों से निवेदन है कि वह इस तरह का प्रश्न यहां पर न उठायें कि यह चीज हरिजन के लिये रखी जाय। यदि किसी के अन्दर योग्यता की बात हो और परिश्रम की बात हो तो आप अवश्य उस चीज को उठा सकते हैं। तभी सब के साथ समान व्यवहार किया जायगा। गरीबों के लिये कोई प्रश्न उठाना चाहे वह ब्राह्मण हो या वैश्य हो या हरिजन हो सही बात है। हरिजन गरीब का भी वही स्थान होना चाहिये जो सवर्ण गरीब का स्थान है। इसमें जाति पांति का सवाल उठाना उचित नहीं है। शिक्षा के सम्बन्ध में जो बोर्ड आपने रखा है उसका भी परिणाम यही है कि आपस में भेदभाव बढ़ता जा रहा है और आज जाति के रूप में लोग अपने को संगठित करेंगे तो हमारे देश की क्षति होगी। इसी से हमारा देश १ हजार वर्ष तक गुलाम रहा है। इससे हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचेगी। मैं हरिजन भाइयों से कहूंगा कि हर बात में अछूत की बात न उठावें। बल्कि गरीबी या योग्यता का कोई मापदंड बना लिया जाय, वरना ब्राह्मण कहेगा कि ब्राह्मण हो, तेली कहेगा कि तेली हो और अहीर कहेगा कि अहीर हो, इसी तरह होता जायगा। इस प्रकार आप कहां-कहां किस-किस को रखेंगे? मैं नारायणदास जी से निवेदन करूंगा कि अपने संशोधन को वापस लें और ऐसा संशोधन कोई दूसरे भाई यहां न लावें और जाति पांति की भावना यहां न उठावें।

श्री नारायणदास---उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने जो संशोधन रखा है, जहां तक मजदूर यूनियन का सवाल है, मैं कुशल मजदूर था। इसमें सन्देह नहीं कि मजदूर यूनियन में जाति पांति का भेदभाव नहीं है। यहां पर मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि दोनों समान रूप बराबर संख्या में होंगे, वहां मैंने कुछ नहीं कहा। वहां अन्य ५ आदमी को गवर्नमेंट नामजद करती है तो उसमें गवर्नमेंट के समझने की बात है कि अगर उसमें हरिजन या मोमिन आ जाते हैं तो इसमें मजदूरों के प्रतिनिधि घट कैसे रहे हैं। अगर सरकार इसमें पूंजीपतियों को या सरकारी अधिकारियों को नामजद कर दे तो मजदूरों की क्या दशा होगी? इसमें मजदूर यूनियन की कोई बात नहीं है। हरिजन और मोमिन जो ९० फीसदी मजदूरों में काम करते हैं उन्हें अधिक अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल जाता है। मैं नहीं समझता कि मेरे संशोधन का विरोध करने का माननीय सदस्यों का क्या अभिप्राय है। श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नामजद करते समय वह मेरी भावनाओं की कद्र करेंगे, इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) श्रम कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार नाम-निर्देशित करे समिति का पदेन (ex officio) सदस्य सेक्रेटरी होगा।"

मैंने लेबर विभाग के सेक्रेटरी को हटा कर लेबर वेलफेयर कमिश्नर रखा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) श्रम कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार नाम-निर्देशित करे समिति का पदेन (ex officio) सदस्य सेक्रेटरी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द 'पांच वर्ष' के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष' रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्य काल ५ वर्ष का होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी और पिछले दिनों में भी माननीय मंत्री जी की ओर से यह आश्वासन दिलाया गया कि इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होगा और यह भी विश्वास दिलाया गया कि जिसकी भी नियुक्त होगी उसका अच्छे ढंग से खयाल रख कर की जायगी कि वह इस कार्य का ठीक प्रकार से संचालन कर सके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग मजदूरों में काम करते-करते शक्की हो गये हैं और उस शक होने की वजह से डर यह है कि कहीं हमारी बागडोर सरकार के हाथ में लंबी अवधि के लिए न चली जाय और किन्हीं कारणों से बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको हम लोग नहीं चाहते या इस तरीके के सदस्य आ जायं जिनसे रोज हमारा झगड़ा हो। हम तो कहें कि मजदूरों का यह कार्य होना चाहिये और जो मिल मालिक के प्रतिनिधि हैं वे कहें कि यह कार्य होना चाहिये। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट्स अलग-अलग हैं। उस समय कहीं हमारे सरकारी कर्मचारी कहें कि यह तो मिल मालकों और मजदूरों का झगड़ा है, हमें तो अपने को अलग रखना चाहिये, जिसको दोनों मिल कर करें उसमें हम भी साथ देंगे। अगर इस प्रकार का कोई मतभेद हुआ तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तब हम ५ वर्ष तक सरकार का दरवाजा खटखटाते रहें कि बोर्ड कुछ काम नहीं करता है, तब जाकर सरकार कहीं और ऐक्शन लेगी, और कहेगी कि हम आफीसर नियुक्त करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड कि अपना काम ठीक तरह से करता है या नहीं और जब अफसर कहेगा कि काम ठीक नहीं चल रहा है तब बोर्ड को सरकार बन्द करेगी। इस खतरे की वजह से ५ वर्ष के बजाय ३ वर्ष कर दिया जाय तो ठीक होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है। मान लिया जाय माननीय मंत्री जी

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

जी अपने कार्यकाल में सदस्यों को नियुक्त करते हैं। अगर वह बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य करता है तो कोई कारण नहीं कि अगले तीन वर्षों के लिये वही बोर्ड फिर न रक्खा जाय लेकिन उसकी नीति ग़लत है तो सदन को और बाहर के लोगों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उस नीति को परिवर्तन करा दें। ऐसी हालत में अगर ३ वर्ष रख दिया जाता है तो वह परिवर्तन आसानी से हो जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पांच वर्ष से तीन वर्ष करने का ताल्लुक है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय अवस्थी जी ने अपने भाषण में यह कहा कि मैंने उनको यह आश्वासन दिया कि गैरसरकारी चेयरमैन होगा। मैंने केवल यह कहा था कि यथासंभव गैरसरकारी चेयरमैन भी हो सकता है लेकिन ऐसा आश्वासन मैंने कहीं पर भी नहीं दिया कि गैरसरकारी चेयरमैन ही होगा। इसके सिलसिले में गैर-मुताल्लिक आपने इसका जिक्र किया फिर भी मैं यह स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। जहां तक संशोधन का ताल्लुक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल--क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये हमें भी यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

बोर्ड के कृत्य

११--बोर्ड के कृत्य यह होंगे --

(क) श्रमिकों के कल्याण के लिये योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हे बनाना;

(ख) इस प्रकार बनायी गयी योजनाओं के निष्पादन (execution) के उपायों एवं साधनों को निश्चित करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निधि का प्रशासन करना; और

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे जायं।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ११ के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित उपखंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(कक) श्रमिकों का बौद्धिक स्तर ऊंचा करने की व्यावहारिक योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।"

इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, उनको मैं नहीं पेश करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बड़ी कोशिश की है कि हम अपने मजदूरों के स्तर को ऊंचा करें। हर तरह से कोशिश की है, सहायता की है। हमारे श्रम मंत्री जी ने जैसा कहा कि उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, विभागीय कर्मचारियों ने उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये बड़ी कोशिश की लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं...

श्री रामसुभग वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल—तो मैं अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान और रहने की जगह से ही सुख और शान्ति नहीं मिलती है। एक श्लोक है—

"नजातु कामः कामानाम्, उपभोगेन शाम्यति,
'हविषा कृष्ण वर्तमेव, भूय एवामि वर्धते।।"

काम से काम की तृप्ति नहीं होती। मसलन्, यज्ञ में जितनी ही आहुति और घी डालिये उतनी ही आग और प्रज्वलित होगी, बढ़ेगी। तो वे आर्थिक सहायता से सन्तुष्ट नहीं हुआ करते। बड़ी अजीब बात है कि जितना ही मिलता है उतना ही लालच बढ़ता जाता है। इसलिये जरूरी है कि उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा करें।

हम खुश हैं पेड़ के पत्ते से, बल्कल से, और आप खुश हैं दुशाले से, हमारी और आपकी खुशी बराबर है। निगाह अपनी-अपनी, पसन्द अपनी-अपनी, आप वहां खुश हम यहां खुश। गरीब वही है जिसमें लालच बढ़ा हो। जब मन सन्तुष्ट होता है तो कौन धनी है और कौन गरीब है? सब बराबर हैं। तो जरूरी है कि उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा किया जाय। यदि समझ सकें कि सुख-दुख कहां है, किस प्रकार का है, कहां आराम मिलता है, कैसे आराम मिलता है? श्रीमन्, बाज लोग ऐसे होते हैं, जैसे जेलखाने में जब हम लोग थे तो उसको ही बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि हम समझते थे कि एक अच्छे काम के लिये हम जेल आये हैं। श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि श्री रामप्रसाद विस्मिल जिनको फांसी की सजा हुई तो जेलखाने में उनका वजन बढ़ गया। वे समझते थे कि एक अच्छे काम के लिये मुझे फांसी दी जा रही है इसी से उनका वजन बढ़ गया था। बड़े-बड़े धनी लोग जो होते हैं उनको मानसिक शान्ति नहीं मिलती है। मेरा कहना यह है कि उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा कीजिये। उन्हें जो अखबारें अच्छी हों वह दी जायं, अगर वह पढ़े न हों तो उनको पढ़ाने के लिए अच्छे लोगों को भेजा जाय, उनको अच्छी किताबें पढ़ाई जायं, उनमें धार्मिकता पैदा की जाय ताकि वह भले बुरे को पहचान सकें कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। उनके पास बड़ी शक्ति है उनको उसके साथ होशियार होने की जरूरत है। उनको चाहे कितनी ही सहूलियत और आराम पहुंचाया जाय, लेकिन वह गलत प्रचार और प्रोपेगेन्डे में आकर कह देते हैं कि तुमको बड़ी तकलीफ है, उनको बहकाया जाता है कि तुम बड़ी तकलीफ में हो, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सरकार तुम्हारी बात को नहीं सुनती, तुम्हारी हर तरह की उपेक्षा होती है और तुमको कोई आराम नहीं है। यह सब प्रचार उनके बीच किया जाता है। इसलिए इन बातों के सही रूप को समझने के लिए उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष है और उनमें मेल नहीं हो सकता .....

श्री जगन्नाथमल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा कि कोई माननीय सदस्य यदि इसी विधेयक पर बोलते समय इर्रिलेवेन्ट बोलने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठाएं जा चुके हैं तो क्या वह फिर इस तरह से बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं, माननीय सदस्य प्रायः संशोधन पर ही बोल रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---इन बातों से थोड़ा सा हंसने का मौका मिल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपका जेल में भी साथ रह चुका है। वह मेरा विरोध करते हैं तो क्या---

"वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं।
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में।"

हमारे दोस्तों को यह मालूम नहीं है कि हमारी सरकार ने आजादी के बाद एक बीच का रास्ता निकाला है। उन्होंने साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद सब की खूबियों को, सब की अच्छाइयों को लेकर एक रास्ता अख्तियार किया है, हर चीज के ऐब को उसकी बुराइयों को छोड़ दिया गया और उसकी अच्छाइयों को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और सब को आराम पहुंचा सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप अब तक कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं मेहरबानी करके आप जरा अपनी पुस्तकें भी पढ़िये और उनके बौद्धिक विकास को भी बढ़ाइये, जितना साम्यवाद अपनी पुस्तकों में है उतना और कहीं नहीं है। भागवत का एक श्लोक है कि---

"यावत भ्रियेत् जठरम् तावत् सत्वं हि देहिनाम्।
अधिकम् योभि मन्येत सस्तेनो दन्डमरहति।।"

अर्थात्, जो जितना पचा सकता है उतना ही लेने का अधिकार उसको है और जो अधिक मांगता है वह चोर है और दंड का भागी है। इससे बढ़कर और क्या साम्यवाद हो सकता है और जो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे धर्म ग्रन्थों में हमें सिखाया है? हमारे दोस्त कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है और मजदूर भाइयों का शोषण कराती है। मैं कहता हूं कि अगर मजदूरों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा तो इस तरह के झूठे प्रचार में वह न आवेंगे और स्वविवेक से काम लेकर वह अपने नफे नुकसान को स्वयं समझेंगे। जहां तक संघर्ष की बात है, आज बाप बेटे में भी संघर्ष हो सकता है; बेटा चाहता है कि हमें खूब पैसा बाप से मिले, बाप नहीं दे सकता तो संघर्ष है। स्त्री चाहती है कि मुझे घर का कुछ काम न करना पड़े, लेकिन पति चाहता है कि वह खूब काम करे, उनमें भी संघर्ष है। अगर इसी को संघर्ष कहने लगे और बुद्धि से काम न लें तो घर नर्क हो जाय, लेकिन इस संघर्ष को दूर करने के लिए जरूरी है कि हमारे मजदूर भाइयों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो, वह स्वयं समझें कि हम अगर ज्यादा काम करेंगे तो मिल मालिक को लाभ होगा और उससे हमारा भी वेतन या मजदूरी बढ़ सकती है और अगर हड़ताल करेंगे तो नुकसान होगा और उसका असर उन पर भी पड़ेगा। इस चीज को वह समझें और किसी के कहने में न आयें यह बहुत जरूरी है और यह तभी हो सकता है जब अभी से उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा किया जाय। घाटा होगा। हमारे मिल मालिकों को मालूम होना चाहिये कि जितना ही मजदूर खुश रहेगा उतना ही मुनाफा होगा, तभी उसका फायदा हो सकता है।

अब एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। हुजूरवाला, वह नई-नई मशीन लगायेंगे जिनसे काम ज्यादा होगा और मजदूर कम लगेंगे इससे मजदूरों को नुकसान हो जायगा। मजदूर भाई क्या करेंगे? ट्रेड यूनियन के मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अजीब हालत है। जिस वक्त एक ने कहा गलत है नहीं होना चाहिये तो मेरे एक सोशलिस्ट दोस्त ने कहा मैं जानता हूं कि मांग गलत है लेकिन अगर सपोर्ट न करें तो वे कम्युनिस्ट हो जायंगे, लिहाजा अपनी ख्वाहिश के खिलाफ भी हम उनको सपोर्ट करते हैं।

मैं अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को---आई० एन० टी० यू० सी० को---मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपनी लीडरी को खतरे में डाल दिया। एक वक्त खाना छोड़ा जा सकता है, मकान, कपड़ा और सारे आराम छोड़े जा सकते हैं लेकिन इज्जत को खतरे में डालना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हिम्मत करके सच बात कही। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने

सच बात कही और यह सोचकर कही कि कुर्सी रहे या न रहे। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि नई मशीनें लगाने से मजदूरों में बेकारी बढ़ेगी। अगर नई मशीने लगायेंगे तो बेकारी बढ़ेगी मोटे तौर पर यह देखने से ऐसा ही मालूम होगा। तो फिर, श्रीमन्, आप पुरानी ही लगाइये। लेकिन पाकिस्तान नई मशीन लगायेगा। बर्मा नई मशीन लगायेगा। इंगलैण्ड, जापान और जर्मनी नई मशीनें लगायेंगे। उनका माल सस्ता होगा। हमारा माल महंगा होगा। उनका माल बिकने लगेगा, हमारा नहीं बिकेगा। आप उनका माल अगर यहां आने नहीं देंगे तो वह भी आपका माल बन्द कर देंगे। बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। कोई कहे कि आटम बम मत बनाओ; इससे बेकारी बढ़ेगी। इतनी बड़ी फौज रखने की फिर क्या जरूरत रहेगी? लेकिन आटम बम बनाना जरूरी है और वह बनेगा। उसी तरह से हमको दुनिया के साथ परिस्थितियों को देख कर चलना है। हमें नई मशीनें लगानी होंगी।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने संशोधन पर बोल रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल---बिल्कुल टु दी प्वायंट।

श्री जगन्नाथमल्ल---मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा हम लोग पूरी तरह समझ गये और अधिक भाषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से संशोधन हैं और शाम तक खत्म करना है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री जगन्नाथमल्ल से) आप बैठ जायं।

श्री सीताराम शुक्ल---कोशिश आप करियेगा जब आप वहां बैठ जायं। उनका काम आप न करें, हमारे उपाध्यक्ष महोदय बहुत होशियार हैं। नई मशीनें लगेंगी हमारे पास पैसा ज्यादा आयेगा, सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, माल ज्यादा तैयार होगा और काम के हम चंद घंटे मुकर्रर कर देंगे। मिलों से पैसा लेकर हम मजदूरों को कपड़ा, मकान और खाना दे सकेंगे। इसलिये हमें प्रचार करना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब जिन्होंने आराम पर ठोकर मार दी और कूद पड़े थे आजादी के जंग में उनकी हुकूमत में आराम नहीं मिलेगा, उनकी हुकूमत में अगर मजदूरों की भलाई नहीं होगी तो क्या उनके जरिये भलाई होगी जो मजदूरों से चन्दा मांग कर ही उनका काम करते हैं? इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे दुनिया की और मिलें चलेंगी नई मशीनों के साथ वैसी ही हमारी भी मिलें चलेंगी और श्रमिकों के लिये खाने, कपड़े और मकान की कमी नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता था कि हमारा सदन पास कर चुका है धारा ४ और उसमें यह आ गया है---"अन्य ऐसे उद्देश्य जिनसे औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो तथा उन की सामाजिक दशाओं में सुधार हो।" तो अब उसके बाद इस सुधार के आने की आवश्यकता क्या है? मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इसमें तो सदन अपनी राय ज्यादा अच्छी तरह दे सकेगा।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुक्ल जी ने बतलाया कि मजदूरों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जैसा अवस्थी जी ने बताया एक पहले अमेंडमेंट में आया है कि सामाजिक स्तर उनका ऊंचा किया जाय और उनकी हर देख-भाल, पढ़ाई-लिखाई इत्यादि का प्रबन्ध किया जाय। जब उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा किया जायगा तो उसमें हर पहलू का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो अमेंडमेंट शुक्ल जी ने पेश किया है वह अनावश्यक है और मैं उसका विरोध करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय शुक्ल जी ने भाषण दिया बड़ा विद्वत्तापूर्ण और बड़े ऊंचे विचारों को उन्होंने प्रकट किया है, परन्तु उसका कोई सम्बन्ध इस धारा से नहीं है। इस लिए जैसा कि अभी माननीय अवस्थी जी ने सदन का ध्यान दिलाया है वह पहले ही एक धारा पास हो चुकी है, जिसमें यह सब बातें आ गई हैं और सामाजिक और उनकी जीविका का स्तर ऊंचा करने के लिए जो साधन उसमें दिए हैं, उपाय बतलाये हैं, वह सब उसमें शामिल हैं। इस लिए कुछ इसकी आवश्यकता इस वक्त नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस कर लेंगे। अन्यथा मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जैसा कि अभी अवस्थी जी ने बताया कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही इस किस्म की धारा को पास किया जा चुका है। तो दरअस्ल इसकी आवश्यकता तो थी नहीं। अगर माननीय सदस्य को बोलना ही था तो किसी भी संशोधन पर वह बोल सकते थे और जो कुछ वह इस पर बोले, अपने संशोधन पर, अगर उनको बोलना ही था तो किसी भी संशोधन पर वह बोल सकते थे चाहे उस संशोधन को उन्होंने पढ़ा हो या न पढ़ा हो। इसलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा जवाब ववाब अब माननीय सदस्य न दें, क्योंकि इस विधेयक को इस सदन को आज ही पास करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय शुक्ल जी से कि अपने संशोधन को वह वापस ले लें और जो भाषण उन्होंने यहां पर दिया है हम लोग चाहेंगे कि शुक्ल जी गेट पर चलें और वहां मजदूरों को समझायें तो उससे मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। वहीं पर चल कर मजदूरों का एक क्लास वह खोल लें। हम लोग जब जेलखाने में थे तो शुक्ल जी एक क्लास चलाते थे और हम लोगों को सिखलाया करते थे कि भाषण कैसे देना चाहिए....

श्री केशव गुप्त---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी एक दूसरे आनरेबुल मेम्बर पर आक्षेप कर रहे हैं कि वह समझते नहीं...

श्री उपाध्यक्ष---यह आक्षेप नहीं बल्कि यह तो उनकी तारीफ कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मैं तो सचमुच तारीफ कर रहा था कि हम लोगों को वह जेल में बताते थे कि किस तरह भाषण करना चाहिए और भाषण करते वक्त किस तरह का मुंह बनाना चाहिए, किस तरह से हाथ उठाना चाहिए, सब वह बतलाया करते थे। इसी तरह के दो ट्रेनिंग स्कूल एक कानपुर में और एक चीनी मिलों में खोल दिये जायं और उसमें शुक्ल जी मजदूरों को समझायें कि किस तरह से हड़ताल नहीं करना चाहिए, किस तरह से अभिनवीकरण करना चाहिए। इस तरह से बजाय इसके कि वह संशोधन पेश करें अगर कोई और इस तरह का तरीका अख्तियार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सीताराम शुक्ल---अभी-अभी आपके सामने हमारे जगन्नाथ मल्ल जी ने फरमाया था इर्रेलीवेंट सीताराम बोल रहा है और अभी उनका व्याख्यान हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि जेलखाने में अगर वह सीखते तो आज हमारे साथ होते, उधर न बैठे होते। दूसरी बात यह कहने की है कि यह फरमाया गया कि कोशिश की गई, प्रयत्न किया जा चुका है, पास हो चुका है। हुजूरवाला, दर्जा पास करना, एम० ए० पास करना और बात है और बुद्धिमान होना और चरित्रवान होना यह दूसरी बात है। सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाना दूसरी बात है और उसके साथ-साथ विद्वान् होना दूसरी बात है। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। पढ़ाना ही काफी नहीं है, उनको चरित्रवान बनाना भी आवश्यक है। खैर, यदि उनको पसन्द नहीं है, तो मैं तो वालंटियर हूं, सिपाही हूं, अगर हुक्म हो गया तो वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथमल्ल---परसनल एक्सप्लेनेशन देना है, श्रीमन्। उन्होंने कहा कि मैं सीखा करता था, तो अगर पूरी तरह से सीखता तो उन्हीं की तरह से मैं भी भाषण देने लगता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

बोर्ड द्वारा लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

१२---निधि में से जिन कार्यों को वित्तीय सहायता मिल रही है उनके संचालन एवं निरीक्षण के निमित्त बोर्ड को आवश्यक लिपिक तथा कार्यपालक कर्मचारी (clerical and executive staff) नियुक्त करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना न की जायगी, जिसके बारे में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य सहमत न हों।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर किया जाने वाला व्यय निधि की वार्षिक आय के नियत प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न होगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह है कि इस कार्य के करने के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किये जायं और उनकी नियुक्ति में सरकार का हाथ होगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य पहले अपना संशोधन पेश करने की कृपा करें। संशोधन पेश नहीं किया माननीय सदस्य ने।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---खंड १२ के पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसे पद (post) पर, जिसका अधिकतम वेतन क्रम (maximum time scale) ३०० रुपये प्रतिमास से अधिक है, नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही की जायगी।"

अभी तक यह है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना न की जायगी।" तो, अध्यक्ष महोदय, अगर बोर्ड को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपने यहां के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति कर सके तो बोर्ड के सामने बड़ी दिक्कत आयेगी। चूंकि बार-बार श्रम मंत्री मुझसे यह कहते हैं कि कोई आउट साइडर होगा मैं उस चीज को छोड़ देता हूं। मैं यह मानता हूं कि जिस किसी व्यक्ति की आपने नियुक्ति की और बोर्ड को उससे काम लेना है। यदि उसको हर व्यक्ति के लिए, हर कर्मचारी के लिए आपसे पूछना पड़े, सरकार से पूछना पड़े तो बड़ी मुश्किल सी चीज होगी। ऐसी दशा में उन कर्मचारियों को जिनका वेतन तीन सौ रुपये से अधिक न हो---मंशा कहने का यह है कि अभी तक १२० के ऊपर जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने चला जाता है और कोई आदमी जो यहां आना पसन्द करेगा, यहीं रहना पसन्द करेगा वह यह जरूर चाहेगा कि हम बोर्ड के कार्य को बोर्ड के सदस्यों के अनुसार कर सकें ताकि वह हमारे कार्य से प्रसन्न रहें और जब वह प्रसन्न रहेंगे तब जरूर यह होगा कि बोर्ड अपने आदमी रखे। वैसी हालत में आप किसी भी पद पर अगर अच्छे कर्मचारी रखना पसन्द करेंगे तो वह सौ, डेढ़ सौ, दो सौ के नीचे के कर्मचारी इतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तीन सौ रुपया तक कर दिये जायं ताकि किसी भी

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

कर्मचारी को, चूंकि हमारा कार्यकाल तीन वर्ष का है, तो तीन वर्ष के अन्दर हम उसे अच्छा वेतन दे सकें। जैसे अगर हम दो सौ रुपये तक किसी को रखते हैं और कहते हैं कि २५ रुपया सालाना तीन वर्ष तक तरक्की देंगे तो हम अपने कार्यकाल में रख सकते हैं किसी अच्छे और योग्य अधिकारी को। इसलिए मैं चाहता हूं कि तीन सौ रुपया तक के अधिकारी को बोर्ड को रखने का अधिकार मिले।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह समझूं कि २६ पर जो संशोधन है वह माननीय सदस्य ने वापस कर लिया है ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, २६ मैंने वापस ले लिया है और २६ (क) पेश किया है।

आचार्य जुगलकिशोर---जो संशोधन उन्होंने रखा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसे पद (post) पर, जिसका अधिकतम वेतन क्रम (Maximum Time Scale) ३०० रुपये प्रतिमास से अधिक है, नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल---उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं यह चाहता हूं कि बोर्ड को पूरे अधिकार होने चाहिये अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको भर्ती करने के। लेकिन ३०० रुपये से नीचे के कर्मचारियों के लिये बोर्ड को अधिकार दे दिया है, इसलिये मैं इसको पेश नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

बोर्ड के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने अथवा हटाने का राज्य सरकार को अधिकार।

१३---राज्य सरकार अनुपयुक्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बोर्ड की सेवा में विहित रीति से हटा सकती है। अधिकार होगा, जिसके विषय में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य एकमत नहीं हैं राज्य सरकार की होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ की पंक्ति २ में आये शब्द "में विहित" के स्थान पर शब्द "से नियत" रख दिया जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ की पंक्ति २ के शब्द "अधिकार" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "की होगी" तक निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, खंड १३ में शब्द "में विहित" टाइपोग्राफिकल एरर है इसलिये यह हो जाय तो ठीक है। जहां तक इन शब्दों के हटाने का सवाल है कि "अधिकार होगा जिसके विषय में बोर्ड को या ऐसे सदस्य एकमत में हों, राज्य सरकार से होगी।" यह गलत रखा गया था और इससे संबंध भी नहीं था, अतः इसको हटा देने का प्रस्ताव है। आशा है यह स्वीकृत होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि चाहे विहित रीति से हो या नियत रीति से हो, लेकिन इसकी व्यवस्था कहां की गई है यह देखना है, चाहे किसी भी रीति से हो। मैं समझता हूं कि इसमें यह कहीं नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि लेकूना को दूर कर दिया जाय तो उत्तम होगा।

आचार्य जुगलकिशोर—नियत के संबंध में २४ धारा है, रूल बनने की धारा है उसमें सब आ जायंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कहना नहीं है और मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ की पंक्ति २ में आये शब्द "में विहित" के स्थान पर शब्द "से नियत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 'खंड १३ की पंक्ति २ के शब्द "अधिकार" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "की होगी" तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ हटा दिया जाय।

मैं तो चाहता था कि यह जो निकालने वगैरा का अधिकार है यह बोर्ड के हाथ में रहना चाहिये। जो अभी संशोधन के द्वारा निकाला गया उसमें यहां तक था कि अगर तीन चौथाई बहुमत से कम हो तो फिर उसमें राज्य सरकार दखल देगी। अब मैं देखता हूं कि उसकी शक्ल और बिगड़ गयी और पूरा अधिकार राज्य सरकार को मिल गया कि वह जिसको चाहे उसको निकाल दे। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका हम हमेशा विरोध करते आये हैं। और अगर यही मनोवृत्ति है तो बोर्ड एक खिलवाड़ है और राज्य सरकार जिसको चाहे निकाल दे बोर्ड से कुछ मतलब ही नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि खंड १३ हटा दिया जाय।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने जो बात कही है वास्तव में सच है लेकिन कहा जरा देर में है। इस संशोधन पर ही आपको यह चीज लानी चाहिये थी और मेरा भी ऐसा खयाल है कि इस प्रतिबन्ध की यहां आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी के साथ-साथ कुछ कन्वेन्शन्स भी होते हैं, कुछ सरकारी तरीके भी हैं और वह यह कि जो अधिकारी नियुक्ति करता है उसी को बरखास्त करने का अधिकार होता है। मेरा खयाल है कि अगर बोर्ड उनकी नियुक्ति करेगा तो बोर्ड ही उन लोगों को अलग कर सकेगा। ऐसी हालत में अब इस समय पूरे क्लाज को हटा देने के माने ये हो जायंगे कि जो ३०० रुपये तक के लोगों की नियुक्ति बोर्ड कर सकता है वह भी सरकार के हाथ में चला जायगा। इसलिये मेरा विचार है कि इसको पास होने दें और अगर इसमें कभी कोई गड़बड़ी पायी गयी तो दूसरा संशोधन लाकर हम उसे ठीक कर लेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने पूरी धारा को निकालने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह उचित नहीं है, क्योंकि जो संशोधित खंड में एक प्रतिबन्ध अभी लगाया गया है उसके अनुसार उनको नियत रीति के अनुकूल निकालने का अधिकार राज्य सरकार को होगा और नियत रीति में स्पष्ट होगा कि किन-किन आधारों पर राज्य सरकार उनको निकालेगी। राज्य सरकार तभी निकालेगी जब अप्वाइंटिंग अथारिटी से कोई शिकायत उसको मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि नियत रीति में यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार यह लिख दे कि बोर्ड को ही उनको डिसमिस करने का, सस्पेंड करने का, पनिशमेंट देने का

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

अधिकार हो। राज्य सरकार अगर नियत रीति से अधिकार लेती है जैसा कि प्रतिबन्ध में है तो मैं समझता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी के मन में जो शंका आयी है उसका अपने आप निराकरण हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि अब वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा को निकालने से यह हो जायगा कि किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा कि जो कर्मचारी होंगे उनको निकाल सके। इस धारा का मतलब यही है कि राज्य सरकार अनुपयुक्तता के आधार पर ही और जो नियम बने होंगे उनके आधार पर ही किसी को निकाल सकेगी। इसलिये इस धारा को रखना बहुत आवश्यक है। इसी आधार पर नियम बनाये जायेंगे और उन नियमों को हाउस के सामने पेश भी किया जायगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से संशोधित धारा पहले पास हो चुकी है वह इसमें रहे। इसलिये मैं माननीय मल्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

मंत्रणा समिति का संगठन।

१४---(१) इस अधिनियम अथवा निधि के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार तथा बोर्ड को मंत्रणा देने के निमित्त राज्य सरकार एक मंत्रणा समिति (Advisory Committee) का संगठन करेगी।

(२) मंत्रणा समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी---

(क) एक सभापति (chairman) जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करेगी ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले कर्मचारियों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर-बराबर संख्या, जो नियत की जाय ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले अन्य व्यक्ति ऐसी संख्या में जो नियत की जाय किन्तु जो खंड (ख) में नियत सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो।

(३) मंत्रणा समिति के सदस्य संबद्ध संगठनों से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किय जायंगे।

(४) श्रम कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे समिति का पदेन (ex officio) सेक्रेटरी होगा।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी के खड़ा होने पर) माननीय सदस्य केवल विरोध कर सकते हैं; कोई संशोधन खंड निकालने के लिये नहीं हो सकता।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, मैं इस धारा का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह खंड इसमें से निकाल दिया जाय, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मंत्रणा समिति बनाई गई है वह बिल्कुल बेकार सी संस्था है। इसका कोई मतलब नहीं होगा सिवा इसके कि इस समिति को बुलाने में टी० ए० और डी० ए० में बहुत सा फंड खर्च हो जायगा और इससे कोई फायदा होने के बजाय मैं तो समझता हूं कि नुकसान ही होगा, क्योंकि बोर्ड में और मंत्रणा समिति में झकझक हो सकती है और काम में देर हो सकती है। मतभेद होने पर कागज मंत्रणा समिति बोर्ड और सरकार के बीच चलते रहेंगे, आपस में कलैश होता रहेगा और काम नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड को किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत होगी तो उसको अधिकार है कि उसको बुलाकर राय ले ले। इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे कि यह बिला वजह रखा गया है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको इसमें से हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी के पुनः खड़ा होने पर) आप तो मना कर चुके हैं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--मैंने मना नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि संशोधन के रूप में तो आप नहीं कर सकते, विरोध के रूप में भाषण दे सकते हैं। शायद आपके सुनने में भ्रम हुआ है। आप विरोध करना चाहते हैं पूरे क्लाज का शायद, इसलिये आपको फिर मौका दिये देता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, शायद कुछ गलतफहमी हो गई, लेकिन मुझे खुशी है कि सदन में हमारे दूसरे साथी जिनके और हमारे बीच सदन के बाहर कार्य करने की शैली में कुछ मतभेद हो, लेकिन हम लोग आज इस बिल में सब एक साथ चल रहे हैं और इसी सिलसिले में जो जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है मैं भी वही पेश कर रहा हूं। इस खंड १४ में यह है कि एक मंत्रणा समिति बनायी जाय और समिति भी काफी लम्बी चौड़ी है। इसमें भी वही कार्य होगा, जो बोर्ड में और उसमें भी उससे अधिक व्यक्ति होंगे जो पहले हम एक बोर्ड पास कर चुके हैं। मंत्रणा समिति के बनाने से सिवाय इसके कि हमारे कार्य में देरी हो और दो बोर्डों के बीच में एक दूसरे का मतभेद हो इसके अलावा इससे और कोई लाभ नहीं है। ऐसी दशा में मेरा तो यह पूरा विश्वास है कि मंत्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे जिससे कि खर्च की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और कार्य भी सुचारु रूप से चल सकेगा। इसलिये इस मंत्रणा समिति को, १४वें क्लाज को, पूरे का पूरा निकाल दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इस खंड १४ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जब कभी भी कोई सरकार इस प्रकार का बोर्ड बनाया करती है जिस प्रकार का आज श्रम कल्याण निधि बोर्ड बनाया जा रहा है तो इसके कुछ सिद्धान्त हुआ करते हैं। मैंने इस विधेयक के आम विवाद के समय कोई विचार व्यक्त नहीं किये थे। परन्तु इस खंड का विरोध करते हुये यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से यह खंड १४ रखा गया है और जिस तरह से खंड १४ इस विधेयक के स्वरूप पर प्रकाश डालता है उसे देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर इस विधेयक को केवल इतना कह दिया जाय कि यह विधेयक सरकार के द्वारा नामजद किये जाने वाले कुछ व्यक्तियों के समूह को एक विधान का नाम देने की चेष्टा है तो अनुचित न होगा। अगर सरकार स्वयं इस बात को कहती कि इसको सरकार परिचालित करेगी, मंत्री जी इसके चेयरमैन होंगे, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इसके सेक्रेटरी होंगे, लेबर कमिश्नर इसके कमिश्नर होंगे और सरकार इस आशय का एक नोटीफिकेशन निकाल देती तो अधिक शोभायुक्त बात होती बजाय इसके कि हम उसी बात को एक विधेयक का स्वरूप दे कर हर कहीं और खाने में सरकार की मुहर लगा दें और फिर कौन ऐसा विषय है कि जिसके लिये एक बोर्ड

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की स्थापना हो और फिर एडवाइजरी कमेटी की स्थापना हो ? एडवाइजरी कमेटी के सामने पहले एजेन्डा जाय और फिर वह अपनी राय दे और फिर बोर्ड के सामने वह जाय और उस पर सरकार के आदेश होते रहेंगे । निधि का खर्च कैसे हो इस पर सरकार के आदेश होते रहेंगे, कर्मचारियों को भी आदेश सरकार देती रहेगी, लेकिन बीच में देर लगाने के लिये यह बोर्ड बना दिया गया है और उसमें अब एडवाइजरी कमेटी आ रही है । मैं जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि जहां इस प्रकार के बोर्ड बनाये गये हैं और केवल इतने सीमित उद्देश्य के लिये हों, वहां क्या एडवाइजरी कमेटी बनायी गई है । किसी भी प्रकार के दो संगठन खड़े करना जिनके कार्य एक ही हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार उचित नहीं है ।

अब जरा बोर्ड और एडवाइजरी कमेटी के कार्य और निर्माण की तुलना करें । सभापति दोनों जगह नामजद होंगे, कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर, संख्या दोनों जगह नियत होगी । केवल एक फर्क होगा कि बोर्ड में एक महिला प्रतिनिधि होगी, लेकिन एडवाइजरी कमेटी में महिला प्रतिनिधि वंचित हो गई है । और अन्य व्यक्तियों की संख्या बोर्ड में ५ हैं और इसमें लिखा है खंड (ख) में, जितने प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायंगे उस के आधे होंगे । इसके अलावा नामजदगी के तरीके में कोई फर्क नहीं विषय वही, एजेन्डा वही । तो मैं समझता हूं कि एडवाइजरी कमेटी बिलकुल निरर्थक है । माननीय मंत्री जी ने काफी सद्भावनापूर्ण रुख दिखलाया है आज, और अगर वह इस महत्वपूर्ण खंड को वापस ले लें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो अत्यन्त ही उचित होगा ।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने और साथियों के साथ इसी मत का हूं कि खंड १४ को इसमें से हटा दिया जाय । और ज्यादा न कहते हुये मैं भी यह समझता हूं कि इस ऐडवाइजरी कमेटी को अगर हम बनायेंगे तो उससे और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है । एक तो काम में डुप्लीकेसी हो जायगी और बजाय इसके कि मजदूरों का हित हो, और इससे अहित हो सकता है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इस खंड को इस विधेयक में से निकाल दिया जाय ।

*श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अन्य माननीय सदस्यों की भांति यह समझता हूं कि यह जो धारा है अनावश्यक है । जब सरकार ने बोर्ड बनाया है वही उसको मनोनीत करेगी और सभी अधिकार उसको है । फिर इस मन्त्रणा कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उससे उसके काम में अड़चन पड़ेगी और देर लगेगी । सरकार जब उस बोर्ड को बनायेगी तो फिर उसको किसी मन्त्रणा की अगर आवश्यकता है तो सरकार किसी अफसर को रखे वह उसके कामों को देखता रहेगा और अगर आवश्यकता है तो वह सलाह दे सकता है । इसलिये मैं इस १४ धारा को अनावश्यक समझता हूं और यह समझता हूं कि इस मन्त्रणा कमेटी से बाधा पड़ेगी । इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस धारा को इससे निकाल दे । मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को पसन्द करेंगे ।

श्री शिवनारायण---जो एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है मैंने भी उस धारा को पढ़ा है, लेकिन उसमें कोई खराबी इस समय नहीं दिखाई देती है । जहाँ पर राज्य सरकार ने कोई बोर्ड बना दिया है तो वह तो काम करेगा ही लेकिन जहां पर एडवाइजरी कमेटी बनाई गयी है तो उसके ऊपर भी सरकार का ही कंट्रोल रहेगा । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इल्लिगल हो । इसलिये मैं समझता हूं कि जो यह कमेटी सलाह देने के लिये बनायी जायगी उससे भी पब्लिक कार्य अच्छी तरह चल सकता है । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है कि जो सुझाव इस धारा को हटाने के बारे में है उसको मैं स्वीकार करूं। परन्तु इतना जरूर कह देना आवश्यक समझता हूं कि इस तरह की एडवाइजरी कमेटी रखने का उद्देश्य यह है कि जैसा उसमें दिया हुआ है कि न केवल वह बोर्ड को सलाह देगी बल्कि गवर्नमेंट की जो और लेबर सम्बन्धित ऐक्टीविटीज होंगी वह उनके विषय में भी गवर्नमेंट को समय-समय पर सलाह देती रहेगी। उस की मीटिंग जब होती तो उनमें जो वह सरकार को सलाह देती तो गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर करती और उसके मुताबिक कार्य करने के लिये बाध्य हो जाती। इस तरह की धारा जो पहले शुगर ऐण्ड पावर ऐल्कोहल इन्डस्ट्री का लेबर वेलफेयर बिल पास हुआ था उसमें भी है। इसी सदन ने उसको पास किया है। अब यह कोई अनोखी चीज नहीं है। और भी विधेयकों में इस तरह की धारा रखी गयी है। यदि सदन इसकी आवश्यकता नहीं समझता है तो मेरे खयाल में भी यह हो सकता है कि फंड पर इसका काफी बोझ आ जाय अगर हम इस तरह की एडवाइजरी कमेटी को रखते हैं। इस खयाल को सामने रखते हुये जो सुझाव रखा गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और इस धारा १४ को निकाल दिया जाय। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड १५

१५---(१) राज्य सरकार एक श्रम कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (executive officer) होगा, तथा निधि में से वित्तीय सहायता प्राप्त तथा उनके कार्यों से संबद्ध अभिलेखों (accounts) की जांच और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों (Inspectors) नियुक्त करेगी। अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

(२) इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, किसी भी उचित समय पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसके संबंध में उसका विचार हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका वहां प्रवेश करना आवश्यक है।

श्री तेजप्रतापसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जाय।

धारा १५ के अनुसार लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और मेरा प्रस्ताव यह है कि यह नियुक्ति, जो बोर्ड इस विधेयक के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, उसके द्वारा हो। कुछ निरीक्षकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि इन इन्सपेक्टरों की नियुक्ति भी बोर्ड द्वारा होनी चाहिये।

मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारा प्रदेश बम्बई के प्रदेश से न केवल इस मानो में पीछे है कि हमने यह विधेयक २, ३ साल बाद प्रस्तुत किया है बल्कि इस तरीके से भी हम पीछे हैं कि हम बम्बई प्रान्त से भी कुछ कम प्रोग्रेसिव हैं। उन्होंने जिस तरह से बोर्ड के विधान की रचना और व्यवस्था की है उससे मालूम होता है कि उन्होंने रखा है कि बोर्ड का सभापति नानआफ़ीशल्स में से राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जायगा। लेकिन हमारे यहां यह नहीं है। इस लिये आप उनसे कुछ प्रतिक्रियावादी भी हैं और पीछे हैं। उन्होंने जहां लेबर वेलफेयर कमिश्नर की व्यवस्था रखी है वहां भी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था नहीं रखी है बल्कि बोर्ड को ही यह अधिकार दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें भी आप उनके सामने रिएक्शनरी हैं। मैं भी इस संशोधन में एक बात नहीं रख सका। पहल पहल लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति चूंकि जब तक बोर्ड निर्मित नहीं हो जाता है

[श्री तेजप्रतापसिंह]

तब तक कठिनाई होगी और काम में रुकावट भी होगी, राज्य सरकार ३ साल के लिये यानी पहली टर्म के लिये, या २ वर्ष के लिये, लेबर वेलफेयर कमिश्नर को नियुक्ति कर ले। ऐसा कुछ प्रतिबन्धात्मक वाक्य इसमें रख दिया जाय। इसलिये प्रथम टर्म के लिये अगर राज्य सरकार अधिकार लेना चाहती है तो ले सकती है। लेकिन हमेशा के लिये बोर्ड की नियुक्ति का कोई अधिकार न हो, यह अनुचित है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—३६ और ३६ (क) दोनों एक ही तरीके के हैं, इसलिये साथ ले लिये जावें तो आसानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—थोड़ा भेद मालूम होता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—तो मैं आप के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। एक बात तो आप ने मान ही ली कि जब तक बोर्ड नहीं बनता है उस समय तक की नियुक्ति राज्य सरकार करे। लेकिन अगर हम इस निधि के बारे में सोचें कि उस की आमदनी क्या और कितनी होगी तो हमको आसानी होगी कि हम लेबर वेलफेयर कमिश्नर के बारे में विचार कर सकें। मैं भी इसी विचार का हूं कि लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति इस बोर्ड के द्वारा ही होनी चाहिये, क्योंकि वह एक एक्जीक्यूटिव आफीसर होगा, इसलिये उसके ऊपर बोर्ड का अंकुश होना आवश्यक है। एक तरफ तो यह देखना है लेकिन दूसरी तरफ अपनी जेब को भी देखना है। मान लिया कि हमें तीन वर्षों में १० लाख रुपया मिला। पहले तो मालिक को यह मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई बिल बन रहा है लेकिन अब जब कि उसको यह मालूम हो गया है तो वह यह उचित समझेगा कि मिल में काम करने वाले मजदूरों को, उन के परिवार वालों को जितना रुपया दिया जा सकता हो, दे। इधर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ मिल मालिकों ने अपने रवैये में सुधार भी कर दिया है। वह अपने मजदूरों को जरा भी गुंजाइश होती है तो देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी फैक्टरीज भी वेलफेयर का वर्क कर रही हैं। कानपुर में एक फैक्ट्री है जो वेलफेयर का काम करती है। बहुत बड़ा होता है। ढाई तीन हजार मजदूर वहां पर रहते हैं। वहां लाईब्रेरी है, स्कूल है, अस्पताल है। अब आगे चलकर उनसे यह कहें कि आप मेनेज भी कीजिये तो मेरा ऐसा खयाल है कि सरकार के सामने एक नयी समस्या उत्पन्न हो जायगी। ऐसी अवस्था में आप के सामने एक ही रास्ता होगा और वह यह कि जो ऊंची तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं उनको सरकार नियुक्त करे और बोर्ड को रकम से वे न हों। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि अगर लेबर कमिश्नर और लेबर वेलफेयर आफीसर अलग-अलग हो जाते हैं तो दोनों में क्लैश हो जाने की संभावना है लेकिन यदि एक ही रहता है तो दोनों में समन्वय रहेगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, हम चाहते हैं कि बोर्ड द्वारा नियुक्ति हो, ऊपर से न हो लेकिन अभी हम लोगों को यह पता नहीं है कि कौन नियुक्त किया जायगा। अब जैसा कि माननीय अवस्थी जी ने कहा कि वह लेबर डिपार्टमेंट का ही अधिकारी होगा; अगर ऐसा हुआ तो उसकी रकम सरकार की जेब से जायगी। इसलिये जब तक कि पूरी योजना हमारे सामने न हो तब तक उसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जब पूरी योजना हमारे सामने आ जाय तब ही हम अपनी राय बना सकते हैं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ३७—क भी इसके साथ ले लिया जाता तो दोनों के ऊपर विचार करते समय कुछ आसानी हो जाती। इस वक्त केवल ३६वां अमेंडमेंट हमारे सामने है उसके सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है कि यह जो अधिकार गवर्नमेंट अपने पास रख रही है वह इसलिये है कि अगर बोर्ड के पास इतना धन न हो कि अपने पास से पूरे वक्त के लिये कोई लेबर वेलफेयर आफीसर नियुक्त कर सके तो वह गवर्नमेंट की तरफ से हो जाय। इस खयाल से यह रक्खा गया है। जैसा कि ३७—क में आगे

आयेगा, आगे यह प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा और कुछ नियम बना दिये जायेंगे जिनके अनुसार बोर्ड ऐसी नियुक्ति करा सकेगा। आगे जो ३७ (क) है उसके अनुसार जिनकी नियुक्ति की जायगी वह उस बोर्ड की सलाह से की जायगी। बोर्ड की सलाह उन हालतों में ली जायगी जिनका रूल्स में जिक्र होगा। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि ३७ (क) को अगर लेते तो वह साफ हो जाता। क्योंकि यह नहीं लिया गया है इसलिये मैं समझता हूं कि मैं इसका विरोध करूं और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय तेज प्रताप सिंह ने रखा है उस का विरोध किया जाय और इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी के तर्क को सुना और माननीय अवस्थी जी के तर्क को सुना। उन्होंने यह कहा कि जब लेबर कमिश्नर को ही लेबर वेलफेयर कमिश्नर नियुक्त करने जा रहे हैं तो जरूर वहां कोई दिक्कत पैदा होगी और बोर्ड ख्वाहमख्वाह चाहे तो वह नियुक्त कैसे करेगा; यह दिक्कत सामने आने वाली है। दिक्कत इस सम्बन्ध में आती है, लेकिन मेरा तो आधारभूत प्रश्न सामने यह था कि बोर्ड को जब आपने निर्मित कर दिया तो उसको सारा काम सौंप दें ताकि भलीभांति लेबर के लिये वेलफेयर का काम हो.....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री तेजप्रतापसिंह—जब आप ने बोर्ड को स्थापित कर दिया तो उसको आप यह शक्ति दे दीजिये कि वह सारे कार्य का संचालन अपने विचार से कर सके। आप उसमें इंटरफियर न करें और ज्यादा से ज्यादा उनको स्वतंत्रता दें और फिर दूसरी दृष्टि से आप देखें कि उस बोर्ड की स्थापना आपने किस प्रकार से की है। सारे के सारे बोर्ड के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामजद होंगे यानी आपके खुद छांटे हुये व्यक्ति उस बोर्ड में सदस्य रहेंगे। अब आप के मन के आदमी वहां पर हैं, आपके कांफिडेंस के आदमी हैं आप उन पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति उस बोर्ड में हैं और फिर भी आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं! आप कहते हैं कि भाई, लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति तो हम करेंगे, राज्य सरकार करेगी। तो बोर्ड की नामजदगी भी आप करेंगे, आपके कांफिडेंस के आदमी वहां होंगे और फिर भी आप उनको शक्ति नहीं देना चाहते हैं! मैं समझता हूं कि इसी तर्क के आधार पर, इसी प्रिंसपुल को देखते हुये, बम्बई की राज्य सरकार ने यह व्यवस्था बोर्ड की स्थापना के लिये की और उस बोर्ड को अधिकार दे दिया कि वह लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। वह प्रिंसपुल यही था क्योंकि आखिर नामजदगी वहां भी राज्य सरकार द्वारा ही हुई थी और वे नामजद लोग ही होंगे। आप की वहां की एक समान व्यवस्था है बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में; आप फिर उस प्रिंसपल को भी क्यों नहीं मान लेते हैं, इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। फंड एक दूसरा कारण बतलाया गया है कि फंड जो क्रिएट होगा उसमें इतना रुपया नहीं हो सकता है कि जितना भी अधिकारी नियुक्त करें उनकी पूर्ति कर सकें, उनकी जो पे है उसको दे सकें। फंड में रुपये की कमी हो सकती है। आप देखेंगे कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनको कुछ यूनियन भी देती है जो एक नान आफिशियल बाडी है और आप भी उनको अनुदान देते हैं तो इस निधि के लिये भी आप रुपया दें। अगर किसी कल्याण करने के काम को सही रूप से करना है तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि बिना गवर्नमेंट फंड के दिये हुये वह काम हो नहीं सकता। आगे आप देखेंगे कि मैंने एक संशोधन रखा है और सिर्फ इसी दृष्टि से कि उसमें एक लेकूना रह गया है, उसको भी दूर होना चाहिये। हम कुछ कारखानों के रिकार्ड्स को नहीं देख सकते हैं, आगे आप के सामने मैं इस पर अपने विचार और रखूंगा। मैं समझता हूं कि बोर्ड को यह शक्ति देने की इस से और भी जरूरत हो जाती है। इसलिये मैं फिर आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सिलसिले में जो अपने विचार थे वह प्रकट कर दिये और मैंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जब २७ (क) पर विचार होगा तो इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार और रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रतापसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आप के पास अपना संशोधित संशोधन भेज दिया है, आप मुझे उसे पेश करने की आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है?

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह पेश करें।

श्री तेजप्रतापसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "कार्यों" और शब्द "से" के बीच में शब्द "और निधि के खाते में जमा होने वाली धनराशियां" रख दिये जायं तथा पंक्ति ४ के शब्द "जांच" और शब्द "और" के बीच शब्द "(To inspect records of institutions receiving aid from the fund and also records in connection with the sums payable into the funds.) बढ़ा दिये जायं।"

इस संशोधन के बाद यह धारा इस प्रकार हो जाती है "राज्य सरकार एक श्रम कल्याण आयुक्त जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, तथा निधि में से वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यों और निधि के खाते में जमा होने वाली धनराशियों से सम्बद्ध अभिलेखों की जांच (To inspect record of institutions receiving aid from the fund and also records in connection with the sums payable into the funds.) और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों को नियुक्त करेगी।" इसको रखने से मेरा मतलब यह है कि जो अधिकार निरीक्षकों को दिये जाएंगे, वह जैसा कि बिल में है केवल इतने हैं कि जो संस्थायें इस निधि से वित्तपोषित होंगी उन्हीं के रिकार्ड्स का निरीक्षण वह कर सकेगा। मैं समझता हूं कि निधि में जो धनराशियां आने वाली हैं जैसे कि एक खास चीज निश्चित है कि अदत्य संचित आय जो है वह पूरी आती है या नहीं उस के देखने की जरूरत है। तो वह धन पूरा-पूरा आता है निधि में या नहीं इसके लिये उसका भी रेकार्ड देखने की व्यवस्था निरीक्षकों का होना चाहिये ऐसी मेरी मंशा इस संशोधन के द्वारा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत माननीय मंत्री जी को नहीं होगी। जैसा कि वह कहते हैं, यह उचित ही है, एक चीज जो रह गयी है उस को इसमें शामिल कर लिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी बल्कि आसानी होगी। इन्स्पेक्टर को अधिकार हो कि वह रेकार्ड्स को भी देख सकें ताकि पूरा-पूरा धन इस फंड में आ सके और कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके क्योंकि लोगों को शंका रहती है बहुत से अनक्लेम्ड ड्यूज पड़े रह जाते हैं कारखानों में, वे पूरे-पूरे निधि में नहीं आ सकते हैं और आपने इस विधेयक में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वे रेकार्ड्स को पूरा-पूरा देख सकें। तो इस संशोधन के द्वारा आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इंस्पेक्टर्स उन मिलों के रेकार्ड्स को भी देख सकें जहां से यह रुपया आने वाला है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---प्वाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि मुझे भ्रम है या माननीय सदस्य को भ्रम है आथेन्टिकली जब हमारे यहां हिन्दी है और आप चाह रहे हैं कि हिन्दी के इन शब्दों के बीच में ये अंग्रेजी के शब्द कर दिये जायं

तो इस प्रकार से कोई बिल हमारे सामने नहीं आना चाहिये जब कि मूल हमारा यह विधेयक हिन्दी में है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से बीच में अंग्रेजी की जा रही है।

श्री तेजप्रतापसिंह---मैं समाधान कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य देखेंगे ध्यान से तो मालूम होगा कि मेरा तो पूरा का पूरा संशोधन हिन्दी में दिया हुआ है लेकिन हिन्दी में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत स्पष्ट चीज नहीं हो पाती जैसे कि आप देखेंगे कि जहां श्रम-कल्याण आयुक्त लिखा हुआ है वहां कोष्टक में लेबर वेलफेयर कमिश्नर भी लिखा हुआ है। जहां अभिलेखों लिखा हुआ है वहां ब्रेकेट्स में एकाउंट्स भी लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार मैंने भी हिन्दी के बाद ब्रेकेट्स में अंग्रेजी रख दी है ताकि कोई गलतफहमी न हो और वह ज्यादा स्पष्ट हो। अभी आप जानते होंगे कि जो नये-नये वर्ड्स हिन्दी के हम प्रयोग करते हैं उनसे कोर्ट में दिक्कत पैदा हो जाती है। हिन्दी में तो दिया हुआ ही है और एडीशनल ब्रेकेट्स में अंग्रेजी दे दिया है जैसी कि परिपाटी रही है और आगे और भी कई जगह ऐसा दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अब समाधान हो गया होगा और वह इस बात को मान लेंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय तेज प्रताप सिंह ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और साथ ही साथ मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जो इस विधेयक में बहुत बड़ी कमी रह गई थी उस को उन्होंने ठीक करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि श्रीमन्, ऐसा देखने में आता है कि बहुत सी जगह मिल-मालिक गड़बड़ कर के रकम को गड़बड़ में डालने का प्रयत्न करते हैं और अगर हम इसको रक्खेंगे नहीं जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है कि वह जा कर उनकी किताबों की जांच करे और जांच कर के पता लगा सकें कि दरअसल जितना उनको देना चाहिये उस फंड में और जितना भी उन्होंने मजदूरों को नहीं दिया है वह उस फंड में जमा है इसका कहीं पता नहीं लगेगा। इसलिये सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि उस निरीक्षक को यह अधिकार दिया जाय। कहीं से शिकायत आती है कि फलां मिलमालिक ने फलां फंड को उसे नहीं दिया--- जमा नहीं किया तो सरकार कोई निरीक्षक उस की जांच के लिये तैनात कर देगी। कि जा कर इसकी जांच करे कि दर-असल उन्होंने ठीक से जमा किया है या नहीं। आप आगे चल कर देखेंगे कि निरीक्षक के अधिकारों को और बढ़ाने के लिये मैंने एक संशोधन रक्खा है। इसमें तो खाली सरकार मुकर्रर कर देगी कि जांच करे लेकिन कोई मिल मालिक कहे कि जांच नहीं करने दूंगा। इस लिये हमने उसके लिये ऐसा रखा है कि नहीं उस को अधिकार होगा कि वह जो भी कागजात चाहे उस की जांच कर सकेगा, उस क़िस्म का मेरा एक संशोधन है। उसको और भी पावर होंगे, उसको अधिकार होगा। खाली सरकार मुकर्रर कर दें तो वह इन्कार कर दें तो क्या होगा? इसलिये मैंने आगे भी इस क़िस्म का संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के रखने से इस बिल में जो खामी है वह दूर होगी और समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। यह इन शब्दों में सभी जो कुछ कार्य फैक्ट्री में होंगे। जहां पर कि इससे संबंध होगा उनको देखने का या और भी अन्य कार्य जो इस अधिनियम से सम्बन्ध रखते हैं उनको पूरा करने के लिये जिसकी आवश्यकता होगी, वह सब इसमें आ जाते हैं। इसलिये इस बात की कोई खास जिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी कि रेकर्ड्स उनके भी देखे जायें कि जहां से रुपया आता है। स्पष्टी-करण के ख्याल से चाहें तो इन शब्दों को लिख दें लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों (इन्सपेक्टर्स) की नियुक्ति करेगी, इसमें सभी बातें आ जाती हैं, सब कार्य जो कि इस विधेयक से सम्बन्ध रखते हैं और इस अधिनियम से सम्बन्ध रखेंगे वह सब कार्य इसमें आ जाते हैं। उन सब कार्यों के लिये

[आचार्य जुगलकिशोर]

अथारिटी उनको दे दी जायगी। तो मुझे तो कोई आपत्ति इसके स्वीकार करने में नहीं है। भ्रम जो है कि यह चीज इसमें नहीं है इसकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसी टेकिनकल या लीगल दिक्कत कोई इसमें हो। इस वक्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन साधारण तौर से अगर उनका मतलब यह है तो वही मतलब इन शब्दों में भी है। किन्तु अगर वह स्पष्टीकरण के तौर पर रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री तेजप्रतापसिंह---तो मुझे अधिक नहीं कहना है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मेरी उस भावना को समझ लिया है और स्वीकार भी किया है। थोड़ा सा निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जो नीचे भाग (२) इसी धारा का दिया हुआ है उससे यदि कवर अप हो जाता यह तो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इस फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी वह भी न दिया जाता। केवल एक बात सिर्फ इतनी है, अथवा स्पष्टीकरण मात्र है, कि इन रेकार्ड्स को भी यह इंसपेक्टर्स देख सकेंगे जिनकी कि चर्चा अभी नहीं है। इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। वह तो रिकार्ड्स होंगे जिस जगह से निधि में रुपया आयेगा उन रेकार्ड्स को भी देख सकने का अधिकार इससे स्पष्ट हो जाता है। अभी यह और भी स्पष्ट हो गया है कि जो वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे इंसपेक्टर्स, उनका तो देख सकेंगे ही ऐसी व्यवस्था है विधेयक में। यह संशोधन मान लेते हैं तो यह और भी स्पष्ट हो जायगा कि जो मिलें हैं जिनसे कि रुपया मिलेगा उनके लिये भी स्पष्टीकरण हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह तो स्वीकार कर लेना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी इस भावना को स्वीकार कर लिया है।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे कोई आपत्ति नहीं इसके स्वीकार करने में।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "कार्यों" और शब्द "से" के बीच में शब्द "और" निधि के खाते में जमा होने वाली धनराशियां रख दिये जायं तथा पंक्ति ४ के शब्द "जांच" और शब्द "और" के बीच शब्द "(To inspect records of institutions receiving aid from the fund and also records in connection with the sums payable into the fund.)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "accounts" के स्थान पर शब्द "records" रख दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है और मैं समझता हूं यह स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "accounts" के स्थान पर शब्द "records" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "निरीक्षकों" के स्थान पर शब्द "निरीक्षक" रख दिया जाय। यह भी एक शाब्दिक ही संशोधन है।

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "निरीक्षकों" के स्थान पर शब्द "निरीक्षक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन अवस्थाओं में, जिनको नियत किया जाय कल्याण आयुक्त की नियुक्ति बोर्ड की सलाह से की जायगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस खंड के समर्थन में अधिक न कह कर के जो कुछ बातें मैंने पहले कही हैं वही हैं कि जिस समय नियुक्ति केवल कमिश्नर की बोर्ड करेगा उस समय वह बोर्ड....

श्री जगन्नाथमल्ल--जानकारी के लिये पूछता हूं कि लेबर कमिश्नर की नियुक्ति का कहां प्रश्न है ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--वही लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति है । उसकी नियुक्ति जब करेगा तो उस समय जो नियम होंगे उनके अनुसार होगी और इसके विरोध करने का प्रश्न अब इसलिये भी नहीं उठता कि कोई भी लेबर वेलफेयर कमिश्नर तीन सौ रुपये से नीचे तो मिलेगा नहीं और तीन सौ रुपये से नीचे का रखते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा यह तो जगन्नाथ मल्ल जी ही समझ सकते हैं । और हम स्वीकार कर चुके हैं कि तीन सौ रुपये से ऊपर की नियुक्ति सरकार करेगी । इसलिये अब इसके विरोध का कोई प्रश्न नहीं आता । इसलिये आप इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, चूंकि अवस्थी जी ने बहुत जोरदार शब्दों में यह संशोधन रखा है, इसलिये मैं समझता हूं कि हमें भी उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है ।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन अवस्थाओं में, जिनको नियत किया जाय, कल्याण आयुक्त की नियुक्ति बोर्ड की सलाह से की जायगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के आगे पूर्ण विराम हटा दिया जाय और निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"तथा नियोजक से कागजात, बही, रजिस्टर वगैरा निरीक्षण के लिये मांग सकता है जिसे वह उचित समझे ।"

श्रीमन्, यह धारा ऐसी है कि उसमें यह निरीक्षक को अधिकार दिया गया है कि वह अपने सहायकों के साथ जहां चाहे वहां जा सकता है, लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ सका कि वह वहां जाकर करेगा क्या ? वह फैक्टरी में खाली जाकर क्या करेगा ? यह जरूरी होना चाहिये कि लेबर वेलफेयर कमिश्नर को ऐक्ट के द्वारा यह अधिकार हो कि वह जितने भी कागजात चाहे फैक्टरी वालों से इंस्पेक्शन के लिये मांग सके ताकि वह रेकार्डस से इस बात का पता लगा सके कि दरअसल जो रकम कि उसको इस लेबर वेलफेयर फंड में देनी है वह उसने दी है या नहीं । यह चीज और भी ऐक्टों में मौजूद है और वहां यह अधिकार दिया हुआ है कि जो अधिकारी

[श्री जगन्नाथमल्ल]

जायगा वह कोई भी रेकार्ड जांच सकेगा। मैं समझता हूं कि यह इसमें खामी रह गयी है। खाली प्रवेश से कुछ नहीं हो सकेगा। रेकार्ड दिखाने की इसमें कोई कानूनी बंदिश नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट द्वारा उसको यह भी हम अधिकार दे दें कि वह जितने भी कागज चाहे मिल मालिक से मांगे और उनका निरीक्षण करे। अगर कोई रकम रोक रखी हो तो वह इस फंड में चली जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अधिकार निश्चित रूप से दिया जाय। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि खंड १५ के उपखंड में जो संशोधन हुआ है उसमें साफ हो गया है कि नियोजक से कागजात देखने का पूरे तौर से अधिकार होंगे जिनकी नियुक्ति होगी। इसलिये कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको और साफ किया जाय। मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस कर लेंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं या मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट देखा जाय तो उसमें यह अधिकार दिया हुआ है कि वह जिस तरह से चाहे किसी प्रेमिसेज में घुस सकता है। यहां जो ऊपर दिया है उसमें लिखा है कि सरकार नियुक्त करेगी तो कहां से अधिकार हो जाता है कि वह जाकर कागजात वगैरा देखे।

श्री देवदत्त मिश्र(जिला उन्नाव)---रूल्स में होगा।

श्री जगन्नाथमल्ल---यह कहां लिखा हुआ है कि रूल्स में यह रखा जायगा जब ऐक्ट में ही नहीं होगा तो कैसे हो जायगा? इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह निश्चित है कि अगर इस तरह की चीज रख दी जाय तो और ज्यादा साफ हो जाता है कि वह वहां जाकर कागजात मांगे। जितने भी लेबर ऐक्ट बने हुये हैं उनमें इस किस्म का प्राविजन मौजूद है। माननीय अवस्थी जी की बगल में बैठे हुये अगर मंत्री जी भूल गय हों तो उनसे पूछने की कृपा करें और इस तरह की धारा इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में भी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें। इससे कोई हानि नहीं होती है बल्कि एक निश्चित रूप हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको साफ करने की कृपा करें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री जगन्नाथमल्ल---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जब मेम्बर रिप्लाई दे ले तो क्या किसी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह ठीक है इसलिये मैं मंत्री जी को बुला रहा हूं।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आचार्य जुगलकिशोर---सम्भव है उनकी बात मैं न समझ पाता होऊं और यह भी सम्भव है कि वह मेरी बात समझते न हों। इस विधेयक में जो धारा है उसका मतलब पूरे तौर से वह समझ न सकते हों। खंड १५ के उपखंड (२) को देखने की कृपा करें। वह इस प्रकार है कि---"इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, किसी भी उचित समय पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में उसका विचार हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका वहां प्रवेश करना आवश्यक है"।

अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत व्यापक अधिकार है और रिकार्ड वगैरा देखने का ऊपर आ गया है और उसको अधिकार दिया गया है कि किसी भी कारखाने में जहां वह जरूरत समझता हो रिकार्ड देखने के लिये वह जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस संशोधन से उसे ज्यादा अधिकार कैसे प्राप्त हो जायेंगे। इसलिये जो संशोधन उन्होंने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के आगे पूर्ण विराम हटा दिया जाय और निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"तथा नियोजक से कागजात, बही, रजिस्टर वगैरा निरीक्षण के लिये मांग सकता है जिसे वह उचित समझे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६--इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी धनराशि, वसूली के अन्य साधनों को बाधित किये बिना, मालगुजारी के बकाये के समान (as arrears of Land revenue) बोर्ड की ओर से वसूल की जा सका सकेगी। — निधि में देय धनराशियों की वसूली की विधि।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७--(१) राज्य सरकार समय-समय पर बोर्डों को ऐसे आदेश (directions) दे सकती है जो निधि में से किये जाने वाले व्ययों अथवा अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के संबंध में उसकी राय में आवश्यक अथवा इष्टकर (expedient) हों। — बोर्ड को राज्य सरकार के आदेश।

(२) बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "पर" और शब्द "को" के बीच का शब्द "बोर्डों" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "बोर्ड" लिख दिया जाय। यह एक शाब्दिक संशोधन है अध्यक्ष महोदय, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "पर" और शब्द "को" के बीच का शब्द "बोर्डों" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "बोर्ड" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

कुछ मामलों में बोर्ड का अवक्रमण ।

१८--(१) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय (is satisfied) कि बोर्ड ने अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड का अवक्रमण (supersession) तथा धारा १० के अनुसार एक नये बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड को अवक्रमण सम्बन्धी विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को अवक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखाने का उचित अवसर देगी और उसके स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार भी करेगी ।

(२) बोर्ड के अवक्रमण के पश्चात और जब तक नये बोर्ड का संगठन नहीं हो जाता तब तक, अधिनियम के अधीन बोर्ड के अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य ऐसे अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे, जिन्हें सरकार एतदर्थ नियुक्त करे ।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, मैं इस खंड १८ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें सरकार यह पावर लेना चाहती है कि जब चाहे तब कुछ इल्जाम वगैरह लगा कर बोर्ड को खत्म कर दे । चुना हुआ यह बोर्ड नहीं होगा, सरकार इसको मनोनीत करेगी, तो अगर सरकार को अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है तब तो इस खंड को रखने की जरूरत है । लेकिन अगर सरकार को अपनी बुद्धि पर विश्वास है तब तो वह हमारे इस संशोधन को मान ले । अगर सरकार को अपने होश हवास पर भरोसा है तो क्या वह सही आदमियों की नियुक्ति नहीं करेगी ? तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे संशोधन को मान लें ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जगन्नाथ मल्ल जी के इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वास्तव में किसी भी बोर्ड के लिये या किसी भी ऐसी संस्था के लिये जो इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों को करने के लिये बनायी जाय जरूरत इस बात की होती है कि यदि उससे नियमों के अनुसार काम न चल सके जिसके लिये वह बनायी गयी है तो सरकार उसको भंग करके दूसरे लोगों को उस स्थान पर बैठा सके । और अभी इसी तरीके की एक धारा सदन पास कर चुका है और उसका कारण यही था कि ५ वर्ष के स्थान पर ३ वर्ष इसलिये कर दिये जायं कि यदि उनका कार्य ठीक न हो तो हम दूसरे लोगों को भेज सकें । इस धारा से इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि यदि वह बोर्ड ठीक से कार्य करे या उस बोर्ड के सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ इस तरीके की शिकायतें हों तो वह गजट में प्रकाशित करे और बोर्ड को समय दे कि वह उनका उत्तर दे । उसके बाद फिर वह एक अधिकारी नियुक्त करेगी जो की शिकायतें आयी हैं उनकी ओर जो बोर्ड ने उत्तर दिया है, उन दोनों को देखे और दोनों को देखने के बाद भी अगर वह समझता है कि जो शिकायतें आयी हैं वे सही हैं तब सरकार को यह अधिकार है कि उस बोर्ड को बदल कर दूसरे बोर्ड की नियुक्ति करे । मैं समझता हूं कि अगर यह धारा रहेगी तो बोर्ड के सदस्यों में जो एक स्वेच्छाचारिता आने की शंका है वह नहीं रहेगी । केवल इस धारा का यह मतलब है ।

श्री जगन्नाथमल्ल--मंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष--वह तो यों ही बैठे हुये हैं इसी से मतलब समझ लीजिये ।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि अवस्थी जी को अपनी ही सरकार की बुद्धि पर भरोसा नहीं है और वह समझते हैं कि सरकार ऐसे ऐसे आदमियों को नामिनेट करेगी जो कि तीन वर्षों में सारे कुकर्म करने लग जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब आप अधिक अधिकार ले रहे हैं। आपको विरोध करना था। उसके ऊपर आप बोले ही नहीं।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे आपत्ति है इस ख्याल से कि इस तरह की धारा होनी बहुत ही आवश्यक है। जगन्नाथ मल्ल जी ने गवर्नमेंट की बुद्धि के सम्बन्ध में जो धारणा प्रकट की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी चाहता था कि जब उनको इतना विश्वास है कि गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जो अच्छा ही कार्य करेंगे तो उनको इतना भी विश्वास होना चाहिये कि गवर्नमेंट उनको बेकार के लिये सुपरसीड नहीं करेगी जो अच्छा काम कर रहे हैं। केवल एक अधिकार रखा है समय पर जब उसकी कभी भी आवश्यकता पड़ेगी उसी समय पर उसका प्रयोग किया जायगा। बोर्ड के सदस्यों को पूरा अवसर दिया जायगा और फिर अगर जरूरी समझेगी तो करेगी। मैं आशा तो करता हूं कि अब वे इसको वापस लेंगे लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल--एक जानकारी चाहता हूं कि क्या वे भी इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ व २०

१९--बोर्ड के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त, निरीक्षक तथा बोर्ड के अन्य सभी अधिकारी और सेवक इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट्स समझे जायेंगे। — बोर्ड के सदस्य कल्याण आयुक्त, निरीक्षक तथा बोर्ड के समस्त अधिकारी और कर्मचारी सरकारी नौकर होंगे।

२०--यदि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने सद्भाव के साथ कोई कार्य किया है अथवा उसे ऐसा करना अभिप्रेत है तो उसके विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजना (prosecution) अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी। — सद्भाव के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ तथा २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१--राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट हों, किसी भी वर्ग (class) के साथ औद्योगिक अधिष्ठान को अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त कर सकती है। — मुक्तियाँ (exemptions)

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं आइटम्स ४३, ४५ और ४६ एक साथ पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :---

खंड २१ की पंक्ति १ में शब्द "सरकार" और शब्द "गजट" के बीच में शब्द "बोर्ड की सलाह लेकर" रख दिया जाय तथा पंक्ति २ से शब्द "भी वर्ग (class)" निकाल दिये जायं।

तथा खंड २१ की पंक्ति २ के शब्द "औद्योगिक अधिष्ठानों को" के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :---

"अथवा किसी भी वर्ग (class) के औद्योगिक अधिष्ठानों को।"

तथा खंड २१ की पंक्ति २ में शब्द "के" और शब्द "औद्योगिक" के बीच का शब्द "साथ" निकाल दिया जाय।

इसके सबके करने के बाद खंड २१ इस प्रकार से बन जाता है :---

"२१---राज्य सरकार बोर्ड की सलाह ले कर गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट हों, किसी औद्योगिक अधिष्ठानों को अथवा किसी भी वर्ग (class) के औद्योगिक अधिष्ठानों को अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त कर सकती है।

अब यह अधिक स्पष्ट हो गया है।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ की पंक्ति १ में शब्द "सरकार" और शब्द "गजट" के बीच में शब्द "बोर्ड की सलाह लेकर" रख दिये जायं तथा पंक्ति २ से शब्द "भी वर्ग (class)" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति २ के शब्द "औद्योगिक अधिष्ठानों को" के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :---

"अथवा किसी भी वर्ग (class) के औद्योगिक अधिष्ठानों को।"

तथा खंड २१ की पंक्ति २ में शब्द "के" और शब्द "औद्योगिक" के बीच का शब्द "साथ" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

कार्यों तथा कार्यवाहियों का मान्य होना।

२२---बोर्ड का कोई कार्य अथवा कोई कार्यवाही, केवल इसीलिये अमान्य नहीं समझी जायगी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है अथवा उसके संगठन में कोई त्रुटि रह गयी है, और न इस कारण ही अमान्य समझी जायगी कि बाद में पता चलता है कि बोर्ड की कार्यवाही में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित था, अथवा उसने मतदान किया, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें भाग लिया, जिसे ऐसा करने का अधिकार न था।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ की पंक्ति ३ के शब्द "रह गयी है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय और आगे का पूरा वाक्यांश निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह खंड २२ इस प्रकार है--- "बोर्ड का कोई कार्य अथवा कोई कार्यवाही, केवल इसीलिये अमान्य नहीं समझी जायगी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है अथवा उसके संगठन में

कोई त्रुटि रह गयी है", इतना तो ठीक है, लेकिन इसके आगे का भाग कि "और न इस कारण ही अमान्य समझी जायगी कि बाद में पता चलता है कि बोर्ड की कार्यवाही में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित था, अथवा उसने मतदान किया, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें भाग लिया, जिसे ऐसा करने का अधिकार न था।" मैं समझता हूं कि इसको निकाल दिया जाय तो ठीक होगा। पहले का जो भाग है वह तो ठीक है कि अगर कोई स्थान रिक्त है और उस समय बोर्ड अगर कोई कार्यवाही करे तो वह गलत न समझी जाय। यह तो होना चाहिये, क्योंकि यहां भी बहुत से स्थान रिक्त रहते हैं और इस कारण अगर कार्यवाही अवैधानिक हो जाय तो फिर मैं समझता हूं कि इस विधान सभा की कोई भी कार्यवाही नहीं चल सकती। लेकिन अगर कोई गलत आदमी आकर वोट कर दे तो यह बड़ी खतरनाक बात है। वह मेम्बर हो या न हो, लेकिन आ कर वोट कर दे और बढ़िया से बढ़िया प्रस्ताव को गिरा दे तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। मिलमालिक तमाम ऐसे आदमियों को लाकर बैठा देंगे और मैं समझता हूं कि यह अनुचित बात होगी। यह बड़ा खतरनाक प्राविजन है और मैं समझता हूं कि किसी भी जगह इस तरह की चीज नहीं हो सकती। यहां तो बैठने के लिये ५०० रुपया जुर्माना होता है, वोट करें तो भी जुर्म है। यहां भी इस प्रकार का प्राविजन हो तो हम लोग काफी आदमी लाकर बैठा सकते हैं और वोट करा सकते हैं और गवर्नमेंट के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ही पास करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज इसमें रखना बड़ा ही खतरनाक है। वहां सभापति के विरुद्ध कोई प्रस्ताव आये और उसको इस तरह से वोट करा कर पास करवा दें तो यह ठीक नहीं है। ऊपर का खंड तो ठीक हो, होना चाहिये, लेकिन अगर नीचे का क्लाज रहा तो इस विधेयक को गलत कर देगा और इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको हटा दें, क्योंकि इसके रहने से बड़ी गड़बड़ी होने की संभावना है।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस तरह की परिस्थिति कैसे पैदा होगी। जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो जो सदस्य होंगे वही वहां जायेंगे और जो मेम्बर नहीं है उसको कैसे वोट देने की इजाजत मिल सकती है। उसकी तरफ कोई भी मेम्बर ध्यान दिला सकता है। लेकिन यह इसलिये रखा गया है कि अगर कोई इस तरह की कार्यवाही हो गई हो और बाद में वह कार्यवाही अनियमित बतलाई जाय, तो वह पूरी कार्यवाही अनियमित न ठहरा दी जाय और काम रोक दिया जाय। इस कारण से यह रखा गया है। साधारणतया, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने पायेगी कि जब कोई गैर व्यक्ति उस मीटिंग में आकर उसमें भाग ले सके और बाकी सब मेम्बर बैठ कर देखते रहें। तो इस तरह का कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिये और न ही मैं समझता हूं कि उठेगा ही। यदि कभी ऐसा कोई वाकया हो जाय, तो उसकी बिना पर सारी कार्यवाही रोक दी जाय, इसको रोकने के लिये ही यह धारा रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई अनुचितता नहीं है और इसको रखने से कोई आपत्ति न होगी। इसको रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें बिना अधिकार के व्यक्ति शामिल होंगे और चेयरमैन को गलतफहमी पैदा कर दी जाय या मेम्बरों को गलतफहमी पैदा कर दी जाय। यह साधारण तौर पर नियमों में शर्त रख दी गयी है कि अगर कोई कार्यवाही अनियमित हो गयी है तो उस कार्यवाही को रद्द न किया जाय और उस कार्यवाही को अवैध न माना जाय। यह सिर्फ इसलिये रखी गयी है। इसके रहने से कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह जो धारा में संशोधन पेश किया गया है इसको वह वापस ले लें अन्यथा मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल—मैं माननीय मंत्री जी के तर्क को नहीं समझा। वह यह कहते हैं कि कहीं अगर कोई आदमी आकर बैठ गया तो वह सभापति जो उस सभा का होगा वह उसको देख नहीं सकेगा। इसलिये वह कार्यवाही अवैधानिक न हो इसलिये यह रखा गया है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इसमें कितने आदमी होंगे। हमारी जो इतनी बड़ी विधान सभा है हम लोग तो सब सदस्यों को पहचानते भी नहीं हैं और इतने लोगों को पहचानना भी मुश्किल है। आप श्रीमन्, इतने लोगों को पहचानते हैं हम तो नहीं पहचानते हैं और बाहर इतना भी नहीं पहचान

[श्री जगन्नाथमल्ल]

सकते कि यह विधान सभा के मेम्बर हैं या नहीं। तो मैं यह समझता हूं कि वहां पर तो १२ सदस्य होंगे उनमें आसानी से यह मालूम हो जायगा कि बाहर का कौन आदमी आकर बैठ गया है। या माननीय मंत्री जी वहां पर भी एक मार्शल को रखेंगे जो देखता रहेगा कि बाहर का आदमी [illegible] गया। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे संशोधन को मान लें और १२ आदमियों में वह डिटेक्ट कर लिया जायगा। हम किसी को इस बात का अधिकार दे दें कि वह वोट दे दे, चाहे वह मेम्बर हो या न हो और फिर वह कार्यवाही सभी मानी जाय यह उचित नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर पुनः विचार करें और मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं समझता हूं कि कोई कारण विशेष उन्होंने नहीं बतलाया, जिससे मैं यह समझूं कि इससे कोई खतरा पैदा हो सकता है। यह हो सकता है कि कोई सदस्य ऐसा है जिसका टर्म खत्म हो गया है और उसको मालूम नहीं है कि टर्म समाप्त हो गया और उसने वोट दे दिया और वह कार्यवाही उसके वोट देने पर स्वीकृत हो गयी तो ऐसी दशा में वह काम तो सब मिलजुल कर ही आपस में होगा। कोई ऐसे व्यक्ति का सवाल नहीं आयेगा कि जिसकी मौजूदगी में वह सब कार्यवाही अवैधानिक करार दी जाय। इसी चीज को रोकने के लिये यह बात रखी गयी है और मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ की पंक्ति ३ के शब्द "रह गयी है" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय और आगे का पूरा वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

ऐक्ट ४, १९३६ की धारा ८ का संशोधन।

२३—पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा ८ की उपधारा (८) में, अन्त में आने वाले विराम (fullstop) के स्थान पर लघु विराम (coma) रख दिया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"But in the case of any factory or industrial establishment to which the Uttar Pradesh Labour welfare Fund Act, 1955 applies all such realizations shall be paid into the Fund constituted under the said Act."

श्री जगन्नाथमल्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में बढ़ाये जाने वाले अंश की पंक्ति ३ के अंक "५५" के स्थान पर "५६" रख दिया जाय। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि न मानने की उनकी परिपाटी चली आयी है। मैं समझता हूं इसको वह जरूर मान लें नहीं तो विधेयक में एक खामी रह जायगी। इसमें ५५ लिखा हुआ है और अब ५६ में यह पास हो रहा है। इसलिये अगर इसको स्वीकार नहीं किया जायगा तो सारा काम गड़बड़ हो जायगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसको मान लें और इसको स्वीकार करें।

आचार्य जुगलकिशोर—इसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह शाब्दिक परिवर्तन है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में बढ़ाये जाने वाले अंश की पंक्ति ३ के अंक "५५" के स्थान पर "५६" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड २३-क

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के बाद नया खंड २३-क निम्न प्रकार रख दिया जाय :--

"२३-क--जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धाराओं तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा वह ६ महीने का कारावास तथा ५०० रु० जुर्माने का भागी होगा ।"

मान लीजिये कि कोई मिलमालिक हमारे इन्सपेक्टर को कागज नहीं दिखाता है तो सरकार क्या करेगी ? किस धारा के अनुसार मंत्रीजी मिल वाले पर दबाव डालेंगे ? अगर उसे डर होगा कि ६ महीने की सजा हो सकती है तो वह अवश्य कागज दिखा देगा । मिसाल के तौर पर मैंने यह कहा है । मिलमालिक लोग बहुत गड़बड़ी करते हुये भी सरकार उन पर बहुत कृपा भी रखती है लेकिन कम से कम जो सरकार के अधिक दोस्त नहीं हैं वे तो डरेंगे ही। अभी मैंने जिक्र किया था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । यदि यह दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा । इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी इस धारा को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का थोड़े से संशोधन के साथ समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे'। "६ महीने का कारावास या ५ सौ रुपये जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा", इस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा। यह बिल किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं करता है और शायद ही कोई बिल ऐसा होगा जिसमें दंड की व्यवस्था न की जाती हो। यद्यपि हरिजन मंदिर प्रवेश बिल ऐसा अवश्य था, लेकिन वह केवल घोषणा मात्र था जिसमें सजा की कोई बात नहीं थी । हालांकि यह बिल बहुत दिनों से बना हुआ है लेकिन इसकी व्यवस्था भी उसी तरह से है । पता नहीं, आखिर सरकार का या मंत्री जी का क्या उद्देश्य है । इससे एक बात तो साफ ही है कि सरकार मिलमालिकों के लिये विशेष तौर से पक्ष करना चाहती है । इसलिये इस बिल में किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मल्ल जी ने एक बहुत बड़ी कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और इस संशोधन को जिस रूप में भी मंत्री जी चाहें स्वीकार करें लेकिन किसी न किसी प्रकार सजा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। मजदूरों के हितों के लिये यह बिल बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है मुझे दुख है कि मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरा ऐसा विश्वास है कि किसी भी ऐसे अधिनियम को जो कि सामाजिक कार्य के लिये बनाया गया है उसको जो अधिकारी कार्यरूप में परिणित करता है उसकी कार्यकुशलता पर ही यह बात निर्भर करती है कि उसके उद्देश्यों का कहां तक पालन होता है । बिल में इसी बात को खास तौर पर रखा गया है कि धन को हम किस प्रकार से ले सकें । उसकी व्यवस्था धारा १५-१६ में कर दी गयी है । धारा १५ यह कहती है कि उसके रिकार्ड को देख सकता है, बहीखाते को देख सकता है, प्रेमीजेज में जा सकता है । दफा १६ में दिया हुआ है कि वह इस धन को नहीं देता है तो बोर्ड की ओर से मालगुजारी की बकाया की भांति वह वसूल किया जा सकता है। अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि अगर वह नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे ? लेकिन हमें मालूम है कि हमें धन की आवश्यकता है तो जब हमें धन की आवश्यकता है तो धारा १६ के तहत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

हम उसको मालगुजारी की भांति वसूल कर सकते हैं। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता मालूम नहीं होती। बहुत से ऐसे कानून भी मजदूरों के बने हुए हैं जिनमें ३ वर्ष की सजा और ५ हजार रुपये जुरमाने की सजा रक्खी हुई है, लेकिन हमारे प्रदेश और देश में किसी भी मिलमालिक को इतनी सजा नहीं हुई। ऐसे मौके आये कि उन्होंने एवेलेट ट्रिब्युनल की बात नहीं मानी, ऐसे भी मौके आये कि उन्होंने गवर्नमेन्ट के कानूनों को भी नहीं माना, कोर्ट में केस गया, अखबारों में आया कि फलाने कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया, लेकिन आज तक पेशी नहीं हुई, ३–४ बरस हो गये। इसलिये मेरा विश्वास है कि जगन्नाथ मल्ल जी इसको प्रेस न करेंगे, क्योंकि धारा १६ से काम चल जाता है। इसके हो जाने से हमारे अधिकारी यह सोचेंगे कि सजा दिला दी जाय। अब सजा भी मिल गयी और मुकदमा भी चल गया लेकिन रुपया तो नहीं मिलेगा। प्रॉवीडेंट फंड को ही ले लीजिये। उसके लिये यह धारा है कि मुकदमा चल सकता है लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि रुपया वसूल नहीं हुआ और मुकदमा चलाया गया और उस धन का कहीं पता नहीं लगा। ऐसी मिलों के नाम भी मैं बता सकता हूं जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया लेकिन रुपया वसूल नहीं हुआ। ऐसी दशा में मैं श्री जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कोई आवश्यकता इस संशोधन की नहीं समझता। इस कारण से कि जिन योजनाओं के लिये यह बिल बनाया गया है वह यह है कि रुपया फैक्ट्री से मिल जाय। उसको लेने का ही इस बिल से सरकार का उद्देश्य है। वह अधिकार धारा १६ के अन्तर्गत लिया गया है कि वह रुपया लैन्ड रेवेन्यू की भांति वसूल किया जायगा। यह तो एक सिविल लायबिलिटी है इसलिये सजा दिलाने की बात रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सजा दिलाने से कौन-सा रुपया मिल सकता है। उसने सजा का कौन-सा दोष किया है। केवल रुपया ही तो नहीं दिया। उसको वसूल करने के लिये गवर्नमेन्ट ने अधिकार ले लिया है कि वह रुपया लैंड रेवेन्यू की तरह लिया जाय। मैं समझता हूं कि बहुत रुपये बकाया के आज भी सिविल केसेज के लैन्ड रेवेन्यू की तरह से लिये जाते हैं। तो इस कानून को पूरा करने के लिये पर्याप्त अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने और उसके पहले माननीय अवस्थी जी ने यह बात हम लोगों के समक्ष रखी कि यह अधिकार जो धारा १५ है उसमें दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—पांच बजने में पांच मिनट बाकी हैं। मैं बहस को आगे बन्द कर दूंगा।

श्री तेजप्रतापसिंह—तो उसमें दिया हुआ है कि इंस्पेक्टर रेकर्ड देख सकता है और धारा १५ के बाद जो धारा १६ है उसमें यह है कि रेकर्ड देखने के बाद इंस्पेक्टर को कुछ एरियर्स मालूम होगा तो उसकी सूचना वह बोर्ड को देगा और बोर्ड द्वारा उसकी वसूली एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से होगी। अब मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि धारा १५ में जो अधिकार दिया गया है रेकर्ड देखने के लिये अगर वह नहीं दिखाता है अगर मिलमालिक इन्कार कर देता है रेकर्ड दिखलाने से तथा वह घुसने नहीं देता है, और घुस जाने के बाद भी जैसा कि धारा १५(२) में दिया हुआ है कि प्रेमिसेज में घुस सकता है, कागज दिखलाने के लिये कहता है और वह कुछ रेकर्ड को छिपा लेता है क्योंकि जबरदस्ती तो आप उससे रेकर्ड ले ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि उसके यहां कितनी निधि बाकी है। अब जब कि आप कोई कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, और जैसी आपकी भावना है वह बहुत ही उत्तम है, हम उसे महसूस करते हैं। तो उस भलाई के दृष्टिकोण से ही जो एक कमी इस विधेयक में रही जाती है उसकी पूर्ति के लिये इसमें कोई बंड

की व्यवस्था नहीं रख सकते ? इसीलिये यह संशोधन आपके सामने रखा गया है कि यह हथियार आपके पास रहना चाहिये कि यदि अधिनियम के विरुद्ध कोई मिलमालिक या कोई अधिकारी काम करे तो उसके लिये वह दंड व्यवस्था रहे ताकि आप सही काम करा सकें । मैं आपको याद दिलाऊं कि शुगर केन सेस बिल जब यहां आया था उस समय भी माननीय मंत्री जी ने यह तर्क उपस्थित किया था । उसमें यह व्यवस्था है कि शुगर केन सेस का रुपया बाकी हो और वह न दे तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उसके अधिकारी जा कर वहां रेकर्ड देखें और अगर वह इन्कार करता है तो फिर उसके लिये ६ महीने की दण्ड व्यवस्था की गयी है या ५०० रु० जुर्माने की सजा की व्यवस्था की गयी है या दोनों सजायें भी दी जा सकती हैं । उसी तरह से इसमें भी आप व्यवस्था कर देते और इस संशोधन को स्वीकार कर लेते तो हमारी जो निधि है वह कामयाब हो सकती है ।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

सदस्य—कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—तो यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैंने जो शंकायें इस सदन के सामने उठायी थीं उनका कोई जवाब नहीं मिला है । मैंने यह आशंका उठायी और माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने भी यह आशंका उठायी कि अगर कोई मिल मालिक अन्दर नहीं घुसने देता या यदि रेकर्ड नहीं दिखलाता है तो आप क्या करेंगे ? आपने उसको अधिकार तो दे रखा है, फिर आप करेंगे क्या ? एक तर्क माननीय अवस्थी जी ने रखा और ठीक ही रखा मैं उससे सहमत हूं लेकिन यहां पर उनको अपनी सरकार से कहना चाहिये कि अगर सरकार एक ऐसा ही कानून बना देती है, लेकिन कुछ करेगी नहीं तो जो उनकी आशंका है कि यह सरकार कतई मिल मालिकों को कोई दंड नहीं देना चाहती है, भले ही वे कानून को तोड़ें, जो मन में आये वह करें, यह पक्का है और मैं माननीय अवस्थी जी से इसमें बिलकुल सहमत हूं और मैंने अपने पहले भाषण में भी कहा था कि खास तौर से वह लोग जो सरकार के बहुत नजदीक बैठने वाले हैं और ऐसे मिलमालिक हैं उनको तो और भी परवाह न होगी, वह तो आपके अफसरों और अधिकारियों की बात भी नहीं सुनते, यह सही बात है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन कम से कम वह लोग, वह मिलमालिक जो उनके और सरकार के लोगों के पास बैठने वाले नहीं हैं वह तो जरा डरा करेंगे । यह तो मैं मानता हूं कि यह सरकार जो उसके बनाये हुये कानून को तोड़ते हैं उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेती फिर भी इस व्यवस्था के होने से इतना हो जायगा कि लोग कागजात दिखलायेंगे और डरेंगे । यह भी हो सकता है कि वह मालगुजारी की तरह वसूल किया जाय और मुकदमा भी उन पर चलाया जाय, दोनों सजा उनको दी जा सकती है, लेकिन मंत्री जी जरा इस शंका का समाधान करें कि अगर वह घुसने नहीं देते, भले ही ऐक्ट में लिखा हो और उसके लिये सजा कुछ नहीं रखी जा रही है, तो आप क्या करेंगे ? वह रिकार्ड्स नहीं दिखलाता, किस कानून के अधिकार से आप देखेंगे या उसको न दिखलाने पर सजा देंगे ? यह तो आपने कह दिया कि अधिकार है लेकिन कोई कागजात का निरीक्षण नहीं करने देता और कोई सजा उसके लिये.....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—जब तक यह व्यवस्था न हो कि किस व्यवस्था से वह घुसें, तब तक आपकी सजा की बात निकम्मी हो जायगी ।

श्री जगन्नाथमल्ल—आपने बिल को पढ़ा नहीं है, उसमें व्यवस्था है आप जरा धारा १५ देखें उसमें यह व्यवस्था है । मैं आपके द्वारा जरा माननीय सदस्य को समझा दूं ।

श्री देवदत्त मिश्र—वह व्यवस्था उसमें नहीं है वह तो.....

श्री अध्यक्ष---आप ने अपनी बात कह दी, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल---उसमें व्यवस्था यह है कि वह घुस सकते हैं। इसमें यह साफ दिया है मेरी इसमें कोई शंका नहीं है, मेरी शंका तो यह है कि अगर वह घुसने नहीं देते और कागज नहीं दिखलाते तो क्या करेंगे, इसका समाधान मंत्री जी कर दें। मैं समझता हूं कि यह अधिकार भी होने चाहिये। मुझे ज्यादा कहना नहीं है लेकिन मंत्री जी मेरी इस शंका का समाधान जरूर कर दें।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसी अवस्था पैदा हो सकती है, सम्भव है हो कि मिलमालिक अपनी पुस्तकों को न दिखावें लेकिन ऐसी हालत में गवर्नमेंट या बोर्ड को अधिकार होगा कि जो भी रकम उसके जिम्मे लगायी जाय वह उसे लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर ले और उसके बाद वह खुद झगड़ा करता रहेगा और अपने आप अपने रिकार्ड दिखलाने के लिये लायेगा, लेकिन इस वक्त इसको रखने से कोई फायदा नहीं मालूम होता। सम्भव है यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो अन्य कानूनों में जो इस तरह की धारा होगी कि रुपया न देने पर उसकी वसूली का क्या तरीका हो सकता है, वही तरीका अख्तियार किया जायगा कि सिविल लाइबिलिटीज हैं तो वह कैसे वसूल की जायं। इस धारा को इस बिल में रखने का केवल उद्देश्य यह था कि फंड क्रिएट किया जाय, जो जमा है वह उनसे ले कर रखा जाय इसलिये उसके देने में मैं समझता हूं उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती और यदि वह ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि बोर्ड को अधिकार होगा कि उसके द्वारा जो कुछ भी असेसमेंट होता है वह उनसे वसूल किया जाय और अगर उनको कोई एतराज है तो वह अपने रिकार्डस् लाकर दिखावें कि गलत असेसमेंट हुआ है और सही यह होना चाहिये। उसका रिवीजन भी हो सकता है लेकिन उस हालत में भी उनको किताब तो दिखानी ही होगी। मेरे ख्याल में इस तरह के बिल में इस तरह की क्लाजेज का रखना इस समय उचित नहीं मालूम पड़ता, ज्यादा उपयुक्त नहीं मालूम होता है और शोभा नहीं देता है। अगर इसकी आवश्यकता किसी वक्त पड़ी तो इस बिल का संशोधन हो सकता है। अभी यह गैर-जरूरी है कि हम इस बिल के संशोधन की चर्चा करें और जो इस बिल की धारायें हैं उनको पूरे तौर से कार्यान्वित करें। संभव है ऐसी कोई परिस्थिति न पैदा हो जिसमें पेनल क्लाज को लगाने की या नया संशोधन लाने की जरूरत पड़े।

श्री जगन्नाथमल्ल---आपकी आज्ञा से मुझे एक सवाल करना है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब वक्त नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २३ के बाद नया खंड २३-क निम्न प्रकार रख दिया जाय---

"२३-क---जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धाराओं तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा वह ६ महीने का कावारास तथा ५०० रुपया जुर्माने का भागी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड २४

नियम बनाने का अधिकार।

२४---(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन कर के इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी:---

(१) निधि में से सहायक अनुदान (grants-in-aid) देने की प्रक्रिया;

(२) बोर्ड तथा मंत्रणा समिति के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों;

(३) वह रीति जिससे बोर्ड अपना कार्य संचालन करेगा;

(४) बोर्ड के सदस्यों को चुनने की रीति तथा उनकी अनर्हताओं (disqualifications) की शर्तें ;

(५) बोर्ड तथा मंत्रणा समिति के सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की रीति;

(६) बोर्ड के सेवकों के लिये सेवा की शर्तें अथवा उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(७) रखे जाने वाले रजिस्टरों तथा अभिलेखों का आकार (form);

(८) निधि में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कार्यों से संबद्ध समन्वित प्रसूचना (consolidated report) तथा निधि की प्राप्तियों (receipts) और व्यय के विवरण तथा लेखों के विवरण के प्रकाशन की विधि; तथा

(९) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (२) के भाग (२) तथा भाग (५) में शब्द "बोर्ड" के पश्चात् शब्द "तथा मंत्रणा समिति" निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब मंत्रणा समिति नहीं रहेगी इसलिये उसे हटा कर वहां बोर्ड रख दिया जाय ।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (२) के भाग (२) तथा भाग (५) में शब्द "बोर्ड" के पश्चात् शब्द "तथा मंत्रणा समिति" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना करने के निमित्त

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिये तथा तत्संबंधी कार्यों का संचालन करने के निमित्त एक निधि की स्थापना की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे ।

श्री जगन्नाथमल्ल---मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक में अंक "५५" के स्थान पर "५६" रख दिया जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ में अंक "५५" के स्थान पर अंक "५६" रख दिया जाय ।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ तथा शीर्षक में अंक "५५" के स्थान पर अंक "५६ रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना और संशोधित शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आचार्य जुगलकिशोर---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जहां तक कि इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से संशोधनों को माना है हालांकि कहीं-कहीं जैसा कि हमेशा हुआ करता है सरकार ने अपनी हठधर्मी से बहुत से संशोधन मंजूर नहीं किये---किन्तु उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई और न कोई ताज्जुब ही हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सरकार हठधर्मी दिखलायेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो बहुत से संशोधन मान लिये उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जहां तक हो सका इसकी खामियों और कमियों को दूर करने की कोशिश की । इसमें और बहुत ज्यादा नहीं कहना है । इसमें बहुत सी धारायें वैसी जो गलत थीं उनको निकाल दिया गया और जो कुछ ठीक-ठीक थीं उनको किया गया हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें होनी चहिए थीं जैसा कि हम लोगों ने संशोधनों में दिया था और अगर वह भी इसमें हो जातीं तो यह बिल बहुत ही सुन्दर हो जाता और एक बहुत बढ़िया अधिनियम हम तैयार कर सकते थे । लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को जो हम लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं वह कठिनाइयां पड़ेंगी और एक संशोधन इसका करने के लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा और झूठ-मूठ इस सदन का कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा मेरा खयाल है । हालांकि वह बातें आज ही मान ली गई होतीं तो बहुत अच्छा होता । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो बना वह जहां तक हो सका काफी अच्छा बनाया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन सभी ओर से हुआ है और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने भी कहा कि बहुत से संशोधन मान लिए गए हैं । शायद उनको यह मलाल रह गया कि आखिरी संशोधन उनका नहीं माना गया । लेकिन मैं उनको आपके द्वारा यह सूचना देना चाहता हूं कि जो आदमी घुसने में कोई रुकावट डालेगा तो उसे इंडियन पेनल कोड की धारा १९ के मुताबिक फार आबस्ट्रक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक ड्यूटीज, सजा हो सकती है । तो इसके लिए उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं कि अब वह पूर्ण हृदय से इसको अपनी स्वीकृति दे सकेंगे ।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार से हमारा एक निवेदन है कि यह बिल सब फैक्टरियों में लागू होना चाहिए और दूसरी बात जो जगन्नाथ मल्ल जी ने रखी थी, सज वाली, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह एक सोशल ऐक्ट है और समाज सुधार क एक काम हम इसके जरिये से करने जा रहे हैं, इस लिए किसी को डिस्टर्ब या किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। मजदूर, मिलमालिक सबके साथ समभाव की जो हमारी नीति है उसके अनुसार हमने इस बिल को बनाया है। अन्त में मैं पुनः इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा बिल इस सदन के सामने पेश किया।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे कार्य को चतुर्वेदी जी ने बहुत हल्का कर दिया है, मैं माननीय श्रम मन्त्री जी को और खास तौर से अपने विरोधी पक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मजदूरों के मामले में जो एकता दिखाई है मुझे आशा है कि वह एकता बाहर भी दिखायेंगे। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को एक शंका रह गई है लेकिन अगर वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९ को पढ़ लें तो उनकी उस शंका का भी समाधान हो जायगा और फिर उस चीज के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं एक बार फिर माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को आज स्वीकृत कराने में पूरा-पूरा सहयोग दिया है, विशेषतया उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन पेश करके या तो उन्हें वापस ले लिया या उनको उन्होंने यह समझ कर कि यह इस विधेयक के लिए अच्छा ही होगा वह चुप रह गए। मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक इस विधेयक के और इस अधिनियम के चलाने का कार्य होगा पूरी तौर से इस बात की कोशिश होगी कि श्रमिकों के कल्याण के लिए आपस में मिल करके इस बिल को चलाया जाय और जो उनकी शंकायें हैं वह शायद ऐसा मौका नहीं होगा कि वह कभी उठें और इसका कभी मौका आये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१३ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

निम्नलिखित सड़कों पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसें चलती हैं--

(१)	इलाहाबाद	..	प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर
(२)	इलाहाबाद	..	बादशाहपुर
(३)	इलाहाबाद	..	जौनपुर
(४)	इलाहाबाद	..	आजमगढ़
(५)	इलाहाबाद	..	बनारस
(६)	इलाहाबाद	..	सिरसा
(७)	इलाहाबाद	..	मांडा
(८)	इलाहाबाद	..	कोरांव
(९)	इलाहाबाद	..	मिर्जापुर चुर्क
(१०)	इलाहाबाद	..	पिप्परी भापा मिर्जापुर
(११)	इलाहाबाद	..	चाकघाट
(१२)	इलाहाबाद	..	रीवां
(१३)	इलाहाबाद	सिटी बस सर्विस के मार्ग, चौक घंटा घर से दारागंज, चौक घंटा घर से कटरा, चौक घंटा घर से नैनी, चौक घंटा घर से बांध, चौक घंटा घर से फाफामऊ ।	

निम्नलिखित सड़कों पर प्राइवेट आपरेटरों की बसें चलती हैं--

(१)	इलाहाबाद	..	कोहरार घाट
(२)	इलाहाबाद	..	शंकरगढ़
(३)	इलाहाबाद	..	चित्रकूट
(४)	इलाहाबाद	..	सराय ममरेज
(५)	इलाहाबाद	..	मुबारकपुर
(६)	इलाहाबाद	..	लालगोपालगंज
(७)	इलाहाबाद	..	कालाकांकर
(८)	इलाहाबाद	..	ढरवा भापा कल्याणपुर
(९)	इलाहाबाद	..	मौरों
(१०)	इलाहाबाद	..	जंघई
(११)	इलाहाबाद	..	पनावां
(१२)	इलाहाबाद	..	डेरवा भावा मंसूराबाद
(१३)	इलाहाबाद	..	बाबा गंज
(१४)	इलाहाबाद	..	जंडूपुर
(१५)	इलाहाबाद	..	कौशाम्बी
(१६)	इलाहाबाद	..	सरायआकिल
(१७)	इलाहाबाद	..	पुरखास

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१५७ एल० ए०—१९५६-७९६ ।